खण्ड–26, अंक–06
सोमवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1931
(20 जुलाई, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
स्थिति	'क'
ोत्तर	1–71
म–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	71
पद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में रा0इ0 कालेज बॉली/छापुर का निर्माण एवं रा0जू0 बालिका हाईस्कूल, भगवानपुर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	71–72
पद हरिद्वार में गुज्जर बस्ती पदार्था में सरकारी सिंचाई नलकूप न चलने की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	72
ान सभा क्षेत्र पौढ़ी के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल, मोख का भवन निर्माण अधूरा छोड़ने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	72–73
पद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में रा0इ0 कालेज ऊधनगर में संगीत विषय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	73
ीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग, वर्ष 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखा गया)	73–74
ीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104 (4) के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2007–08 का वार्षिक लेखा (सदन के पटल पर रखा गया)	74
ं–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	74–89
राखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	89–92
ीय वर्ष, 2009–10 की आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त) ...	92–172
राखण्ड की अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण–पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में श्री प्रेमानन्द महाजन द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	173
म–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	173

विषय पृष्ठ संख्या

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा अध्ययन में हो रही दिक्कतों के सम्बन्ध में श्रीमती आशा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ... 173-17

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सितारगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानकमत्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शक्तिफार्म में लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों द्वारा कार्य पर ठीक से ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 174-17

नत्थियां 176-18

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह राणा
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तस्लीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–काजी मो० निजामुद्दीन
31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32–श्री प्रकाश पन्त
33–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
34–श्री प्रीतम सिंह
35–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36–श्री प्रेमानन्द महाजन
37–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38–श्री बलवीर सिंह नेगी
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री बंशीधर भगत
41–श्री बृजमोहन कोटवाल
42–श्री शेर सिंह
43–श्री मदन कौशिक
44–श्री मनोज तिवारी
45–श्री मयूख सिंह
46–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
47–श्री मातबर सिंह कण्डारी
48–श्री यशपाल आर्य
49–श्री यशपाल बेनाम
50–चौ0 यशवीर सिंह
51–श्री रणजीत रावत
52–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
53–श्री राजकुमार
54–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
56–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57–श्रीमती वीना महराना
58–श्री शहजाद
59–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61–श्री सुरेन्द्र राकेश
62–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63–श्री सुरेश चन्द जैन
64–डा0 हरक सिंह रावत
65–श्री हरभजन सिंह चीमा
66–श्री हरिदास
67–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी की प्रक्रिया

**1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी ?

यदि नहीं, तो चकबन्दी प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न

पुलिस कर्मियों हेतु खरीदी गई बुलेट प्रूफ जैकेटों की संस्तुति एवं गुणवत्ता

*1–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा हेतु अब तक कुल कितने बुलेट प्रूफ जैकेटें किनकी संस्तुति पर कब–कब खरीदी गयी है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त बुलेट प्रूफ जैकेटों की गुणवत्ता तथा क्षमता क्या है तथा इनकी कीमत क्या है ?

क्या इन जैकेटों की गुणवत्ता तथा क्षमता का परीक्षण किया गया था ? यदि हॉं, तो किनके द्वारा तथा इसके परिणाम क्या थे ?

क्या यह सत्य है कि निम्न स्तर पर की इन बुलेट प्रूफ जैकेटों के कारण जाबांज पुलिस अधिकारियों/कर्मियों की जान जोखिम में डाली जा रही है ?

अब तक उक्त बुलेट प्रूफ जैकेटों को कहा–कहा तथा किन–किन के प्रयोगार्थ वितरित किया गया ?

क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेटें 9 एम0एम0 पिस्टल/कारबाईन की गोलियां सहन नहीं कर पाई क्या वे आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त अत्याधुनिक हथियार जनरल पर्पज मशीनगन, ए0के0–56, ए0के0–47 के गोलियों की बौछार को सहन कर पायेंगी ?

क्या मुख्यमंत्री उपरोक्त बुलेट प्रूफ जैकेटों का परीक्षण उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर निम्न स्तर की खरीद करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

राज्य गठन के पश्चात् अब तक 207 अदद बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2001–02 में कुल 25, वित्तीय वर्ष 2003–04 में कुल 12 एवं वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल 170 अदद बुलेट प्रूफ जैकेट तत्कालीन पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर क्रय की गई।

वर्ष 2001–02 एवं 2005–06 में बुलेट प्रूफ जैकेट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से क्रय की गयी हैं, जो भारत सरकार का विश्वसनीय उपक्रम है, जिसकी गुणवत्ता तथा क्षमता अच्छे स्तर की होती है। वर्ष 2003–04 में बुलेट प्रूफ जैकेट टैण्डर के माध्यम से मेसर्स टाटा एडवांस्ड मैटीरियल लि0 बंगलौर से मानक के अनुरूप तथा तकनीकी समिति जिसमें आसूचना ब्यूरो के विशेषज्ञ भी शामिल थे, की संस्तुति पर क्रय किया गया। जैकेटों की कीमत का विवरण निम्न प्रकार है:–

1–वित्तीय वर्ष 2001–02 में 25 बुलेट प्रूफ जैकेट डी0आर0डी0ओ0 से रू0 4,25,000–00 में क्रय की गई।

2–वित्तीय वर्ष 2003–04 में 12 बुलेट प्रूफ जैकेट टैण्डर के माध्यम से मेसर्स टाटा एडवांस्ड मैटीरियल लि0 बंगलौर से रू0 3,49,440–00 में क्रय की गई।

3–वित्तीय वर्ष 2005–06 में 170 बुलेट प्रूफ जैकेट डी0आर0डी0ओ0 से रू0 47,86,800–00 में क्रय की गई।

बुलेट प्रूफ जैकेट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से सीधे क्रय द्वारा एवं मेसर्स टाटा एडवांस्ड मैटीरियल लि0 बंगलौर से टेण्डर द्वारा तथा तकनीकी समिति जिसमें आसूचना ब्यूरो के विशेषज्ञ भी शामिल थे, की संस्तुति पर क्रय किये गये है। डी0आर0डी0ओ0 स्वयं ही बुलेट प्रूफ जैकेटों की

गुणवत्ता तथा क्षमता का परीक्षण करने के उपरान्त बुलेट प्रूफ जैकेटों की आपूर्ति करती है। टेण्डर के माध्यम से जो बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय की गयी, वह मानक के अनुरूप विशेषज्ञ की संस्तुति पर क्रय की गयी है।

जी नहीं।

बुलेट प्रूफ जैकेट आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों/पीएसी वाहिनियों/अभिसूचना इकाई/स्पेशल टास्क फोर्स एवं स्पेशल ऑपरेशनल टास्क फोर्स को वितरित की गयी है जो विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभाव के सुरक्षार्थ प्रयोग में लायी जाती है।

यह सत्य नहीं है कि जैकेट 9 एम०एम० पिस्टल/कारबाईन की गोलियां सहन नहीं कर पाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर अन्तर्गत कण्डारी व मुन्डयासाल गांव में भूस्खलन से प्रभावित गांवों के प्रस्तावित विस्थापितों की सूची

*2–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि विधान क्षेत्र नरेन्द्रनगर में ग्राम सभा मैसर्का के अन्तर्गत कण्डारी गांव व मुन्डयासाल गांवों में गत वर्ष हुए भू–स्खलन से वहां के निवासियों के आवासीय मकान व कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है ?

क्या भू–स्खलन से प्रभावित गांवों के प्रस्तावित विस्थापन की सूची में उपरोक्त स्थान के निवासियों को सम्मिलित किया गया है ?

यदि हां, तो किन–किन प्रभावितों को सम्मिलित किया गया है ?

यदि नहीं, तो उक्त गांव को वंचित किये जाने के क्या कारण हैं तथा उपरोक्त स्थान के निवासियों को कब तक विस्थापित किया जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

जी हाँ।

कण्डारी गांव के कुल 14 प्रभावित परिवारों को सम्मिलित किया गया है। जिनके नाम निम्नानुसार है–

1–श्री दयाल सिंह पुत्र कुतू सिंह

2–श्री कुंवर सिंह पुत्र कुतू सिंह

3–श्री बलेव सिंह पुत्र छोटा सिंह

4–श्री सोवन सिंह पुत्र छोटा सिंह

5–श्री बेताल सिंह पुत्र कुतू सिंह

6–श्री प्यार सिंह पुत्र कुतू सिंह

7–श्री अबलू देशपाल पुत्रगण बेतालू

8–श्री हरपाल पुत्र पूर्णा

9–श्री प्यारू पुत्र ज्वालपू

10–श्री भरत सिंह चन्दन सिंह

11–श्री विक्रम सिंह पुत्र शेर सिंह

12–श्री सुन्दर सिंह, सोवन सिंह पुत्रगण शेर सिंह

13–श्री जयपाल सिंह, जगपाल सिंह, अशोक सिंह पुत्रगण कृपाल सिंह

14–श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह

प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास नीति निर्धारण के उपरान्त।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद टिहरी में पूर्ण एवं आंशिक रूप से भूस्खलन से प्रभावित गांव तथा विस्थापन हेतु नीति

*3–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल ऐसे कितने गांव हैं जो भूस्खलन प्रभावित होने के कारण पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से विस्थापित किये जाने हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विस्थापन के लिये क्या नीति बनाई गयी ?

क्या परिवार के प्रत्येक वालिग सदस्य को परिवार की एक इकाई मानकर विस्थापित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार जनपद टिहरी गढ़वाल में 14 गांव दैवी आपदा से प्रभावित चिन्हित किये गये है, जिनको कि भूगर्भीय जांच आख्या एवं पुनर्वास नीति के आधार पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विस्थापित करना पड़ सकता है।

नीति निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है।

पुनर्वास नीति के अनुसार कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद हरिद्वार शहर में ट्रैफिक यातायात को व्यवस्थित करने हेतु कार्य योजना।

*4–काजी मो0 निजामुद्दीन–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में ट्रैफिक प्लान न होने के कारण यात्रा सीजन, अर्द्ध कुम्भ, कुम्भ एवं अन्य पर्वों पर जनपद के राष्ट्रीय राज मार्ग स्थित सभी शहरों में जाम की स्थिति बनी रहती है ?

यदि हाँ, तो सरकार यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिये शीघ्र कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

हरिद्वार जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शहरों में यात्रा सीजन, अर्द्ध कुम्भ, कुम्भ एवं अन्य पर्वों के अवसर पर भारी संख्या में यात्रियों/श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण यदा–कदा जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार में विभिन्न पर्वों पर मुख्य मार्गों के यातायात नियंत्रण हेतु दीर्घकालिक एवं तात्कालिक पृथक–पृथक योजनाएं तैयार की गयी है। दीर्घकालिक योजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेनिंग (नारसन बार्डर से भूपतवाला बैरियर तक)

किया जाना, विभिन्न स्थलों पर अतिरिक्त पुलों का निर्माण, पंतद्वीप, हरकीपैड़ी, चोबीघाट, रोड़ीबेलवाला, आनन्दवन, चमगादड टापू, बैरागी कैम्प, कनखल, मोतीचूर, सर्वानन्द घाट आदि स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 एवं 74 की वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। यातायात की व्यवस्था हेतु बाईपास मार्ग टिब्बड़ी–ब्रह्मपुरी होते हुये दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून एवं ऋषिकेश के वाहनों को शहर के बाहर से निकालकर वाहनों का दबाव कम किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के हाईवेजन की व्यवस्था (रूड़की के मिलिट्री चौराहे से ढंढेरा लक्सर मार्ग पर) तथा मंगलौर लण्ढौरा मार्ग पर भी मार्ग परिवर्तन यथा आवश्यकता किया जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली के वाहन जिन्हें देहरादून जाना होता है, उन्हें रूड़की मिलिट्री तिराहे से भगवानपुर होते हुये छुटमलपुर देहरादून या नारसन चौराहे से झबरेड़ा होते हुये भगवानपुर तथा छुटमलपुर की ओर परिवर्तित किया जाता है।

तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत हरिद्वार शहर में फुटपाथ की व्यवस्था, विद्युत सिग्नल की व्यवस्था, बोर्ड एवं होर्डिंग हटाने, जेबरा लाईन/स्टाप लाइन का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एन०एच०ए०आई० द्वारा शंकराचार्य चौक, चण्डीघाट चौक, दूधाधारी चौक आदि पर रोड मार्किंग/जेबरा क्रासिंग बनाया गया है। यातायात की व्यवस्था को नियंत्रित किये जाने हेतु शहर एवं मेला क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, महत्वपूर्ण स्थानों एवं धार्मिक स्थानों के समीप लगे ठेली, फड़ एवं खोखे, आदि को हटाया गया है। तात्कालिक व्यवस्था में एकल मार्ग व्यवस्था के अन्तर्गत वाहनों को देवपुरा बस अड्डे से शिवमूर्ति, ललतारी पुल चौक, बिरला ब्रिज होते हुये चण्डीघाट चौक, तिरछापुल से शंकराचार्य चौक होकर ऋषिकुल नया पुल की ओर यथा समय परिवर्तित किया जाता है। चण्डीघाट चौक (ललतारी पुल साइड) पर बैरियर लगा दिये गये हैं जिससे कि यातायात ललतारी पुल साइड से बाहर तो जा सकता है परन्तु शहर के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश नटराज चौराहे से देहरादून नेशनल हाई–वे की ओर डाइवर्ट कर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार हरिद्वार स्थित बी.वी.आई.पी. घाट से बैराज होते हुये (चीला) नहर के किनारे–किनारे ऋषिकेश की ओर भी यथा यातायात मार्ग परिवर्तन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने हरिद्वार जनपद में ट्रैफिक प्लान नहीं होने के बारे में सरकार से सवाल किया था। जिसकी वजह से हरिद्वार जनपद में ट्रैफिक अनियंत्रित रहता है और हर मई और जून के शनिवार एवं रविवार में वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। यात्रा सीजन में भी ट्रैफिक जाम रहता है और चाहे सोमवती अमावस्या हो, बैशाखी का स्नान हो या

कोई भी और पर्व। उस पर हरिद्वार जनपद के मंगलौर, नारसन बार्डर, रूड़की और बहादराबाद या हरिद्वार शहर हो, सभी जगहों पर चलना असंभव होता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने स्तर में योजनायें तैयार करने की बात कही है, जिसमें फोर लेनिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जिक्र किया है, तो फोर लेनिंग की व्यवस्था को कम से कम आप कुंभ तक तैयार नहीं कर पायेंगे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी योजना सरकार ने तैयार की है, जिसमें आने वाले कुंभ के दौरान यात्री परेशान न हो और सही तरीके से नारसन, रूड़की और मंगलौर पार करते हुये हरिद्वार पहुंचे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिये सरकार ने दो प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित की है। चूंकि कुंभ मेला 2010 में होना है, इसको दृष्टिगत रखते हुये हमें सतर्कता और योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। उसको ध्यान में रखते हुये दो प्रकार के कार्य हम कर रहे हैं। पहला कार्य दीर्घकालिक उपाय जो आने वाले समय में जिसका लाभ मिल पाये, इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेनिंग, जिसमें नारसन बार्डर से भूपतवाला बैरियर तक फोर लेनिंग मार्ग बने, यह प्रस्तावित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 एवं 74 की वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। ताकि वहाँ पर वाहन खड़े हो सकें। इस पर विशेष तौर पर बाईपास मार्ग पर टिबड़ी–ब्रह्मपुरी होते हुये दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून और ऋषिकेश के वाहनों को शहर से बाहर से निकालकर वाहनों का दबाव कम किया जायेगा। तात्कालिक व्यवस्थाओं के तहत व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा धार्मिक क्षेत्र है, जिसमें यात्रा सीजन, स्नानों और विभिन्न धार्मिक अवसरों पर यातायात का दबाव होता है। उस समय यातायात को रूड़की के मिलिट्री चौराहे से लंढौरा लक्सर मार्ग पर डाइवर्ट किया जाता है। जिससे हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर दबाव कम हो सके।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने लिखित रूप से जो उत्तर उपलब्ध कराया है, उसी को ज्यों का त्यों पढ़ रहे हैं। माननीय, मैं सीधे–सीधे कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ, आप उनका उत्तर देने का कष्ट करें। हरिद्वार में जब भी कोई स्नान होता है या कोई पर्व होता है या यात्रा सीजन हो, तो हरिद्वार के बार्डर यानि कि उत्तराखण्ड के बार्डर पर 5–6 घण्टे जाम तो नारसन चैक पोस्ट पर ही लग जाता है। उसके लिये क्या व्यवस्था सरकार कर रही है कि वहाँ पर जाम न लगे। माननीय नगर विकास मंत्री जी, यहाँ पर बैठे हैं, शायद वह भी इससे अवगत होंगे। मंगलौर, रूड़की और बहादराबाद के जो–जो आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है और जिस थाना क्षेत्र में जाम लगता है, उनको यह नहीं मालूम कि किस तरफ ट्रैफिक खुलवाया जाय बस जहाँ उसे वैकल्पिक

मार्ग कहीं निकला हुआ दिखा, वहीं से ट्रैफिक डायवर्ट करना शुरू कर देता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि हरिद्वार जाने वाले को किधर डायवर्ट करना है, देहरादून के ट्रैफिक को किधर डायवर्ट करना है। तात्कालिक व्यवस्था सरकार क्या कर रही है, इस उत्तर के हिसाब से आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, अगर ये सही उतरी, जिस पर मुझे संदेह है तो अगले अर्ध कुम्भ तक तो आप व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन इस कुम्भ में नहीं कर सकते। तात्कालिक व्यवस्था सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, तात्कालिक व्यवस्था के तहत तो वाहनों को डायवर्ट करने वाला विषय तो मैंने बताया कि हरिद्वार का जो नेशनल हाईवे है, उस पर यातायात का दबाव कम बनाया जा सके, वहाँ रोड के किनारे वाहन न खड़े हों, मुख्य हाईवे पर इसके लिए पार्किंग व्यवस्थाओं की अलग–अलग व्यवस्था हो रही है। इसके साथ–साथ जो आपने विशेष तौर पर नारसन से सम्बन्धित विषय रखा, उसके लिए मैंने आपसे पुनः अनुरोध किया था राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन सड़क बनाने को हमने प्रस्तावित किया है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि यह जो उत्तर आया है, यह अगले कुम्भ की तैयारी के लिए दे दिया, हमारे सामने कुम्भ है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, योजना तो हमें बनानी पड़ेगी, बिना योजना बनाये हम काम कैसे करेंगे ? (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, ये मामला धार्मिक भावनाओं का है, उत्तराखण्ड में हमारा मेहमान है जो यहाँ आ रहा है चाहे तीर्थयात्री हो, चाहे पर्यटक हो, वो हमारा मेहमान है, अगर हम उसे घुसते ही बार्डर पर जाम में फंसा देते हैं तो हमारा अपमान है, मेरा अपमान है, आपका भी अपमान है, इस सदन का अपमान है, सरकार का अपमान है, जो भी कोई आये, वो बिल्कुल न फंसे। 5–6 घंटे जाम में फंसा रहेगा नारसन पर फिर फंसेगा मंगलौर में, फिर फंसेगा बहादराबाद में। मान्यवर, आप बार–बार जो जिक्र कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हरिद्वार शहर के अंदर का। हरिद्वार शहर तो बहुत बाद की बात है, हरिद्वार शहर से तो निकलना असंभव होता है उस दिन, जिस दिन कोई पर्व होता है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मानीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि दीर्घकालिक योजनाएं और तात्कालिक योजनाएं दो हैं दीर्घकालिक योजनाओं में हम फोर लेन मोटर मार्ग बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जो नारसन बार्डर से मुनतवाला बैरियर तक ये फोर लेन मोटर मार्ग बनेगा।

श्री अध्यक्ष–

कब तक हो जायेगा ये ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी तो उसमें जमीन अधिग्रहण होगी, जब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे, तब तक चौड़ीकरण आप कैसे करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी तो अधिग्रहण की आपकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। साल भर से कम में तो अधिग्रहण ही नही हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी निजामुद्दीन जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आजकल कुछ ज्यादा उत्तेजित जल्दी–जल्दी हो जाते हैं पता नहीं क्या कारण है, उत्तेजना ज्यादा हो रही है, आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करवाएं।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तेजना नही है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ, दो तरह की प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं एक तो दीर्घकालिक योजना जिसके बारे में मैंने बताया कि फोर लेन सड़क हम बना रहे हैं। दूसरी तात्कालिक योजना के तहत हरिद्वार को दो प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ने की योजना है।

एक तो नजीबाबाद की ओर से आता है रास्ता और दूसरा आता है रूड़की की ओर से। जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ यात्रा सीजन हो, धार्मिक पर्व हों, स्नान हों ऐसे अवसर पर हम वहाँ से सीधे जाने वाले वाहन हैं, यात्री हैं, उनका रूट डायवर्ट करते हैं, ताकि उस पर दबाव न पड़े। दूसरा पैदल यात्रियों के लिए श्रीमन्, सड़क के किनारे फुटपाथ निर्माण और अस्थाई पुलों की व्यवस्था की जाती है जो हम कुम्भ के दृष्टिगत करते हैं, जिसमें पूरे युद्धस्तर पर कार्य हो रहा है। कुम्भ से पहले-पहले यह पूरा हो जायेगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, रूड़की नारसन और बहादराबाद की बात आयी है। बहुत सारे लोग कुमाऊँ से आते हैं जो नजीबाबाद, चिड़ियापुर आदि स्थान पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, कृपया प्रश्न करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, कल मैं एक पुलिस अधिकारी से पूछ रहा था कि आबादी कितनी है, हरिद्वार की। एक करोड़ कांवड़िये आएगें वहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि हरिद्वार की जो स्थिति है, जो हरिद्वार के मूल निवासी हैं उनकी स्थिति और जो तीर्थ यात्री आते हैं, उनकी स्थिति। कितनी अजीब सी स्थिति बन गयी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, रास्ते में पूरा व्यवधान है। जो हरिद्वार गंगा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गंदा शहर हो गया है, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि नजीबाबाद से आने वाले वाहनों के लिए कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। मान्यवर, इसके लिए यात्रा सीजन में हम नजीबाबाद से आने वाले जो वाहन हैं, उनके लिए पौड़ा–ऋषिकेश मार्ग का उपयोग किया जाता है, जिससे कि यहाँ प्रेशर कम हो।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हरिद्वार शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व होने वाला है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने इसके लिए बड़े–बड़े बजट घोषित किये हैं। लेकिन वह किसी काम के नहीं होंगे, जब तक हम तीर्थ यात्रा को वहाँ तक नहीं पहुँचा पायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न करें।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, रूड़की में जब छोटे-छोटे पर्वों पर यात्रा सीजन जैसे ओकेजन पर जाम से 5–5 घंटे, 8–8 घंटे तक गाड़ियाँ रूड़की में फंसी रहती हैं, नारसन में फंसी रहती हैं, आप हरिद्वार ले जाने की बात कैसे कर रहे हैं। इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने अब तक नहीं दिया। जो आप लगातार जवाब दे रहे हैं, वह अगले पाँच साल का जवाब है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मार्च के महीने में आप तीर्थ यात्रियों को कैसे ले जायेंगे ? जबकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5 करोड़ यात्री आने की सम्भावना है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से जो सीधे आने वाले वाहन हैं, उनको हम डायवर्ट करते हैं। जैसे मैंने दीर्घकालिक उपाय बताया, चूँकि करना तो हमको है ही, हम दीर्घकालिक उपाय में फोर लेन सड़क बना रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्य का है तो वह दे दें, हम उसको देखेंगे।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रूड़की बाईपास करके नारसन को बाईपास करके हरिद्वार पहुँचने का सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है पुरकाजी से लक्सर का। क्या हमारी सरकार लक्सर से पुरकाजी मार्ग का सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण करायेगी। तो उसके मध्य पड़ने वाला सोलानी नदी का जो पुल है, उसके विषय में सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पुरकाजी से लक्सर होते हुए जो मार्ग है, जब हम डायवर्ट करते हैं। इसका उपयोग भी किया जाता है, जो माननीय सदस्य ने विषय उठाया है उसका परीक्षण करा लेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती आशा–

मान्यवर, जो टू-व्हीलर यात्री यात्रा करते हैं, वह हेलमेट भी नहीं लगाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अलग से बात कर लीजिए।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट को एन0आई0टी0 का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

*5–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत स्थापित कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज–द्वाराहाट को एन0आई0टी0 का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ?

यदि हां, तो कब और इसके साथ प्रदेश के कितने इंजीनियरिंग कालेजों का प्रस्ताव एन0आई0टी0 का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1998 में तत्कालिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट को एन0आई0टी0 का दर्जा दिलाने हेतु प्रस्ताव मंगाये गये थे। चूंकि कालेज में प्रधानाचार्य न होने के कारण उस समय कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रस्ताव नहीं भेजा गया। उसके बाद वर्ष 2005–2006 में मैंने इसी सदन में तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से यही प्रश्न किया था और उन्होंने कहा था कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट और इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी को एन0आई0टी0 का दर्जा दिये जाने का दोनों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिये है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है नहीं पहले तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि आज का जवाब सही है या जो पिछले सदन में जवाब आया था वह सही था ?

श्री अध्यक्ष–

क्या आपके पास उसकी प्रतिलिपि है ?

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, अभी तो नहीं है, इसी सदन में जवाब दिया गया था। दूसरा जैसा मैंने कहा वर्ष, 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट को एन0आई0टी0 दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव कालेज से मँगाये थे। अब तक क्यों नहीं कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट को एन0आई0टी0 दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव भेजा गया ? यदि नहीं भेजा गया है तो इसको कब तक भेजेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तराखण्ड राज्य में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी की स्थापना किये जाने हेतु भारत सरकार से 19.07.08 को एक पत्र तत्कालीन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री, माननीय श्री अर्जुन सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया था। उस पत्र में जिस आवश्यकता का उल्लेख किया गया था, उसका अंतिम पैरा मैं सदन के सम्मुख पढ़ देता हूँ। इन द इलैवैंथ प्लान इट इज आलसो परपोजड टू स्टार्ट ए फ्यू न्यू एन०आई०टीज इन द अनकवर्ड स्टेट्स एण्ड एज सच आई वूड अल्सो रिक्वैस्ट यू टू सैन्ड अस अ प्रपोजल फार कन्सीडरेशन एट द गर्वनमैंट आफ इण्डिया लेविल फार स्टार्टिंग आफ ए न्यू एन०आई०टी इन योर स्टेट, फार विच यू विल हैव टू प्रोवाइड फ्री आफ कास्ट, सूटेबिल पीस आफ एट लीस्ट 300 एकड़ आफ लैण्ड एट ए प्लेस हैविंग रेल, रोड एण्ड एअर कनेक्टिविटी एज वैल एज गुड सीविक इन्फ्रास्ट्रक्चर। श्रीमन्, ये इसके साथ यह शर्त लगाई गई थी अर्थात आपके यहाँ मोटरमार्ग, रेलमार्ग एअर कनेक्टिविटी होनी चाहिए और साथ ही उच्च स्तर का नागरिक सुविधाओं से सम्बंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इस शर्त के चलते हुए हमारे पास वर्तमान में जो तीन शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान है जिसमें प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पंतनगर, जो कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर के अन्तर्गत है, जी०बी०पंत इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी पौढ़ी और कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट, अब इस तरह से भूमि चयनित करने की कार्यवाही चल रही है। उपरोक्त तीनों कालेजों में से एक कालेज जिसको एन०आई०टी० के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव भी समानान्तर रूप से चल रहा है। लेकिन इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त तीनों कालेजों से डी०पी०आर माँगी गई थी। जिसमें प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पंतनगर और जी०बी०पन्त इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी से डी०पी०आर० प्राप्त हुई है। लेकिन अभी तक द्वाराहाट इंजीनियरिंग कालेज से डी०पी०आर० प्राप्त नहीं हुई है। डी०पी०आर० प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है। अब इन सभी शर्तों के चलते हुए चूँकि खोलना भारत सरकार को है। हमारा प्रयास है कि इन शर्तों के अधीन यहाँ शीघ्र ही एन०आई०टी० स्थापित हो।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी--

मान्यवर, निश्चित तिथि कब तक आप डी०पी०आर मँगवा लेंगे। तथा एन०आई०टी० का दर्जा कु०इ०का० द्वाराहाट के देने के लिए केन्द्र को भेजेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के समय से कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट को एन०आई०टी० का दर्जा दिये जाने के लिए प्रस्ताव मँगाये गये थे। क्या उस समय भी केन्द्र सरकार के द्वारा इस तरह के प्रतिबंध लगाये गये थे ? क्या उस समय भी यही शर्तें थी, जब प्रस्ताव मँगाया गया था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 1998 में क्या प्रतिबंध थे यह तो इस वक्त बता पाना सम्भव नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा। डी0पी0आर0 की बात कही गई है। डी0पी0आर0 को शीघ्र भेजने को कहा जायेगा और डी0पी0आर0 शीघ्र मंगवाकर भारत सरकार के विचाराधीन प्रकरण है, इसको भेजा जायेगा।

प्रदेश में राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की नीति तथा जनपद अल्मोड़ा व बागेश्वर में चिन्हित आन्दोलनकारियों की संख्या

*6–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की नीति क्या है ?

अल्मोड़ा जनपद तथा बागेश्वर जनपद में अब तक कितने आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण किया जा चुका है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण निम्नलिखित अभिलेखों के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है–

क–एल0आई0यू0 की रिपोर्ट।

ख–पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश।

ग–प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) जिस रूप में भी दर्ज हो।

घ–चिकित्सालय संबंधी रिपोर्ट।

च–ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनाएं, जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारियों द्वारा पुष्टि की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा में 126 एवं जनपद बागेश्वर में 16 आन्दोलनकारियों को सम्प्रति चिन्हित किया गया है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में क,ख,ग,घ, और च के रूप में चिन्हीकरण किये जाने की व्यवस्था की गई है, का उल्लेख किया है। मान्यवर, इसमें से सभी जिलों में जैसी कि सूचना मिली है कि पुलिस ने राजस्व पुलिस ने अपने सारे रिकार्ड 2005 तक के जला दिये हैं। जबकि 20 वर्ष या 30 वर्ष तक रखे जाते हैं। उसके बाद जब रिकार्ड्स शासन–प्रशासन में उपलब्ध नहीं हैं मान्यवर, तब आन्दोलनकारियों को चिन्हीकरण की क्या व्यवस्था रहेगी ? दूसरा मान्यवर, जिन आन्दोलनकारियों का

चिन्हीकरण किया जा चुका है, उनके सम्मान के रूप में सरकार ने अभी तक क्या व्यवस्था की है ? तीसरा जैसा कि हमारी इस बात को सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है मैं सरकार को बधाई भी देता हूँ कि 1997 से आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया या शासनादेश जारी हो चुका है। लेकिन उनके मानको में जो विषमताएं हो रही है जैसे कोई एक दिन के जेल का, कोई सात दिन के जेल का दूसरा है बहुत से आन्दोलनकारी जो लगातार वर्ष 1997 से सड़कों पर थे और वे कभी जेल नहीं गये और घायल नहीं हुए। उनके चिन्हीकरण के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा मैंने अवगत कराया है कि राज्य आन्दोलनकारी के चिन्हनीकरण की प्रक्रिया है उससे मैंने अवगत कराया और समय–समय पर राज्य आन्दोलनकारियों से सम्बन्धित विभिन्न शासनादेश के माध्यम से सभी आन्दोलनकारियों को क्या सुविधा दे सके। उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत दिनाँक 11.08.2004 को 520 आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किया गया इस शासनादेश के माध्यम से जिसमें 07 दिन या 07 दिन से अधिक जेल गये एवं घायल हुए आन्दोलनकारियों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह ग के पदों पर तथा समूह घ के पदों पर शैक्षिक योग्यतानुसार सेवायोजित किये जाने का प्रावधान है। उसके पश्चात दूसरा शासनादेश के आधार पर 07 दिन से कम अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारियों को, जिनकी आयु अधिकतम 50 वर्ष हो गयी है को नियुक्ति में 05 प्रतिशत का अधिमान तथा 10 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की सुविधा 10 अगस्त, 2011 तक अनुमन्य की गयी। तीसरा शासनादेश जारी हुआ दिनांक 08.11.2006 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल एवं 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल में निरूद्ध रहे ऐसे आन्दोलनकारियों, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गयी हो ऐसे अर्ह आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं, के परिवार के एक आश्रित को सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत की क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी। इसके पश्चात शासनादेश दिनांक 11.08.2004 के अनुसार चिन्हित आन्दोलनकारी जो सात दिन से कम अवधि के लिए जेल गये है उनको स्वरोजगार की योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाय जो इस शासनादेश के अन्तर्गत था। इसी प्रकार जो सी0बी0आई0 के मुकदमें थे। उसके सम्बन्ध में दिनाँक 26.02.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी जिनके विरूद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अपराध पंजीकृत कर मुकदमें दायर किये गये, को अनुग्रह राशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे आन्दोलनकारी जो जेल गये और जिनके विरूद्ध वर्ष 2004 तक मुकदमे प्रचालित रहे, उनको एक लाख रुपया, श्रेणी–दो में ऐसे उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी जिन्होंने सी0बी0आई0 द्वारा दर्ज मुकदमों के विरूद्ध सक्षम न्यायालयों से

अपनी गिरफ्तारी के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, परन्तु ऐसे राज्य आन्दोलनकारी के विरूद्ध भी मुकदमे वर्ष 2004 तक प्रचलित रहे, को रूपया पिच्हत्तर हजार और ऐसे राज्य आन्दोलनकारियों, जिनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और जेल भी गये, लेकिन विवेचना के दौरान उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया अथवा उनके विरूद्ध न्यायालयों में आरोप पत्र नहीं भेजे गये, को रूपया पचास हजार और शासनादेश दिनांक 22.01.2001 के द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान पंजीकृत अभियोग के वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है। आन्दोलनकारियों के विरूद्ध कुल 576 वाद दर्ज हुये थे जिनमें 1999 अभियुक्त थे, उक्त सभी अभियोग अन्तिम रूप से समाप्त किये जा चुके हैं।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान वर्ष 1990 में जो 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के एवज में जो आन्दोलन चला। क्या उन आन्दोलनकारी को उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी के रूप में सरकार सम्मिलित करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष 1990 के आन्दोलनकारियों को उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में लिया जाय, इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया था, तो उस समिति के द्वारा अब तक कितने आंदोलनकारियों को और किस–किस कैटेगिरी के आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया और दूसरा जो सात दिन से ऊपर वाले आंदोलनकारी थे जिनके लिए सर्विस की व्यवस्था की गयी थी अगर वे 60 साल से कम उम्र के है और नौकरी नहीं पाए हैं तो उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं अभी तक अद्यतन जो सूची उपलब्ध है उसके अनुसार पूरे राज्य में वर्तमान में 3 हजार 135 आंदोलनकारी चिन्हित है, जिसकी जनपदवार सूची भी मेरे पास है अगर माननीय सदस्य जिज्ञासा करेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूँगा, जहाँ तक, जिन्होंने नौकरी नहीं की या कतिपय कारणों से नौकरी नहीं की उनके सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है और शीघ्र ही ऐसे सभी आंदोलनकारी जिनको इस शासनादेश के तहत सेवायोजित किया जा सकता था उन पर विचार चल रहा है और शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है आप अपना प्रश्न दीजिए। जिन्होने अनुपूरक के लिए पूछा है उन्हें एलाउ किया है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को मास्टर प्लान की नीति लागू किये जाने की योजना

*7–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कौन–कौन से शहरों का मास्टर प्लान (सिजरा प्लान सहित) तैयार हो गया है और वह कब तक लागू हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती, विकास नगर हरबर्टपुर, डोईवाला, नैनीताल, भीमताल, चमोली–गोपेश्वर, बदरीनाथ, गौचर, केदारनाथ, नई टिहरी, चम्बा पौड़ी, श्रीनगर, कीर्तिनगर, रामनगर, रूद्रपुर किच्छा, काशीपुर, बाजपुर, कौसानी–त्वेशाल, में मास्टर प्लान लागू है। प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं, जिन्हें यथाशीघ्र लागू किया जाना प्रस्तावित है। मास्टर प्लान को सजरा मानचित्र पर तैयार किये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतने शहरों में मास्टर प्लान लागू है तो क्या यह व्यवहारिक रूप से लागू है या सिर्फ कागजों पर लागू है। मान्यवर, अगर इन शहरों में जाया जाता है तो कहीं से कहीं तक मास्टर प्लान लागू है ऐसा दिखाई नहीं देता है मान्यवर, अभी जैसे हरिद्वार का जिक्र आया मान्यवर, ट्रैफिक की समस्या, सीवरेज की समस्या और मंत्री जी ने जवाब दिया है मान्यवर, कि मास्टर प्लान इन शहरों में लागू है तो यह तो साफ सी बात है लागू नहीं है तो कब तक इसको लागू कर दिया जायेगा और दूसरा जिन शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने पर सरकार विचार कर रही है उनमें कौन कौन से शहर आते हैं कृपया उनकी सूची उपलब्ध करा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

जिन शहरों में लागू किया गया है उसकी सूची चाह रहे हैं आप, श्रीमन्, इस सूची को माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में उपलब्ध करा दूँगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह खाली कागजों में लागू है इनको कब लागू कर देंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मास्टर प्लान प्रभावी है। मास्टर प्लान प्रभावी करते हुए वहाँ विनियमित क्षेत्र बन जाता है, भवनों के प्लान पास होने के लिए प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है जिससे विधिवत शहर का विकास हो।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मंत्री जी कह रहे हैं कि मास्टर प्लान लागू है वह किसी शहर में फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसको सख्ती से लागू करवाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हरिद्वार और देहरादून में मास्टर प्लान तैयार हो गया है, यदि हाँ, तो क्या उसे लागू कर दिया गया है, यदि नहीं तो क्यों और कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, देहरादून के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून में मास्टर प्लान प्रभावी है, नगर पालिका परिषद विकास नगर में मास्टर प्लान प्रभावी है, नगर पालिका परिषद मसूरी में प्राधिकरण एवं फॉरेस्ट विभाग द्वारा प्राईवेट वन फॉरेस्ट का संयुक्त निरीक्षण करने के उपरान्त प्रभावी किया जायेगा, नगरपालिका परिषद ऋषिकेश में मास्टर प्लान प्रभावी है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार अतारांकित प्रश्न लगाया था उसमें यह उत्तर आया था कि देहरादून में लागू कर दिया गया है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि लागू कर दिया गया है या नहीं किया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने कहा कि मास्टर प्लान प्रभावी है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, प्रभावी है या नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि लागू किया है या नहीं यह बतायें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दोनों शब्द एक है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है या नहीं, यह मैं जानना चाह रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मास्टर प्लान तो प्रभावी है मतलब चल रहा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे पास अतारांकित प्रश्न का उत्तर है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार और देहरादून में मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि लागू है, प्राविधानित है, इसमें प्रभावी है मास्टर प्लान तो स्वाभाविक तौर पर लागू है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, देहरादून में अगर मास्टर प्लान लागू है तो इसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मुझे फिर से बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप किस तरह कि कार्यवाही की जिज्ञासा कर रहे हैं, मुझे वह स्पष्ट कर दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जो अतिक्रमण किया गया है क्या वह हटा दिया गया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अतिक्रमण उससे अलग हटा करके व्यवस्था है वह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान जो, आपने सूची के अन्दर जिन शहरों को अंकित किया गया है, क्योंकि मास्टर प्लान जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रहता है, ऐसे कौन–कौन से नगर हैं और रूद्रपुर एक ऐसा नगर है, जिसमें मास्टर प्लान की योजना या महायोजना सरकार के अन्दर विचाराधीन है लम्बे समय से पड़ी है क्या वह भी योजना स्वीकृत हुई है, मास्टर प्लान स्वीकृत किया जायेगा या पुराने वाले मास्टर प्लान को चालू किया जायेगा ? जिलाधिकारी की व्यवस्था में बहुत सारे प्रपोजल नगरों के जो मास्टर प्लान योजना के लागू होने के लिए सरकार के पास आये हुये हैं वह कब तक लागू करेंगे, यह मेरे रूद्रपुर का है और भी अन्य शहरों का भी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में वर्तमान में जो विनियमित क्षेत्र घोषित हैं जिसके आधार पर चार नगरपालिका क्षेत्र हैं काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर और किच्छा। इन चारों क्षेत्रों में मास्टर प्लान प्रभावी है और जो इसमें अधिसूचित क्षेत्र है, वह नगरपालिका परिषद का विनियमित क्षेत्र है, जो अन्य क्षेत्र बचे हैं उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात का जवाब तो नहीं आया है। मान्यवर, मास्टर प्लान तो प्रभावी है ही, पर जिलाधिकारी के माध्यम से जो प्रस्ताव आये हैं वह कब तक लागू हो जायेगा ? मान्यवर, शासन में लम्बे समय से पड़े हुये हैं हमारे यहाँ का मास्टर प्लान तो लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन है और अब तक लागू नहीं किया गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन क्षेत्रों में, पूरे शहरों में जहाँ मास्टर प्लान प्रभावी हैं ऐसे 24 क्षेत्र हैं और जहाँ मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ऐसे 9 क्षेत्र हैं। मान्यवर, जिन क्षेत्रों में मास्टर प्लान विचाराधीन है ऐसे दो शहरी क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रस्तावित ही नहीं है, ऐसे 28 क्षेत्र हैं। यह सब कार्यवाही हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, रूद्रपुर उस क्षेत्र के अन्तर्गत है या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उस समय शायद आप सुन नहीं रहे थे। मैं पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि नगरपालिका परिषद काशीपुर में मास्टर प्लान प्रभावी है, नगरपालिका परिषद बाजपुर जिसमें मास्टर प्लान प्रभावी है, नगर पालिका परिषद रूद्रपुर जिसमें मास्टर प्लान प्रभावी है, नगरपालिका परिषद किच्छा जिसमें मास्टर प्लान प्रभावी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया पूरी बात आने दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन क्षेत्रों में मास्टर प्लान प्रभावी है, उन क्षेत्रों का विधिवत् बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके, उसके आधार पर शहरों का एक नवीनीकरण हो सके, ऐसा प्रयास सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो विस्तार के लिए वर्तमान क्षेत्र है, उसके और विस्तार के लिए प्रस्ताव किनके माध्यम से आपके पास आते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि उसका विनियमित क्षेत्र बढ़ाया जाय और इसके सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पेसिफिक जवाब नहीं आया है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं एक लम्बे समय से शहर का नाम इंगित कर रहा हूँ, इसकी मास्टर प्लान के सम्बन्ध में पत्रावली कितने समय से लम्बित है, यह कब तक हो जायेगा। (व्यवधान) मास्टर प्लान के नाम पर महाभ्रष्टाचार हो रहा है, जगह–जगह से लोग आते हैं और मास्टर प्लान को घटवाते–बढ़वाते हैं और अपने–अपने क्षेत्रों के इसमें जुड़वाते–हटवाते रहते हैं। पत्रावलियों को पड़े हुए डेढ़ से दो साल हो गये हैं। (व्यवधान) मान्यवर, यह कब तक स्वीकृत होगी। देहरादून के अंदर भी यही हुआ है कई साल लगा दिये हैं। कई बिल्डिंगों को हटवाया गया है और कई बिल्डिंगों को तुड़वाया गया है। इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत ज्यादा पैसों का लेनदेन हुआ है और यही स्थिति हमारे शहर में भी हो रही है। आखिर इसके लिए कौन लोग दोषी हैं क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, जो लम्बे समय से योजना को रोके हुए है ? यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है इस पर चर्चा करायी जाय, मैं आपसे ऐसी माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय सदस्य संज्ञान में लाये हैं। खास तौर से रूद्रपुर के प्रकरण को कि वहां क्षेत्र बढ़ाया जाय। मैंने कहा जितने भी ऐसे प्रकरण हमारे विचाराधीन हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही कर इसका निस्तारण हम कर रहे हैं।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि देहरादून में मास्टर प्लान प्रभावी है, इसका स्वरूप क्या है ? दूसरा प्रश्न है कि देहरादून में अब जो एम०डी०डी०ए० द्वारा मानचित्र स्वीकृत हो रहे हैं क्या वे अब नये मास्टर प्लान के अनुसार हो रहे हैं ? तीसरा प्रश्न है जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया है, उसका भौतिक सत्यापन आपके द्वारा कम्प्यूटर आदि पर देखकर ही उसे लागू किया गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मास्टर प्लान स्वीकृत करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसके आधार पर जो अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित किये जाते हैं, उनको मास्टर प्लान के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत, उनको अंतिम स्वरूप दिया जाता है। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा देहरादून के सम्बन्ध में, कि क्या भवन के नक्शे उसी मास्टर प्लान के अन्तर्गत यहाँ पर स्वीकृत किये जा रहे हैं तो इसका एक सीधा सा उत्तर है जी हाँ।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मास्टर प्लान लागू करने की एक प्रक्रिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया क्या है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ पर आबादी पहले से ही बसी हुई है, उसको लैंड यूज में हास्पिटल दिखाया गया है और कहीं पर आबादी बसी हुई है और मास्टर प्लान से उसे ग्रीन लैंड दिखाया गया है, इस तरह की कई बातें इस मास्टर प्लान में दिखायी गयी हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1985 के अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश के विभिन्न धाराएं जो 8 से 12 तक उल्लिखित हैं। इस व्यवस्था का अनुपालन करते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मान्यवर, उसी के अन्तर्गत जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, इसी के आधार पर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, अगर माननीय सदस्य विस्तृत रूप से जानना चाहें तो मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है। मैं आपको अलग से दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो विसंगतियां हैं जहाँ पर घनी आबादी है, वहाँ पर हास्पिटल मास्टर प्लान में दर्शाया गया है तो ऐसी विसंगतियों का भी निराकरण होगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसके लिए सुनवाई का बाकायदा समय निर्धारित होता है। इसमें सुनवाई की जाती है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी है तो वह जानकारी उपलब्ध करा दें और मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो भी जोनल प्लान बनाये जा रहे हैं, उन जोनल प्लानों में ये सारी विसंगतियां दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

शासनादेश में वर्णित अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव के बढ़े हुए दायित्व पर उच्चतर वेतनमान के निर्धारण हेतु उपाय एवं उसका अनुश्रवण

*8–श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या–77/XXVI(7)/2009 दिनांक 01.03.09 में वर्णित अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव के बढ़े हुये दायित्व जिनके आधार पर उनको उच्चतर वेतनमान अनुमन्य किया गया है, के निर्वहन की सुनिश्चितता निर्धारित करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं तथा इसका अनुश्रवण किस प्रकार किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो शासनादेश में इसका उल्लेख किये जाने का क्या औचित्य है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

इंगित शासनादेश के आधार पर जिन अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों को उच्चतर वेतनमान अनुमन्य किया गया है, के निर्वहन की सुनिश्चितता निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लिखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि प्रमुख सचिवों और सचिवों को लिखा गया है। तो यह कब लिखा गया और उनके द्वारा बढ़े हुए दायित्वों के निर्वहन के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा, पूर्ववर्ती प्रदेश, उत्तर प्रदेश, में अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव के समकक्ष जो पद थे, जैसे प्रतिवेदक के, तो उनको उच्चतर वेतनमान से पृथक रखने के क्या कारण हैं ? क्या भविष्य में जो पहले

उत्तर प्रदेश के समय में समकक्ष वेतनमान के पद थे, क्या इनको फिर से समकक्ष करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पहला प्रश्न था कि कब लिखा गया। 01 मार्च, 2009 को इसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सचिवालय और उसके समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, समकक्ष संवर्ग के पदों के वेतनमान के उच्चीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त के माध्यम से सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को यह पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें इसका विस्तृत उल्लेख है कि किन–किन प्रतिबन्धों के साथ ये उच्चीकृत वेतनमान स्वीकृत किये जाएंगे। वे प्रतिबन्ध हैं, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से केन्द्रीय सचिवालय के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया गया है। इसके साथ–साथ इसमें कुल 12 प्रतिबन्ध रखे गये। इसके पश्चात, 10 जुलाई 2009 को सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को जो पत्र भेजा गया था, उसमें यह कहा गया कि सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर 4 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर नॉन फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500, संशोधित वेतनमान 15600–39100 वेतन बैंड–3, ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य किये जाने के लिए जो शर्तें निर्धारित की गयी, उसके आधार पर अनुभाग अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान संस्तुत किये जा रहे हैं। अतः उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में भी वृद्धि अपेक्षित है। अनुस्मारकों, लम्बित पत्रावलियों एवं संदर्भों का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। अनुभाग के दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले शासनादेश एवं नियम कम्प्यूटर पर रखे जाएंगे ताकि आवश्यकतानुसार पत्रावली पर उनका उद्धरण अंकित किया जा सके। रूटीन किस्म के कार्य अनुभाग अधिकारी के स्तर पर ही निपटाये जाएंगे। अनुभागों का रिफरेंस रजिस्टर कम्प्यूटर पर ही रखा जाएगा तथा आर0सी0 से सम्बन्धित समस्त कार्य कम्प्यूटर पर कराया जाएगा। अनुभाग अधिकारी द्वारा अनुभाग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा एवं प्रत्येक माह में अधीनस्थों के कार्य का मूल्यांकन कर आख्या अपर सचिव/सचिव को प्रस्तुत की जाएगी। अपर सचिव/सचिव द्वारा प्रत्येक छमाही में अनुभागों का निरीक्षण कर अनुभाग अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। श्रीमन्, इस प्रकार से प्रतिबन्ध लगाते हुए ताकि बेहतर कार्य हो सके और कार्यों की गुणवत्ता आ सके और प्रतिदिन होने वाली जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों का निराकरण भी हो सके और साथ ही साथ यह व्यवस्था बेहतर चल सके इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि पूर्व में प्रतिवेदक, अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव के जो वेतनमान थे, उनके एक ही तरह के वेतनमान थे। अब नये वेतनमान में जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि

अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव तथा समकक्ष को 8000–13500 का वेतनमान 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद दिया जा रहा है। जबकि प्रतिवेदक को 6500–10500 का वेतनमान दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिवेदक की जो तकनीकी योग्यता है, वह हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट है। अपर निजी सचिव के लिये योग्यता अंग्रजी में 80 शब्द प्रति मिनट है। मान्यवर, मैं इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि अपर निजी सचिव, जिसे शार्ट में हम पी०ए० कहते हैं, उसकी योग्यता 80 शब्द प्रति मिनट की है। जब कि प्रतिवेदक की यही योग्यता 120 शब्द प्रति मिनट की है। उस स्थिति में प्रतिवेदक की योग्यता अपर निजी सचिव से अधिक है, लेकिन वेतनमान में क्यों कम रखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार प्रतिवेदकों को, जो आपने शासनादेश जारी किया है, उसमें अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष का जिक्र किया गया है। तो क्या सरकार प्रतिवेदक के पद को भी इसके समकक्ष मानेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जहाँ तक आपने प्रतिवेदकों का उल्लेख किया है, चूंकि दोनों संवर्ग अलग–अलग हैं और इस प्रश्न में अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव के संवर्गों का उल्लेख किया गया है और इसमें मैंने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया कि हम इन संवर्गों की इफीसियेन्सी को कैसे बढ़ा सकें, इसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। इसी के आधार पर निजी सचिवों को किस प्रकार से और दक्ष किया जा सके, उसके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। जहाँ तक प्रतिवेदकों का प्रश्न है, जिसका आपने उल्लेख किया, वह इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता, इसलिये पृथक से आपको उत्तर दिया जायेगा।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस शासनादेश का उल्लेख माननीय विधायक जी ने अपने प्रश्न में किया है, उसी के अनुपूरक प्रश्न के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह जो शासनादेश है, वह अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और समकक्ष संवर्ग के लिये है। जो उस संवर्ग के समकक्ष पद हैं और प्रतिवेदक संवर्ग एक अलग संवर्ग है।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि जो शासनादेश है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और समकक्ष। तो मैं इस शासनादेश के ही परिप्रेक्ष्य में आपसे यह पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार विधान सभा के जो प्रतिवेदक हैं, उनको समकक्ष की श्रेणी में रखेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जी नहीं। इसलिए क्योंकि जिस शासनादेश का उल्लेख आप कर रहे हैं, उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं "उत्तराखण्ड सचिवालय तथा इससे समकक्षता प्राप्त विभागों में अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/समकक्ष संवर्ग के पदों के पुनरीक्षित वेतनमान रू 6500–10500 को उच्चीकृत करते हुये।" अर्थात इस संवर्ग से, जो प्रतिवेदक संवर्ग है यह एक अलग संवर्ग है, यह केवल विधान सभा में ही होता है, प्रतिवेदक संवर्ग सचिवालय में नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो प्रतिवेदक कैडर है, यह केवल विधान सभा के अन्दर है, सचिवालय में नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रतिवेदक कैडर, जो अलग से है और इसकी योग्यता निजी सचिव के समकक्ष है। क्योंकि अन्य संवर्गों में जो पद सचिवालय में है, वही पद विधान सभा में भी हैं। जैसे अनुभाग अधिकारी का पद सचिवालय में है, विधान सभा में भी है, संयुक्त सचिव, निजी सचिव, अपर सचिव और सचिव के पद सचिवालय में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, अर्थात जो भी पद वहाँ पर है, वह यहाँ पर भी हैं। लेकिन प्रतिवेदक कैडर एक ऐसा कैडर है, जो सचिवालय में नहीं है, केवल विधान सभा में है, जब कि प्रतिवेदक कैडर को उत्तर प्रदेश में इनके ही समकक्ष माना गया है। उत्तर प्रदेश में अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव को वही वेतनमान दिया जा रहा है, जो प्रतिवेदकों को दिया जा रहा है। मान्यवर, प्रतिवेदकों को भी वही वेतनमान दिया जा रहा था जो अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव को दिया जा रहा था, जबकि इस कैडर की क्वालीफिकेशन एक जैसी है तो क्या इस कैडर को समकक्ष मानेंगे, मैं यह जानना चाहता हूँ क्या इस कैडर को अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव को वेतनमान देंगे ?

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, प्रतिवेदक के साथ दो पद और हैं सम्पादक और डिप्टी मार्शल का पद भी इसमें शामिल है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम पूरे राज्य के सभी संवर्गों को देखेंगे तो 6500–10500 और 8000–13050 के अनेकों ऐसे पद होंगे जो इस कैडर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अगर विचार यह करेंगे कि हम सभी संवर्ग जितने हैं, सबको इसके अंदर ले जाएं तो यह संभव नहीं होगा।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, पहले एक वेतनमान रहा है सबका। इससे पूर्व जो फिफ्थ पे कमीशन हम दे रहे थे। फिफ्थ पे कमीशन में प्रतिवेदक का, अनुभाग अधिकारी का एवं निजी सचिव का एक ही वेतनमान था। अब वे जब सिक्स पे कमीशन हम दे रहे हैं तो चूंकि यह कैडर सचिवालय में नहीं होता, इसलिए इस कैडर की उपेक्षा हो रही है। तो हमारी मांग यह है क्योंकि आपने कहा कि मूल क्वेश्चन से हटकर है, मूल क्वेश्चन से इसलिए जुड़ा हुआ है कि जो समकक्ष हमारी मांग माननीय अध्यक्ष जी, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि क्या प्रतिवेदक कैडर को शासनादेश के तहत जो समकक्ष शब्द प्रयोग किया गया है उसके तहत मानेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, अद्यतन ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, जो विधान सभा में इतना काम प्रतिवेदक करते हैं और इस कैडर की सरकार उपेक्षा कर रही है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, सरकार पर आरोप न लगा करके विधान सभा के अंदर की जो एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उसकी चर्चा यहां विधान सभा सदन में नहीं हो सकती है।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। मान्यवर, प्रश्न किया जा रहा है, चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

चर्चा तो हो ही नहीं रही है।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, चर्चा नहीं हो रही है, सवाल क्यों नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न आ गया है।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न तो आ गया, सरकार का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

जवाब भी आ गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार ने तो कहा कि कोई विचार नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के चाहे कर्मचारी हों, जनता हो उसके संरक्षक आप हैं, ये सदन उसका संरक्षक है, अगर ये संरक्षक अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस सदन से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप विचार कर लें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में माहवार ओवरड्राफ्ट की स्थिति

*9–श्री केदार सिंह रावत एवं श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में ओवरड्राफ्ट की क्या स्थिति रही है तथा इन महीनों में स्वीकृत सीमा से कितना अधिक का ओवरड्राफ्ट लिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि माह अप्रैल 2009 में सरकार राजकीय कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं रही है ?

यदि हां, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के माह अप्रैल 2009 में राज्य सरकार दिनांक 01.4.2009 को रू0 184.15 करोड़, दिनांक 02.04.2009 को रू0 412.39 करोड़, दिनांक 04.04.2009 को रू0 425.80 करोड़, दिनांक 06.04.2009 को रू0 393.69 करोड़ तथा दिनांक 08.04.2009 को रू0 83.02 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में था। राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना में निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओवर ड्राफ्ट विनियमन जो योजना है, उसमें स्वीकृत अनुमन्य सीमा क्या है ओवर ड्राफ्ट की और वित्तीय वर्ष में ओवरड्राफ्ट कितनी बार और कितने का लिया गया है और ओवरड्राफ्ट लिये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि ओवरड्राफ्ट समय–समय पर सरकार के द्वारा लिया जाता रहा है। वह मैं अपने प्रश्न के मूल उत्तर में अवगत करा चुका हूँ कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना की निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है और जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा जो पूछा गया कि सीमा कितनी है तो ये मैं अवगत कराऊँ कि जो रिजर्व बैंक द्वारा सीमा निर्धारण है उसके आधार पर विशेष डब्ल्यू0एम0ए0 वह रिपो दर से एक प्रतिशत प्वाइंट कम पर लिया जाता है और डब्ल्यू0एम0ए0 आउट स्टैंडिंग जो हमारी है वो 297 करोड़ 85 लाख है श्रीमन्, और स्पेशियल डब्ल्यू0एम0ए0 लिमिट है जिसमें एक निर्धारित दर पर जो ब्याज दर है उस पर ये लिया जाता है और ये लिमिट है 152.85 करोड़ और नार्मल डब्ल्यू0एम0ए0 लिमिट पर 145 करोड़ की सीमा निर्धारित है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, ओवरड्राफ्ट लिये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विभिन्न कारणों से ओवर ड्राफ्ट लिया जाता रहा है। कोई भी राज्य सरकार प्रत्येक तिमाही में 36 दिनों से अधिक ओवरड्राफ्ट में नहीं रह सकती है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाता तो जो ये शर्तें हैं इसके माध्यम से समय–समय पर लगाई गई, और किसी भी राज्य सरकार के लिए 14 दिवस तक ओवरड्राफ्ट ले सकती है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने कारण पूछा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 01 अप्रैल 2009 को इस वर्ष प्रारम्भिक शेष 634.15 करोड़ था जिसके कारण अप्रैल माह प्रारम्भ होते ही हमको वित्तीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि क्या यह सत्य है कि माह अप्रैल, 2009 में सरकार राजकीय कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं रही है ? उत्तर आया जी नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ओवरड्राफ्ट किन परिस्थितियों में लिया जाता है ? क्या सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ऐसा विषय नहीं है। चूँकि जब भी वर्ष भर का जो बजट होता है, उसके जो प्रारम्भिक शेष हैं, जैसा मैंने अभी अनुपूरक में बताया कि 634.15 करोड़ ऋणात्मक था। उसके चलते हुए हमको अप्रैल के प्रारम्भ में व्यवस्था करनी थी उसके लिए ओवरड्राफ्ट किया।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, यह 01 अप्रैल को लिये गये ओवरड्राफ्ट के कारणों के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 634.15 करोड़ निगेटिव में था। लेकिन 2 अप्रैल को, फिर 4 अप्रैल को, फिर 6 अप्रैल को, फिर 8 अप्रैल को जो विभिन्न मदों के ओवरड्राफ्ट लिये गये हैं, इनके कारण स्पष्ट नहीं किये गये हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसे–जैसे धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे लिया जाता है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, किन कारणों से ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 31 मार्च को फाइनैंशियल एयर क्लोज होता है। उसके पश्चात् हमको तत्काल शुरू करने के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता पड़ती है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है उसके बारे में सदन को विश्वास में लेना चाहिए ? (व्यवधान)

प्रदेश में विद्युत कटौती को रोकने हेतु उपाय

*10–श्री प्रीतम सिंह, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्रीमती अमृता रावत, एवं श्री नारायण पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्युत कटौती की जा रही है ?

यदि हां, तो क्यों ?

क्या विद्युत कटौती को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश में नियमित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

ऊर्जा की माँग एवं उपलब्धता में अन्तर होने के कारण।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत कटौती कितने घंटे की जा रही है ? दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो विद्युत कटौती हो रही है उसका समय क्या है ? तीसरा प्रश्न यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो कटौती है उससे औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? चौथा प्रश्न यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत कटौती की गयी है, यह कब से की जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, 22 जून से 22 जुलाई के मध्य एक विज्ञापन के माध्यम से समय की सूचना पूरे राज्य में दी गई थी, यह पूर्व निर्धारित विद्युत कटौती की सूचना दी गई थी। उसके आधार पर 01 जुलाई को सम्पूर्ण राज्य के अन्दर केवल औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर कटौती बन्द करने के निर्देश सरकार ने दिये थे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरा उत्तर तो आने दीजिए। मान्यवर, शेड्यूल रोस्टिंग जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए की गई है वह 11 जुलाई, 2009 से 20 जुलाई, 2009 के मध्य रखा गया, जो नोटिस जारी किया गया, इसके आधार पर हरिद्वार क्षेत्र में 05 बजे से 07 बजे तक 02 घंटा, काशीपुर क्षेत्र में 07 बजे से 10 बजे तक 03 घंटा, कोटद्वार ऋषिकेश टाउन में जहाँ 66 के0वी0 कर्णप्रयाग, श्रीनगर लाईन है उसको छोड़कर के यहाँ 11.30 बजे से 13.30 बजे तक दो घण्टे, जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर का औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ 13 बजे से 16 बजे तक, 03 घण्टा। स्मॉल टाउन्स ऑफ उत्तराखण्ड इसमें 16 बजे से 19 बजे तक, 03 घण्टा। हल्द्वानी में 7.00 बजे से 10 बजे तक 03 घण्टा। कोटद्वार में 11.30 मिनट से 13.30 मिनट तक, दो घण्टा। मान्यवर, इस तरह से यह रोस्टिंग निर्धारित की गई है। यह माँग और उपलब्धता में अंतर रहने के कारण करना पड़ा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश में नियमित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो

मैं यही पूछ रहा था और माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भी विद्युत कटौती की जा रही है। मान्यवर, मैंने औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछा था। माननीय मंत्री जी औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत कटौती की बात बता रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने जो शुरू में उत्तर दिया था वह उत्तर 22 जून से 22 जुलाई तक एक विज्ञापन में निकलवाया गया था। उस विज्ञापन में यह कहा गया था कि हमें यह करना पड़ रहा है। लेकिन एक जुलाई से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं उसके अनुसार केवल औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर कहीं विद्युत कटौती नहीं हो रही है।

(कुछ सदस्यों द्वारा झूठ है, झूठ है कहे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, गत वर्ष की विद्युत उपलब्धता क्या थी, इस वर्ष क्या है ? उपलब्धता घटने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्ष 2008–09 में जल विद्युत निगम द्वारा 1365 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया। जिसके सापेक्ष राज्य में विद्युत की माँग 1913 मिलियन यूनिट थी। मान्यवर, इस वर्ष 2009–10 में जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल, मई और जून तीन महीने के आंकड़े दे रहा हूँ, जो 1104 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है। और राज्य की विद्युत की कुल माँग 2170 मिलियन यूनिट रही। इसी तरह से जो अधिकता में कमी आई, उसका कारण नदियों के जल स्तर में कमी होना है जिस कारण विद्युत उत्पादन में कमी आई।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, क्या सरकार इस वर्ष इस विसंगति को दूर करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। नदियों का जल स्तर कम होने के कारण यह स्थिति आई है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि एक जुलाई के बाद से विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। यह बात सरासर असत्य है। आप अभी भी परीक्षण करवा लें। पर्वतीय क्षेत्रों की बात छोड़ दें। मैदानी क्षेत्रों में भी 6 से 8 घण्टे तक रोस्टिंग की जा रही है। मान्यवर, देहरादून राजधानी के क्षेत्रों की आप जाँच

करा दीजिए, इसलिए जो अधिकारी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं वह सरासर असत्य है, उसकी आप जानकारी करा लें और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि वर्ष 2007 के बाद सरकार द्वारा कितनी लाईन लॉस में कितनी कमी की गयी है या कितनी कटौती की गयी है ? क्या आप बतायेंगे कि वर्ष 2007-08, 2008-09 में आपने क्या लक्ष्य रखा है ? केवल 15 प्रतिशत कम कर रहे हैं कहने से नहीं हो जाता है और जब तक इस कार्य को धरातल पर न किया जाय। मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है वह कितनी मेगावाट की बैंकिंग कर रहे हैं और कितनी वापस ली और किस रेट से बैंकिंग की है और किस रेट से हम वापस ले रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जहाँ विद्युत कटौती का प्रश्न है, घोषित विद्युत कटौती नहीं है किसी भी तरह से विद्युत कटौती न की जाय। इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये थे और 01 जुलाई से यह कटौती बन्द कर दी गयी थी। केवल औद्योगिक क्षेत्र में हो रही है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज की तिथि में जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसके आधार पर केवल औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर और कहीं विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मौ० निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के समय में रहते हुए, कभी कावड़ियों के समय में कभी विद्युत कटौती नहीं की गयी, इस सरकार के टाइम पर पहली बार विद्युत कटौती हो रही है। मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार सम्मानित सदन को गुमराह कर रही है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत कटौती की जा रही है। (व्यवधान के मध्य में) मान्यवर, राज्य के जो अन्य क्षेत्र हैं विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से कोई विद्युत कटौती नहीं की गयी है। माना किसी तरह से

बारिश के समय में ट्रांसफार्मर खराब हो गया या विद्युत पोल गिर गया। निश्चित तौर पर विद्युत में व्यवधान हो रहा होगा। मान्यवर, विद्युत कटौती की श्रेणी में नहीं की जा सकती है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, कितनी बैंकिंग लॉस हो रही है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आने दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो लाईन लॉस के बारे में प्रश्न पूछा है। वर्ष 2006–07 में 40 प्रतिशत था। वर्ष 2008–09 में इसमें हमने प्रयास किया।

श्रीमती अमृता रावत–

वर्ष 2007–08 में।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वह विस्तृत जानकारी अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। विस्तृत विवरण तो नहीं मिल पायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप वर्ष 2008–09 के बारे में बता दें। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, लाईन लॉस कितनी हो रही है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, लाईन लॉस वर्ष में लगभग 40 प्रतिशत था और वर्ष 2008–09 में इसमें हमने प्रयास किया।

श्रीमती अमृता रावत–

पूरे प्रदेश को बिजली नही मिल रही है उसका प्रमुख कारण लाईन लॉस है और उसको कैसे पूरा किया जाय सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ा मुख्य कारण लाईन लॉस है। अधिकारी गलत सूचना देते हैं आप उस बात को मान लेते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

आप तो बहुत धैर्यपूर्वक बोलने की आदी हैं, आज इतनी उत्तेजित होकर क्यों बोल रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, लोग बिजली के लिए त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहे हैं सरकार प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पा रही है। इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मेरी बात तो पहले माननीय सदस्य सुनें तो। मैं बता रहा हूँ। पहले सुन तो लें। श्रीमन्, 2008–09 में हम इसको 34 प्रतिशत लेकर आए हैं। इसका कॅम्परेटिव चार्ट हम बाद में उपलब्ध करायेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले पूरी बात तो आने दीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय, ये गलत बोल रहे हैं पहले हमारी बात तो सुनें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज का ये उत्तर चाहते हैं। उत्तर तो दे दिया जो प्रश्न किया गया था। सन् 2006–07 में 40 प्रतिशत था और वर्ष 2007–08 में 40 प्रतिशत और 2008–09 में 34 प्रतिशत तो यह कहां से ज्यादा हो गया। आप जो उत्तर चाह रहे हैं मैं दे रहा हूँ पहले आप मेरी बात को सुनें और जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा बैंकिंग के सम्बन्ध में, उसमें 2006–07 में 19 मिलियन यूनिट, 2007–08 में 183 मिलियन यूनिट और 2008–09 में 133 मिलियन प्रति यूनिट बैंकिंग की गयी।

(घोर व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, बैंकिंग हो ही नहीं रही है मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय निजामुद्दीन की बात का संज्ञान न लिया जाय। माननीय निजामुद्दीन जी, मूल प्रश्न उनका है।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, लाईन लॉस के बारे में उत्तर नहीं आया है इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करके जनहित के इस प्रश्न पर चर्चा करायी जाय। यह प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बैंकिंग के सम्बन्ध में जानकारी चाही है तो बैंकिंग श्रीमन्, कटौती नहीं हो रही है। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर विषय है, विद्युत का संकट उत्तराखण्ड में है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आया। मान्यवर, कटौती की जा रही है और सरकार मान नहीं रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया है अब कौन से प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए।

काजी मौ० निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार जब यह भी मानने को तैयार नहीं कि कटौती हो रही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी 5–5 घण्टे कटौती हो रही है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद को छोड़कर सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी–अपनी बात एक साथ कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान लिया जाए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रदेश में लगातार विद्युत की कटौती हो रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार लगातार प्रदेश में विद्युत की कटौती कर रही है, पूरे प्रदेश में विद्युत संकट है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया सदन व्यवस्थित करावें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य चाह क्या रहे हैं यह तो बता दें, आप लोगों की माँग क्या है यह तो बता दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार जवाब दे रही है कि कोई विद्युत कटौती नहीं हो रही है। मान्यवर, इसमें आधे घण्टे की चर्चा करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जाये, जब तक कि हाउस व्यवस्थित न हो जाए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्रों में लगातार विद्युत जा रही है। विद्युत कटौती की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। चर्चा के लिए आप लिखित में माँग करें, आप लिखकर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण की माँग क्या है अभी तक यही पता नहीं चल रहा है। श्रीमन्, अगर उत्तर से असंतुष्ट हैं तो नियमावली में प्राविधान है कि आप उत्तर के लिए स्पष्टीकरण ले सकते हैं, आप नियमावली के प्राविधानों के तहत आयें।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद को छोड़कर सभी माननीय सदस्य "वैल" में खड़े थे और अपनी-अपनी बातें कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

प्रदेश में विदेशी नागरिकों द्वारा क्रय भूमि एवं नियम

*11–श्री प्रीतम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विदेशी नागरिकों द्वारा जमीन क्रय की गई है ? यदि हां, तो कब ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विदेशी नागरिकों को प्रदेश में भूमि क्रय करने के लिए कोई नियम है ? यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ। विभिन्न जिलों में विभिन्न समय पर विदेशी नागरिकों द्वारा भूमि क्रय की गयी है।

विदेशी नागरिकों के द्वारा भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विधिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 154 (क) में उपलब्ध है। यह व्यवस्था इस प्रकार है–

154–क. विदेशी नागरिक भूमि अर्जित नहीं करेंगे–

1–इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई विदेशी राष्ट्रिक राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, विक्रय या दान द्वारा, कोई भूमि अर्जित नहीं करेगा।

नोट:– तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

2–किसी भूमिधर को उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को किसी भूमि का संक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा।

3–इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया प्रत्येक संक्रमण शून्य होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शिलान्यास व लोकार्पण की नीति एवं समारोह में निर्धारित भूमिका

*12–श्रीमती अमृता रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायकों के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास करने तथा निर्मित योजनाओं का लोकार्पण करने कि लिये सरकार द्वारा क्या नीति–रीति तैयार की गयी है तथा शिलान्यास अथवा लोकार्पण समारोह में क्षेत्रीय विधायक की क्या भूमिका निर्धारित की गई है ?

क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय विधायक के उसके ही विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत एवं निर्मित योजनाओं का शिलान्यास अथवा लोकार्पण करने से वंचित करने हेतु शासनादेश जारी किया गया है ?

क्या सरकार योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण हेतु निर्धारित नीति–रीति प्रक्रिया में परिवर्तन किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से सम्बन्धित कार्यों के शिलान्यास एव उद्घाटन/लोकार्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–243/XXXI(13)G/08–39(2)/2008, दिनांक 19 जून, 2008 को जारी किया गया है।

जिला योजना/राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण अथवा उदघाटन के अवसर पर स्थानीय मा0 विधान सभा सदस्य विशेष आमंत्री रहेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या–243/XXXI(13)G/08–39(2)/2008, दिनांक 19 जून, 2008 द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

दून महायोजना (मास्टर प्लान) के लिये जोनल प्लान एवं अब तक हुई कार्यवाही

*13–श्री प्रीतम सिंह–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दून महायोजना (मास्टर प्लान) के लिये जोनल प्लान तैयार करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून महायोजना 2005–2025 में निर्धारित 11 जोन्स में से 8 सक्रिय नगरीय उपयोग जोन्स के जोनल डेवलपमेंट प्लान को तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून स्थित एम0डी0डी0ए0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण

*14–श्रीमती आशा–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एम0डी0डी0ए0 में कितने अधिकारी/कर्मचारी कब–कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, का पूरा विवरण क्या है ?

तीन वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण क्या है ?

तथा इनको कब तक इनके मूल विभाग को वापस भेज दिया जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में वर्तमान तक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की विवरण निम्नवत् है–

1–उपाध्यक्ष	–दिनांक: 15–06–2009 से
2–सचिव	–दिनांक: 13–08–2008 से
3–मुख्य लेखाधिकारी	–दिनांक: 01–12–2008 से
4–नगर नियोजक	–दिनांक: 12–06–2008 से
5–नायब तहसीलदार	–दिनांक: 18–05–2009 से
6–लेखपाल	–दिनांक: 12–12–2008 से

तीन वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर मात्र लेखपाल कार्यरत है।

प्रतिनियुक्ति की यथा संशोधित अवधि समाप्त होने पर।

*15–श्रीमती आशा–

द्वितीय गुरूवार के तारांकित–17 में स्थानान्तरित।

जनपद देहरादून में एम0डी0डी0ए0 द्वारा शहर में हाउसिंग सोसाइटीज को विकास शुल्क में छूट प्रदान करने का औचित्य एवं आधार

*16–श्रीमती आशा–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एम0डी0डी0ए0 द्वारा देहरादून तथा मसूरी शहर में विगत चार वित्तीय वर्षों में किन–किन हाउसिंग सोसाइटीज को विकास शुल्क में छूट प्रदान की गई है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास शुल्क में छूट प्रदान किये जाने का औचित्य एवं विधिक आधार क्या है ?

क्या सरकार कानून के समक्ष समानता तथा एकरूपता के सिद्धान्त के अनुसार समस्त हाउसिंग सोसाइटीज को विकास शुल्क में छूट प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो विभेदकारी नीति अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा देहरादून तथा मसूरी शहर में विगत चार वित्तीय वर्षों में किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज को विकास शुल्क में छूट प्रदान नहीं की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक मंदीकरण के दौर में राज्य की आर्थिक स्थिति के सुदृढीकरण हेतु सरकार की नीति

*17–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मा0 मुख्यमंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान आर्थिक मंदीकरण के दौर में राज्य की आर्थिक स्थिति के सुदृढीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मंदीकरण के बावजूद वित्तीय वर्ष 2009–10 में वित्तीय वर्ष 2008–09 के स्वयं के कर राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान रू0 3053.63 करोड़ के सापेक्ष 15.56 प्रतिशत वृद्धि लेते हुये रू0 3528.89 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार करेत्तर राजस्व में वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमान रू0 656.88 करोड़ के सापेक्ष 117.50 प्रतिशत की वृद्धि लेते हुये रू0 1428.69 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। अन्य स्रोतों से भी आय के संसाधन बढ़ायेंगे।

उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान मुजफ्फरनगर (रामपुर तिराहे) कांड में लापता आन्दोलनकारियों की तलाश हेतु उठाये गये कदम

*18–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि 2 अक्टूबर, 1994 को उत्तराखण्ड आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर (रामपुर तिराहे) कांड में कितने आंदोलनकारी लापता हुये हैं ?

क्या सरकार द्वारा उनकी तलाश हेतु कदम उठाये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या * ?

यदि नहीं तो क्यों ?

सरकार लापता आंदोलनकारियों के परिवारों के कल्याणार्थ क्या कदम उठा रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

उत्तराखण्ड आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर (रामपुर तिराहे) कांड में 02 आंदोलनकारियों का लापता होना प्रकाश में आया है।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर (रामपुर तिराहे) कांड में लापता 02 आंदोलनकारियों के सम्बन्ध में जनपद के समस्त थानों में रिपोर्ट दर्ज कर तलाश की गयी। किन्तु लम्बी अवधि तक तलाश करने के उपरान्त भी लापता आंदोलनकारियों का पता नहीं चल सका।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी जनपद के लापता उक्त 02 आंदोलनकारियों के सम्बन्ध में अन्ततः न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नई टिहरी द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 31–8–2006 एवं दिनांक 30–9–2006 के द्वारा श्री आत्माराम अमोला एवं श्री गोपाल दत्त सेमवाल

को सिविल मृत घोषित किया गया है। श्री आत्माराम अमोला के परिजनों को रूपये 40,000/ एवं श्री गोपाल दत्त सेमवाल के परिजनों को रूपये 50,000/ की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

प्रदेश के मैदानी जनपदों ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में रहने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मूल निवास व जाति प्रमाण–पत्र निवास की सहायता से कठिनाइयों तथा निर्धारित नीति

*19–श्री नारायण पाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि वर्तमान में प्रदेश के मैदानी जनपदों ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में रहने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मूल निवास व जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु 40 वर्षों से निवास की बाध्यता व तीन पीढ़ियों का ब्यौरा मांगे जाने के नियम के कारण इस वर्ग के सैकड़ो छात्र/छात्राएं व रोजगार में जाने वाले युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त विषय पर कोई स्पष्ट व सरल नीति निर्धारित हुई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नीति निर्धारित की जायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्नगत विषय में शासन द्वारा पूर्व से ही स्पष्ट नीति निर्धारित की गयी है।

कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1301/XXX(2)/2006 दिनांक 22 जून 2006 तथा समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 1358/XVII(i)–1/2006–1(62)/2005 दिनांक 15 सितम्बर, 2006 में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

20–श्री राजेश जुवांठा–

आश्वासन समिति के विचाराधीन विषय।

अतारांकित प्रश्न

एम0डी0डी0ए0 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर न रखे जाने के कारण

1–श्रीमती आशा–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एम0डी0डी0ए0 के वार्षिक लेखा विवरण किस वित्तीय वर्ष से सदन के पटल पर रखे गये हैं ?

इनको सदन के पटल पर न रखे जाने के क्या कारण रहे तथा इस विलम्ब के लिये कौन दोषी है ?

क्या लम्बित लेखा विवरण विधान सभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रख दिये जाऐंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण का गठन उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 के अन्तर्गत किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राधिकरण के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल में रखे जाने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उपरोक्त अधिनियम में व्यवस्था न होने के कारण।

चमोली जिले के घाट ब्लाक में घुर्मा कुगेड़ से मोख मल्ला तक सड़क का निर्माण

2–श्री यशपाल बेनाम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चमोली जिले के घाट ब्लाक में घुर्मा कुगेड़ से मोख मल्ला तक सड़क निर्माण करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घुर्मा से कुण्डी तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग एक सेतु सहित स्वीकृत है। इस मार्ग के किमी0 2.00 से ग्राम मल्ला मोख को जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–8 के अन्तर्गत आगणन उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की ऊर्जा से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में अग्रसारित पत्रों में वर्णित समस्याओं का निराकरण

3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की ऊर्जा से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रांक VIP/8076/2008 दिनांक 10.10.2008 तथा पत्रांक VIP/8076/XXX–1/2009 दिनांक 12.03.09 के साथ अग्रसारित पत्रों में वर्णित समस्याओं पर की गई कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण क्या है ?

तथा कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत न करवाये जाने के कारण क्या है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

उक्त दोनों पत्रों में उल्लिखित ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित बिन्दु, जोकि सतपुली में उपखण्ड अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में है, पर कार्यवाही की जा चुकी है।

कृत कार्यवाही से ऊर्जा विभाग के पत्र संख्या VIP–24/II/1(2)/2009–05/26/2008, दिनांक 09.07.2009 से अवगत कराया गया है।

4–श्रीमती अमृता रावत–

आश्वासन समिति के विचाराधीन विषय

वर्ष 2007 से 2009 तक मुख्यमंत्री कोष से बीमारियों के उपचारार्थ स्वीकृत धनराशि

5–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गम्भीरतम बीमारियों के उपचारार्थ धन स्वीकृत किया जाता है ?

यदि हाँ, तो वे बीमारियाँ कौन–कौन सी हैं एवं 2007–08, 2008–09 वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि इन बीमारियों के उपचारार्थ स्वीकृत की गयी है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

सभी प्रकार की गम्भीरतम बीमारियों के लिए।

वर्ष 2007–08 में रू0 1,12,14,595/–एवं वर्ष 2008–09 में रू0 2,44,74,316/– कुल धनराशि रू0 3,56,88,911/– (रू0 तीन करोड़ छप्पन लाख अट्‌ठासी हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) स्वीकृत की गयी है।

लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति के विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्तियां

6–श्री राजेश जुवांठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति के कौन–कौन सी श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति की श्रेणीवार रिक्तियाँ निम्नवत हैं :–

	श्रेणी		रिक्ति
1.	श्रेणी "क"	–	14 पद
2.	श्रेणी "ख"	–	16 पद
3.	श्रेणी "ग" (तकनीकी)	–	102 पद
4.	श्रेणी "ग" (गैर–तकनीकी)	–	38 पद
5.	श्रेणी "घ"	–	26 पद

पदोन्नति के रिक्त पदों पर नियुक्ति निर्विवादित अंतिम संयुक्त ज्येष्ठता सूची निर्गत होने के उपरान्त की जायेगी तथा सीधी भर्ती के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यॉंत्रिक/प्राविधिक) के पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है तथा सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। समूह "ग" एवं समूह "घ" के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में वर्ष, 2002 के बाद स्वीकृत सड़कों की संख्या एवं निर्माण कार्य

7–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में वर्ष, 2002 के बाद स्वीकृत सड़कों की संख्या क्या है तथा स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य गन्तव्य स्थान तक पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में वर्ष, 2002 के बाद स्वीकृत सड़कों की संख्या 94 है तथा 45 सड़कों का निर्माण कार्य गन्तव्य स्थान तक पूर्ण हो चुका है।

अवशेष 49 सड़कों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही गतिमान है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1–निर्माण कार्य प्रगति पर	21 कार्य
2–निविदा निस्तारण के स्तर पर	04 कार्य
3–वन भूमि हस्तान्तरण के स्तर पर	16 कार्य
4–समरेखण निर्धारण के स्तर पर	08 कार्य

जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा रा0महा0वि0 लोहाघाट में क्रीड़ा स्थल, भवन निर्माण व विभिन्न विषयों की स्वीकृति आदि के सम्बन्ध की गई घोषणा की कार्य प्रगति

8–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त, 2006 को धामदेव जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट में क्रीड़ा स्थल के विस्तारीकरण हेतु रू0 10 लाख/राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा में अंग्रेजी व संस्कृत विषय की स्वीकृति एवं राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट में विज्ञान एवं वाणिज्य भवन के निर्माण कार्यों की घोषणायें की गयी थीं ?

यदि हाँ, तो उक्त घोषणाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट के तीसरा स्तर के विस्तारीकरण एवं महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य भवन निर्माण के आगणन निर्माण हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। स्नातकोत्तर कक्षा में अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय हेतु धनराशि एवं पदों का आंकलन भी विचाराधीन है।

जनपद हरिद्वार में रुड़की के आरक्षी द्वारा बिना कारण मारपीट करने के जुर्म में पुलिस द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण

9–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 को रुड़की (जनपद हरिद्वार) में एक छात्र को थाना कोतवाली रुड़की के आरक्षी द्वारा बिना कारण ही लाठी का प्रहार कर, हाथ की हड्डी तोड़ देने के जुर्म में मुकदमा संख्या–161/09, दिनांक 23.04.09 थाना कोतवाली रुड़की द्वारा अभियुक्त करार दिया गया था ?

यदि हाँ, तो अब तक पुलिस द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

क्या सरकार उत्पीड़ित छात्र को जनहित में न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ। दिनांक 10–12–2008 को रुड़की में तैनात आरक्षी द्वारा लाठी का प्रहार कर हड्डी तोड़ने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 23.04.2009 को वादी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री श्रवण सिंह निवास ग्राम शेरपुर द्वारा थाना रुड़की पर मु0अ0सं0 161/2009 धारा 323, 325, 504, 506, 389 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया।

प्रकरण में कोई साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट सं0 19/09 दिनांक 24.04.09 को मा0 न्यायालय में प्रेषित करते हुए विवेचना खारिज कर दी गयी है।

सम्प्रति प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट में आयुर्वेदिक फार्मेसी विषयों के संचालन हेतु की गई घोषणा पर प्रगति

10–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महँ भाई"–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 अगस्त, 2008 को धामधो, जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट में आयुर्वेदिक फार्मेसी विषयों के संचालन हेतु घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त संदर्भ में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

आयुर्वेदिक फार्मेसी पाठ्यक्रम में संचालन हेतु भारतीय भेषज संघ की मान्यता आवश्यक है। मान्यता प्राप्त न होने के कारण राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान लोहाघाट में उक्त पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर वित्तीय वर्ष, 2008–09 में वितरित पोषाहार की व्यवस्था

11–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर विगत वित्तीय वर्ष 2008–09 में कितने दिनों के लिए पोषाहार दिया गया ?

क्या वर्तमान में पोषाहार आपूर्ति चालू है ?

यदि नहीं, तो आगामी वर्षों हेतु पोषाहार की क्या व्यवस्था की गयी है ?

बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार) (श्रीमती विजया बड़थ्वाल)–

जी हाँ, विगत वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 221 दिन आँगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पोषाहार का वितरण किया गया है।

प्रदेश में आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्तर पर गठित माता समितियों के माध्यम से 03 से 06 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों (स्कूल पूर्व के बच्चों) को "कुक्ड फूड" योजनान्तर्गत पका–पकाया भोजन प्रथम चरण में प्रदेश के 03 जनपदों (टिहरी चमोली एवं उत्तरकाशी) में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रदेश के शेष अन्य 10 जनपदों में

03 से 06 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को भी "कुक्ड फूड" योजनान्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों तक मातृ समितियों के माध्यम से पका-पकाया भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनांक 07.07.2009 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इसी प्रकार अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत "टेक होम राशन" (लाभार्थी समूह-07 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री मातायें तथा किशोरी बालिकायें) की आपूर्ति भी शासन के अग्रिम आदेशों तक पूर्ववत कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 07.07.2009 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है।

आगामी वर्षों हेतु अनुपूरक पोषाहार की व्यवस्था किये जाने का प्रकरण शासन के परीक्षणाधीन है।

हिल्ट्रॉन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को मानदेय न मिलने पर सरकार द्वारा कार्यवाही

12-श्री गणेश जोशी-

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि हिल्ट्रॉन के माध्यम से जो दैनिक वेतनभोगी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं उन्हें पिछले 5-6 माह से मानदेय नहीं दिया गया ?

यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

क्या सरकार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आपदा प्रबन्धन नीति एवं निर्धारण के मानक

13-श्री गणेश जोशी-

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कोई आपदा प्रबन्धन नीति बनायी गयी है ?

यदि हां, तो क्या जो नीति निर्धारित की गयी है वह राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की गयी है एव नीति निर्धारण के मानक क्या है ?

उक्त नीति के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजपुर देहरादून में कितना कार्य कराया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं। अब तक केन्द्र सरकार द्वारा भी आपदा प्रबन्धन संबन्धित कोई नीति तैयार नहीं की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन नीति प्रख्यापित किये जाने के उपरान्त ही उनमें वर्णित प्राविधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन नीति को अन्तिम स्वरूप दिया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में दैवीय आपदा के अन्तर्गत आवंटित की गई धनराशि एवं इसके मानक

14–श्री मयूख सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में गत दो वर्षों में दैवीय आपदा से राहत हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है एवं आपदा राशि को आवंटित करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा क्या मानक शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा जनपद को आवंटित राशि वि0ख0 वार किस तरह आवंटित किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि आपदा राशि से कुल कितने नव निर्माण कराये गये हैं एवं आपदा कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व आपदा स्थल के फोटो ग्राफ लिये गये तथा किसी सक्षम अधिकारी की संस्तुति ली गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पिथौरागढ़ को सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय 2007–08 में रू0 26,40,10,000/– तथा वर्ष 2008–09 में रू0 90,00,000/– की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

आपदा राहत निधि से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा गाइड लाईन्स निर्धारित की गई है, जिसमें कि मद संख्या–18 के अंतर्गत इसका प्राविधान किया गया है। जिसका उद्धरण सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। †

आपदा राहत निधि से धनराशि मानकों के अनुरूप वितरित की जाती है। विकास खण्डवार धनराशि आवंटित किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

---

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–176–177 पर)

नव निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आपदा स्थल के फोटोग्राफ कार्यदायी संस्था द्वारा दिये गए हैं तथा कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० एवं उप जिलाधिकारी की संस्तुति ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के लक्सर स्थित के०वी० इन्टर कालेज की भूमि राजकीय महाविद्यालय लक्सर के हस्तान्तरण पर कार्यवाही

15–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15.10.2008 के सापेक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित पत्र संख्या–VIP/8336/XXXV–1/2008(2) देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर, 2008, जो जनपद हरिद्वार के लक्सर के के०वी० इन्टर कॉलेज की भूमि, जो लक्सर के समीप मुरनी–खतीरपुर के रकबे में स्थित है, का अधिग्रहण कर राजकीय महाविद्यालय लक्सर को हस्तान्तरित किये जाने से सम्बन्धित है, पर अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में राजकीय महाविद्यालय हेतु उक्त भूमि का हस्तान्तरण करेगी ? यदि हॉं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हॉं, कार्यवाही की गयी है।

के०वी० इंटर कालेज लक्सर के स्वामित्व की भूमि में से एक हेक्टेयर भूमि राजकीय डिग्री कालेज के लिए हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत थानों–सूर्यधार–सनगांव–नाहींकलां–सतेली मार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति

16–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून अन्तर्गत थानों–सूर्यधार–सनगांव–नाहींकलां–सतेली मार्ग फरवरी–2004 से स्वीकृत है किन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

वन भूमि का हस्तान्तरण होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत इठारना से देवली तक स्वीकृत निर्माण कार्य की प्रगति

17–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून अन्तर्गत इठारना से देवली तक मोटर मार्ग स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

वन भूमि का हस्तान्तरण न होने के कारण।

गढ़वाल वि0वि0 से सम्बद्ध निजी बी0एड0 कालेजों में कट ऑफ मेरिट से नीचे अंक पाने वाले छात्र–छात्राओं को सामान्य वर्ग में प्रवेश दिये जाने के कारण

18–श्री बृजमोहन कोटवाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी बी0एड0 कालेजों में वर्ष 2007–2008 तथा 2008–2009 में कट ऑफ मेरिट से नीचे अंक पाने वाले छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिये जाने से आरक्षित वर्ग के पात्र छात्र–छात्राओं के लिए आरक्षित स्थान सामान्य वर्ग को दिया गया है ?

यदि हाँ, तो इसके कारण क्या है ?

क्या सरकार इस स्थिति को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठा रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ। शिक्षा सत्र 2007–08 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ निजी बी0एड0 कालेजों द्वारा प्रबन्धकीय कोटे में अनियमित प्रवेश किया जाना पाया गया है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी बी0एड0 कालेजों में शिक्षा सत्र 2007–08 में 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर नियमानुसार आरक्षण का अनुपालन करते हुये प्रवेश किये गये थे। कुछ निजी बी0एड0 कालेजों द्वारा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे की

सीटों पर कट आफ मैरिट से नीचे प्राप्तांको वाले छात्र-छात्राओं को आरक्षण के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये अनियमित प्रवेश किया जाना पाया गया है।

शिक्षा सत्र 2008-09 हेतु प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।

दिनांकः 15 जनवरी, 2009 से गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाने के कारण इस सम्बन्ध में विधि अनुसार कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से की जानी है।

जनपद पौढ़ी के सिद्धपीठ ताड़केश्वर मन्दिर में विद्युतीकरण

19-श्रीमती अमृता रावत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के सिद्धपीठ ताड़केश्वर मन्दिर के विद्युतीकरण हेतु विद्युत पोल स्थापित किए गए हैं, किन्तु एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक विद्युत लाइन का निर्माण नहीं किया जा सका है ?

यदि हाँ, तो विद्युत पोल कब स्थापित किए गए थे ?

और विद्युत लाइन का निर्माण अभी तक न किए जाने के कारण क्या है ?

तथा कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

जी नहीं। सिद्धपीठ ताड़केश्वर मंदिर के विद्युतीकरण हेतु विद्युत पोल स्थापित है तथा लाईन का निर्माण किया जा चुका है।

विद्युत पोल जुलाई, 2007 तक स्थापित कर दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

20-श्री जोत सिंह गुनसोला-

तृतीय सोमवार के अता0 11 में स्था0।

जनपद नैनीताल विकास खण्ड ओखलकॉडा व धारी में वर्ष 2003 से 2009 तक मार्ग व कार्य प्रगति

21-श्री नारायण पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकॉडा व धारी में वर्ष 2003 से 2009 तक कितने नये मार्ग स्वीकृत हुए और इनमें से कितने मार्ग पूर्ण हो चुके हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ओखलकाँडा के अन्तर्गत चोरगलिया–मीडार मोटर मार्ग, धारी के अन्तर्गत पलड़ा–कनरका–देवनगर मोटर मार्ग, पलड़ा से सामुदायिक भवन तक सी०सी० मार्ग में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

वर्ष 2003 से 2009 तक जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाँडा में 38 व विकास खण्ड धारी में 36 मार्ग स्वीकृत हुये हैं, जिनमें से विकास खण्ड ओखलकाँडा में 5 मार्ग एवं विकास खण्ड धारी में 12 मार्ग पूर्ण हो चुके हैं।

अपूर्ण मोटर मार्गों पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही गतिमान है।

ओखलकाँडा के अन्तर्गत चोरगलिया–मीडार मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है। धारी के अन्तर्गत पलड़ा–कनरका–देवनगर मोटर मार्ग, पलड़ा से सामुदायिक भवन तक सी०सी० मार्ग का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

धारी के अन्तर्गत पलड़ा–कनरका–देवनगर मोटर मार्ग पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति किये जाने व पलड़ा से सामुदायिक भवन तक सी०सी० मार्ग में सरेखण विवाद होने के कारण।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता, कालसी में उपलब्ध कृषि भूमि

22–श्री प्रीतम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता, कालसी में कुल कितनी कृषि भूमि है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ। जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता व कालसी में कुल 18705.161 हैक्टेयर कृषि भूमि है।

जनपद पिथौरागढ़ में स्वीकृत सड़कों की धनराशि व लम्बाई का खण्डवार विवरण

23–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत दो वर्षों में जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितनी सड़कें स्वीकृत हुयी हैं तथा प्रत्येक सड़क हेतु स्वीकृत राशि, रोड की लम्बाई वि०ख० वार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कितनी सड़कों की निविदा 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा कम थी ?

क्या 40 प्रतिशत से न्यून योजनाओं को विभाग स्वीकृत करता है ?

यदि हाँ, तो मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि इसमें कितनी रोडों में कार्य प्रारम्भ हुआ है और कितनी प्रगति में हैं ?

क्या उक्त रोडें निर्धारित समय में पूर्ण हो जायेगी यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पिथौरागढ़ में गत दो वर्षों में कुल 76 सड़कें स्वीकृत हुई हैं जिनकी स्वीकृत राशि, लम्बाई एवं विकासखण्ड वार विवरण संलग्न है। †

4 सड़कों की निविदा 40 प्रतिशत से कम पर प्राप्त हुई।

जी हां।

उक्त 4 में से 3 सड़कों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 1 सड़क हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सड़कों को निर्धारित समय से पूर्ण कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत जोगीवाला से मोहकमपुर मार्ग पर पुलिस चौकी के समीप स्पीड ब्रेकर का निर्माण

24–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून में विकास खण्ड, रायपुर के अन्तर्गत हरिद्वार रोड (जोगीवाला से मोहकमपुर) पर पुलिस चौकी के समीप (पेट्रोल पम्प के आगे) आज तक कई मार्ग दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पेट्रोल पम्प के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर एवं जेब्रालाइन बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–178–182 पर)

उक्त मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है। अतः राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने का प्राविधान नहीं है। इस मार्ग का चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जेब्रालाईन बनाने का कार्य किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मौनपालन को बढ़ावा देने की कार्य योजना

25–श्री प्रीतम सिंह–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मौनपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जी हाँ।

मौनपालन को व्यवसाय के रूप में बढ़ावा दिये जाने, रोजगारपरक बनाये जाने तथा औद्यानिकी फसलों की पर–परागण के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि हेतु उद्यान विभाग में मौनपालन एक घटक के रूप में सम्मिलित है। विभागीय तथा केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत मौनपालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभाग द्वारा निम्नवत् कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :–

जिला सेक्टर–

मौनपालकों को मौनपालन की तकनीकों से भिज्ञ कराने हेतु विभाग द्वारा सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी को रू0–50/– प्रतिदिन की छात्रवृत्ति दी जाती है।

राज्य सैक्टर–

1– मौनपालकों को प्रति मौनवंश (कालोनी) मौन बाक्स सहित क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर अधिकतम रू0–800/– का अनुदान दिया जाता है।

2– पुष्पन के समय पर–परागण हेतु उद्यानों में मौन बाक्स रखने हेतु परिवहन में प्रति मौन बाक्स रू0–200/– का अनुदान (अधिकतम 04 मौनवंश प्रति हैक्टेयर) दिया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त राजकीय मौनपालन केन्द्र ज्योलीकोट नैनीताल में मौनपालकों हेतु 45 दिन के नियमित प्रशिक्षण शिविर भी चलाये जा रहे हैं, जिसमें प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0–5/–प्रतिदिन की दर से रू0–225 की छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

केन्द्रपोषित (हार्टिकल्चर टैक्नोलाजी मिशन) योजना–

1– मधुमक्खी विकास हेतु रू0–800/– प्रति मौनवंश (कालोनी) मौन बाक्स सहित क्रय करने हेतु (अधिकतम 50 बाक्स प्रति लाभार्थी) अनुदान दिया जाता है।

2– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हार्टिकल्चर टैक्नोलाजी मिशन (मिनी मिशन–IV) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु 50% वित्तीय सुविधा अनुमन्य करायी जाती है, जिसमें नई प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम रू0–4.00 करोड़ तथा चालू इकाई के उच्चीकरण हेतु अधिकतम रू0–1.00 करोड़ की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार विधान सभा अन्तर्गत ग्रोथ सेंटर, सिगड्डी में लगे उद्योग में स्थानीय बेरोजगारों को आरक्षण के लाभ का अनुपालन

26–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

1–क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे ग्रोथ सेंटर, सिगड्डी में लगने वाले उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु 70% आरक्षण लागू है ?

2–यदि हाँ, तो क्या आरक्षण का अनुपालन किया जा रहा है ?

3–यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार देवीरोड–चित्तरखाल मार्ग के चौड़ीकरण हेतु विद्युत पोलों को हटाने की कार्यवाही

27–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार देवीरोड–चित्तरखाल मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य विद्युत पोलों के कारण बाधित हो रहा है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त के कारण लगातार मार्ग दुर्घटनाओं का भय बना रहता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन विद्युत पोलों को हटाने की कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र

प्रश्न नहीं उठता।

पटवारी चौकियों को एक मंजिला से द्विमंजिला बनाये जाने की प्रगति एवं कार्य योजना

28–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–01 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक एक मंजिला पटवारी चौकियों को द्विमंजिला बनाये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा इस हेतु वित्तीय संसाधनों की क्या व्यवस्था की गई है और कब तक इन एक मंजिला चौकियों को द्विमंजिला बनाए जाने की योजना है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्तमान में प्रदेश के अधूरे/निर्माणाधीन पटवारी चौकी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। एक मंजिला भवनों में चूंकि कार्यालय संचालित हो रहे हैं, अतः सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इन्हें द्विमंजिला कराये जाने हेतु अभी धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इन पटवारी चौकियों को भी अन्य चौकियों की भांति द्विमंजिला बनाये जाने हेतु यथासमय योजना आगणन प्राप्त कर कार्यवाई की जानी प्रस्तावित है।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2007 में अतिवृष्टि से प्रभावित जौरासी तथा ओगला के पीड़ितों के पुर्नवास हेतु कार्य योजना

29–श्री मयूख सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2007 में हुयी अतिवृष्टि से प्रभावित जौरासी तथा ओगला के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी योजना क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2007 में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित ओगला गांव के पीड़ित 04 परिवारों को तत्समय रू0 25,000/– प्रति परिवार की दर से राहत राशि

विचारित की गई है। इन परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर पुनर्वास हेतु वन भूमि उपलब्ध कराने के आशय से प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ को भेजा गया था। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव इस आशय से प्रत्यावर्तित किया गया कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। इसके उपरान्त उप जिलाधिकारी, डीडीहाट को अन्यत्र स्थल चयन करने हेतु लिखा गया है।

ग्राम जौरासी के प्रभावित व्यक्तियों के पास आवास हेतु अन्य भवन उपलब्ध होने के कारण उन्हें पुनर्वासित किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत पीपली–धिंगरानी लिंक मोटर मार्ग के धन स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य की प्रगति

30–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जिला प्लान में स्वीकृत पीपली–धिंगरानी लिंक मोटर मार्ग के धन स्वीकृत होने के उपरान्त अभी तक उसमें कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त लिंक मार्ग को बनाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पिथौरागढ़ में जिला प्लान के अन्तर्गत पीपली–धिंगरानी लिंक मोटर मार्ग नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है। अपितु राज्य योजना के अन्तर्गत पीपली–द्वालीसेरा मोटर मार्ग 2.00 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृत है, जिसके निर्माण से द्वालीसेरा, धिंगरानी तथा पीपली आपस में जुड़ जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

वन भूमि के हस्तान्तरण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत पीपली से पुलिस चौकी के स्थानान्तरित होने पर अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु उपाय

31–श्री मयूख सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पीपली में कार्यरत पुलिस चौकी को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो पीपली क्षेत्र में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

पुलिस चौकी पीपली पूर्व में पीपली नामक स्थान पर किराये के भवन में स्थापित थी। भवन स्वामी द्वारा चौकी के भवन को खाली कराने के उपरान्त तथा पीपली नामक स्थान में भूमि एवं भवन उपलब्ध न होने के कारण पुलिस चौकी को पीपली क्षेत्र के अन्तर्गत पिंगराती नामक स्थान पर वर्तमान में स्थापित किया गया है।

जी हाँ।

पुलिस चौकी पीपली में तैनात पुलिस कर्मियों एवं थाना अस्कोट पुलिस द्वारा पीपली क्षेत्र में स्थित सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तार्गत सड़क निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं निर्माण हेतु समयावधि

32–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण के पश्चात् प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन प्राप्त हुआ ?

क्या केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त धन के माध्यम से सड़कों का निर्माण समयावधि में हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या जनपद देहरादून के अन्तर्गत चकराता क्षेत्र में दारागाड़–त्यूनी, आराकोट मोटर मार्ग निर्माण के लिए उक्त निधि से धन आवंटित हुआ है ?

यदि हाँ, तो मोटर मार्ग का निर्माण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हाँ, तो मोटर मार्ग का निर्माण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत माह जून, 2009 तक रू0 93.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है।

विभाग द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं, जनपद देहरादून के अन्तर्गत चकराता क्षेत्र में त्यूनी–आराकोट–शिमला मोटर मार्ग के लिए अन्तर्राज्यीय संयोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत हुई है।

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के ग्राम तथा मैड़गांव संगलाकोटी, वि०ख० एकेश्वर के ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्राप्त वर्णित तथ्यों की शिकायत पर की गई कार्यवाही

33–श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1345/विधायक/18–राजस्व/2008–09 दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 के साथ पट्टी पटवारी गुराड़स्यूं, वृत्त नं0–3 के प्रति प्रधान ग्रामसभा मैड़गांव तथा प्रधान ग्रामसभा संगलाकोटी, विकास खण्ड एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्राप्त शिकायत जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को कब प्राप्त हुई है और शिकायत में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गई कार्यवाही के परिणामों का विवरण क्या है ? दोषी पट्टी पटवारी को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मा० सदस्य का शिकायती पत्र दिनांक 10.06.09 जिलाधिकारी कार्यालय को दिनांक 23.06.09 को प्राप्त हुआ। इस शिकायती पत्र पर उप जिलाधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त की गयी एवं उन संस्तुतियों के अनुरूप पट्टी पटवारी गुराड़स्यूं वृत्त नं0–3 का स्थानान्तरण दिनांक 04.07.2009 को किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड आन्दोलन में जनपद रुद्रप्रयाग के चिन्हित आन्दोलनकारी तथा 2007 से अब तक सरकारी सेवा में सेवायोजित आन्दोलनकारियों का वर्षवार ब्यौरा

34–श्रीमती आशा–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान जनपद रुद्रप्रयाग के कितने आन्दोलनकारियों को जो आन्दोलन में सम्मिलित थे, चिन्हित किया गया है ?

वर्ष 2007 से अब तक कुल कितने आन्दोलनकारियों को सरकारी सेवा में सेवायोजित किया गया तथा कितनों को सम्मानित किया है.

क्या सरकार वर्षवार ब्यौरा बताने का कष्ट करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में जनपद रूद्रप्रयाग के 148 आन्दोलनकारियों को सम्प्रति चिन्हित किया गया है।

वर्ष 2007 से अब तक कुल 03 आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किया गया है तथा जनपद में किसी भी आन्दोलनकारी को सम्मानित नहीं किया गया है।

जी हाँ, सेवायोजित किये गये आन्दोलनकारियों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	वर्ष	सेवायोजित आन्दोलनकारियों की संख्या
1.	2004	04
2.	2005	11
3.	2006	01
4.	2007	–
5.	2008	02
6.	2009	01
	योग	19

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में शहीद व घायल आन्दोलनकारियों की संख्या एवं जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में चिन्हित आन्दोलनकारियों को प्रदान सरकारी सुविधाएं

35–श्री नारायण पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में शहीद व घायल हुए आन्दोलनकारियों की संख्या कितनी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में ऐसे कुल कितने आन्दोलनकारी चिन्हित हुए हैं, जिनको सरकारी रोजगार अथवा सम्मान, पेंशन प्रदान की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या शहीद हुए आन्दोलनकारियों के आश्रितों को भी रोजगार पेंशन सहायता दी जा रही है ?

यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में 29 शहीद एवं 275 आन्दोलनकारी घायल हुये हैं।

जनपद ऊधमसिंहनगर के 86 एवं जनपद नैनीताल के 15 आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किया है। राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मान दिये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है तथा पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में ओगला–पत्थरकोट मोटर मार्ग निर्माण स्वीकृति के उपरान्त प्रगति

36–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ओगला–पत्थरकोटर मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति होने के बाद भी मोटर मार्ग निर्माण हेतु निविदा क्यों आमन्त्रित नहीं की गयी है ?

यदि हाँ, तो कब तक निविदा आमन्त्रित कर मार्ग निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पिथौरागढ़ में ओगला–पत्थरकोट नाम से कोई मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार अन्तर्गत गुतरपेड़–काशीरामपुर–तल्ला–लालपानी पर सेतु निर्माण की योजना

37–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुतरपेड़–काशीरामपुर–तल्ला–लालपानी सनेह क्षेत्र में सेतु का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त क्षेत्र में सेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम अठानी के क्यूला तोक में बादल फटने व भूस्खलन से प्रभावित काश्तकारों के अवशेष परिवारों को मुआवजे का भुगतान

38–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि विकास खण्ड भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत ग्राम अठानी के क्यूला नामे तोक में बादल फटने भूस्खलन से वर्ष 2004 में फसल सहित कृषि भूमि गौशालायें, सिंचाई गूल, सम्पर्क मार्ग इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गये थे ?

क्या यह सत्य है कि कुछ प्रभावित काश्तकारों को सहायता राशि का वितरण किया जा चुका है किन्तु कुछ प्रभावित काश्तकारों को सहायता राशि का भुगतान तहसील द्वारा नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो अवशेष परिवारों को अनुमन्य सहायता राशि का भुगतान कब तक कराया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

वर्ष 2004 में ग्राम अठानी के क्यूला नामे तोक में बाद फटने व भूस्खलन होने से क्षति की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

ग्राम अठानी के क्यूला नामे तोक में दिनांक 27.08.2005 को बादल फटने से कृषि भूमि, आवासीय भवन, सिंचाई गूल आदि क्षतिग्रस्त हुए थे। गूल की मरम्मत करा दी गयी है तथा भूस्खलन से प्रभावित समस्त पात्र परिवारों को अनुमन्य राहत सहायता का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के वि0ख0 रामगढ़ में नैकाना स्थान पर विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण

39–श्री यशपाल आर्य–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ में नैकाना नामक स्थान परन एक 2X3 M.V.A., 33/11 K.V. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कैन्द्र उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो वर्ष 2006 में स्वीकृत स्थापना कार्य पर निर्माण प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

प्रकरण मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र सितारगंज स्थित सम्पूर्णानन्द शिविर खुला कारागार के अधीन कुल भूमि एवं कृषि भूमि एवं वर्ष 2007 से 09 तक फसल विक्रम से अर्जित धनराशि

40–श्री नारायण पाल–

क्या गृहमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में स्थित सम्पूर्णानन्द शिविर खुला कारागार के अधीन कुल कितनी भूमि है एवं कृषि भूमि क्षेत्र कितना है ?

वर्ष 2007–2008 व वर्ष 2008–2009 में फसल विक्रय से अब तक कितना धन अर्जित हुआ ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विगत वर्षों की तुलना में राजस्व अर्जन क्या है ?

कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ, सम्पूर्णानन्द शिविर खुला कारागार सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर की कुल भूमि 1254 एकड़ है जिसमें से कृषि योग्य भूमि लगभग 450 एकड़ है।

वर्ष 2007–2008 में रुपये 44,49,991/– (रुपये चवालीस लाख, उनचास हजार, नौ सौ इक्यानब्बे) व वर्ष 2008–2009 में रुपये 91,97,595/– (रुपये इक्यानब्बे लाख, सत्तानब्बे हजार, पाँच सौ पिच्यानब्बे) की धनराशि अर्जित की गयी है।

विगत वर्षों की तुलना में, राजस्व अर्जन निम्नवत् है:–

क्र0सं0	वर्ष	आय (रुपये में)
1.	2004–2005	54,05,871
2.	2005–2006	78,17,660
3.	2006–2007	68,99,920

प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की योजना तथा जौलजीवी से झूलाघाट तक सड़क निर्माण पर विचार

41–श्री मयूख सिंह–

क्या गृहमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

क्या इस योजना में सीमा से लगे क्षेत्रों में वरीयता से रोड निर्माण का प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो क्या इस क्रम में जौलजीवी से झूलाघाट को जोड़ने वाली रोड के शेष भाग को अति शीघ्र बनाने में सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल व तिब्बत (चीन) से लगे पुलिस थाने व अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाना। नेपाल सीमा पर तैनात एस०एस०बी०, तिब्बत सीमा पर तैनात आई०टी०बी०पी० तथा केन्द्रीय अभिसूचना तंत्र से राज्य पुलिस व अभिसूचना तंत्र का परस्पर प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाना।

जी हाँ।

प्रकरण सम्प्रति परीक्षणाधीन है।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में सुवालेख रसैपाटा मोटर मार्ग पर कार्य प्रारम्भ न होने के कारण

42–श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सुवालेख रसैपाटा मोटर मार्ग पर निविदा होने के छः माह उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है तथा उक्त मोटर मार्ग पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र सितारगंज अन्तर्गत धौधा फार्म के निकट कटना नदी पर प्रस्तावित सेतु निर्माण कार्य की प्रगति

43—श्री नारायण पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत राज्य योजना के तहत धौधा फार्म के निकट कटना नदी पर बसगर तिलियापुर, शान्तिपुरी को जोड़ने हेतु 36 मी0 स्पान प्रीस्ट्रैस कंक्रीट सेतु का निर्माण प्रस्तावित है ?

क्या उपरोक्त के प्रारम्भिक आगणन विभाग द्वारा शासन को प्राप्त हो चुके हैं ?

यदि हाँ, तो इन सेतुओं का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जी हाँ।

जी हाँ।

शासन द्वारा सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

कोटद्वार विधान सभा अन्तर्गत ग्राम पुलिण्डा में भू-स्खलन से प्रभावित गाँव का पुनर्वासन

44—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम पुलिण्डा में भू-स्खलन के कारण गांव की पूरी आबादी खतरे की जद में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को पुनर्वासित करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

राज्य सरकार द्वारा भूस्खलन एवं भू-कटाव से प्रभावित ग्रामों का चिन्हीकरण जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया गया है और इनका भूगर्भीय सर्वेक्षण केन्द्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों से कराया जा रहा है। ग्राम पुलिण्डा का सर्वेक्षण भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा किया गया है। उनके द्वारा उक्त ग्राम को संवेदनशील दर्शाते हुए विस्थापन की संस्तुति की गई है।

आपदा राहत निधि से व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाईन्स के अनुसार स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था अनुमन्य नहीं है। राज्य के संवेदनशील ग्रामों के स्थायी पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से पुनर्वास नीति तैयार की जा रही है।

संवेदनशील ग्रामों के पुनर्वासित किए जाने हेतु पुनर्वास नीति के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। तकनीकी सर्वेक्षण आख्या/सुझावों व नीति निर्धारण के उपरान्त ही तद्नुसार प्रस्तावित ग्रामों के विस्थापन के सम्बन्ध में विचार किया जाना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित जिला कारागार में पं0 जवाहर लाल नेहरू से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर का संयोजन

45–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून के पुराने जिला कारागार में स्वाधीनता आंदोलन के नायक पं0 जवाहर लाल नेहरू से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर को संजोये रखने की जिम्मेदारी किसकी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सभी धरोहर सुरक्षित हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति कारागार विभाग की।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

फाटा से केदारनाथ हेलीकाप्टर सेवा कम्पनियों द्वारा अधिक किराये की वसूली पर रोकथाम

46–श्री यशपाल बेनाम–

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में फाटा से केदारनाथ धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से हेलीकाप्टर सेवा कम्पनियों द्वारा अधिक किराया वसूला जा रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार इसे रोकने के क्या प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के जोशीमठ तथा बद्रीनाथ में भवन निर्माण पर प्रतिबन्ध के कारण

47–श्रीमती अमृता रावत–

क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के जोशीमठ तथा बद्रीनाथ में भवन निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

यदि हाँ, तो प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण है ?

तथा प्रतिबन्ध को कब तक हटाया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

उक्त क्षेत्र में हो रहे अनियोजित एवं अनियंत्रित निर्माण की शिकायतों तथा क्षेत्र की विशेष भौगोलिक व भू–गर्भीय स्थिति के दृष्टिगत निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गयी है।

इन क्षेत्रों की परिस्थितियों का यथाशीघ्र परीक्षण कर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ हवाई पट्टी का विस्तारीकरण

48–श्री मयूख सिंह–

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ हवाई पट्टी के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण करने के तीन वर्ष उपरान्त भी अभी तक हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण है ?

क्या निकट भविष्य में उक्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

वांछित भूमि क्रय करने के बाद कन्टूर मैप तैयार करने, एवियेशन कन्सलटेन्ट की सेवा लेकर स्कोप ऑफ वर्क (scope of work) निर्धारित करने, एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट बनाने, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कर ई०ओ०आई० मंगाने, इस हेतु गठित समिति द्वारा परीक्षण कर शार्ट लिस्टेड (short listed) करने एवं कन्सलटेन्सी सेवायें लेने हेतु टेक्नीकल एवं फाइनेन्शियल बिड प्राप्त कर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (Request for proposal) निर्गत करने इत्यादि कार्यवाही में लगने वाले समय के कारण अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

जी हाँ

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चर्चा में क्या आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माँग क्या है, पहले यह बात ही पता नहीं चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप इस सदन के संरक्षक हैं, आप इस पर चर्चा करा दें। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री यशपाल बेनाम तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, आप अपनी सूचना को लिखित में दे दें। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपका विशेषाधिकार है आप इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर सकते हैं। आपसे इस पर चर्चा के लिए निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पर चले गये।)

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ब्लाक में रा0इ0 कालेज चाँली/छापुर का निर्माण एवं रा0जू0बालिका हाईस्कूल भगवानपुर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के ब्लाक भगवानपुर में कोई राजकीय इण्टर कालेज नहीं है, जबकि वहाँ पर इण्टर कालेज की बहुत आवश्यकता है, जिस कारण से छात्रों

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं मुस्लिम समाज की आबादी अधिक है। क्षेत्रीय जनता के शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए जनहित में राजकीय इण्टर कालेज ग्राम बॉली/खानपुर का निर्माण कराये जाने एवं रा०बा० बालिका हाईस्कूल भगवानपुर का उच्चीकरण करवाया जाना जनहित में आवश्यक है। जिससे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव समाप्त हो सके।

अतः इस जनहित के अति महत्वपूर्ण लोक हित के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार में गुज्जर बस्ती (पदार्था) में सरकारी सिंचाई नलकूप न चलने की समस्या के सम्बन्ध में नियम-300 अन्तर्गत सूचना

*हाजी तस्लीम अहमद-

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार में गुज्जर बस्ती (पदार्था) में सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की फसलों के लिए 4 नलकूपों पर कार्य हुआ था। जिसमें 3 नलकूपों का विभाग द्वारा संचालन किया गया मगर एक नलकूप नही चल पाया है और जिसमें एक वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है।

जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है ग्राम प्रधान एवं किसानों द्वारा नलकूप चलवाने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा बार-बार झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है। नलकूप का संचालन अतिशीघ्र होना आवश्यक है ताकि किसानों की फसलों को बचाया जा सके और इस समस्या से किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्रीमती आशा नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नही थी।)

विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल मोख का भवन निर्माण अधूरा छोड़ने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल बेनाम-

[मान्यवर, राजकीय हाईस्कूल मोख का भवन निर्माण कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर यूनिट के द्वारा वर्ष 2008 में प्रारम्भ किया गया था।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

शासन से प्रथम किस्त के रूप में रू0 30 लाख 25 हजार की धनराशि अवमुक्त हुई थी। जिसमें ठेकेदार को अभी तक कुल भुगतान रू0 3 लाख 96 हजार 600 मात्र का हो चुका है। निर्माण कार्य डुअर बैण्ड तक किया जा चुका है। जबकि मजदूरी के साथ-साथ रेत, ईंट, सरिया, मिट्टी, सटरिंग सामग्री सड़क मार्ग से निर्माण स्थल तक ढुलान का कार्य भी इसी ठेकेदार के द्वारा किया गया है। वर्तमान में विद्यालय का कार्य बंद है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह कहा जा रहा है कि स्वीकृति राशि समाप्त हो चुकी है। अतः महोदय, आपसे अपेक्षा है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए ये जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि स्वीकृत राशि रू0 30 लाख 25 हजार की धनराशि में शेष व्यय किस मद में खर्च किया गया है और भुगतान किसके नाम से हुआ है।]

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में रा0इ0 कालेज जयनगर में संगीत विषय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री प्रेमानन्द महाजन-

[महोदय, माननीय सदन को अवगत कराना है कि रा0इ0 कॉलेज, जयनगर वि0ख0 गदरपुर जनपद ऊधमसिंह (उत्तराखण्ड) में एक संगीत शिक्षक नियुक्त है। वि0ख0 गदरपुर में बंगला, पंजाबी, कुमाऊँनी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली (भाषा) बोलने वाले लोग रहते हैं। ये सब समुदाय कला की दृष्टि से सम्पन्न माने जाते हैं पूरे विकास खण्ड में किसी भी विद्यालय में संगीत का विषय स्वीकृत नहीं है। यदि सरकार रा0इ0 कॉलेज जयनगर में संगीत विषय चलाने की अनुमति देती है तो कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं होगा। आम जन भावना भी यही है। महोदय, विकास खण्ड के हित तथा जनभावना को देखते हुये रा0ई0 कॉलेज जयनगर में संगीत विषय चलाने की अनुमति देने की कृपा करेंगे।

अतः विषय के लोकमहत्व को देखते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग, वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रेमानन्द महाजन)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2007-2008 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोट- [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानीय अध्यक्ष जी, क्या आपने चर्चा की अनुमति दे दी है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दें तब उस पर विचार कर देंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर चले गये।)

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104 (4) के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2007–2008 का वार्षिक लेखा.

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रेमानन्द महाजन)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104 (4) के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2007–2008 का वार्षिक लेखा सदन के पटल पर रखता हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री राजेश जुवांठा, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री करन मेहरा तथा श्री मनोज तिवारी, श्री केदार सिंह रावत, काजी निजामुद्दीन, श्री नारायण पाल, श्रीमती अमृता रावत, श्री शहजाद तथा श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री गोपाल सिंह राणा की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री राजेश जुवांठा, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री केदार सिंह रावत तथा श्री गोपाल सिंह राणा की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

(व्यवधान के मध्य)

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी भी एक इम्पोर्टेंट सूचना थी। (व्यवधान)

*काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना थी। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने पर व्यवधान)

* सदस्यों ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र राकेश जी। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह उच्च शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आपसे अनुरोध किया था कि या तो आप पार्टी स्तर पर तय कर लीजिए या हम शलाका निकाल लें या फिर मैं अपने विवेक पर करूँ। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, शलाका निकाल ली जाय। (व्यवधान) बहुत ही ज्वलंत विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मेरी सूचना दूसरी बार अस्वीकार हुई है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, नियमों के अनुरूप दिया हुआ विषय है। इस पर तो आप सुन लें। चर्चा तो बाद की बात है। चर्चा आप कराएं या न कराएं यह तो आपका विशेषाधिकार है। मान्यवर, ज्वलंत विषय है।

श्री अध्यक्ष–

क्या विषय है, आपका ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, बिजली की व्यवस्था के बारे में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बिजली की बात तो चर्चा में आ गयी। (व्यवधान) चर्चा में आ गया है, तो फिर कैसे आएगा। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सुरेन्द्र राकेश जी।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो तैयार हूँ बोलने के लिए। (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन "वेल" में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य की किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, अपने नियम–58 के तहत जो चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद में जब से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र, लक्सारी तथा औद्योगिक क्षेत्र, पुहाना के अन्तर्गत जो उद्योग स्थापित किये गये हैं, उन उद्योगों के द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा है, जो जनहित को बहुत की हानि पहुँचाएगा। वह एक ऐसा कृत्य है, जो बिल्कुल ही निन्दनीय है। औद्योगिक क्षेत्र की यह औद्योगिक इकाईयाँ जो गन्दा पानी है, उसको बिना ट्रीटमेंट किये, उस रसायन युक्त पानी को बोरिंग करके भूमि में डाल रहे हैं। जिससे कि उस क्षेत्र के आस–पास का पानी दूषित हो रहा है। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियों के बारे में क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की, कमिश्नर साहब से शिकायत की और पर्यावरण विभाग में शिकायत की लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्यावरण विभाग के अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र के उन उद्योगों में जाते हैं लेकिन उनको वह गलत कार्य करने से मना नहीं करते।

मान्यवर, वे उनसे अपना हिसाब–किताब करने के बाद वापस चले जाते है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उद्योगों द्वारा रसायन युक्त पानी को भूमि में नीचे डालकर दूषित किया जा रहा है, उससे आने वाले समय में बहुत खराब स्थिति पैदा हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस गम्भीर विषय पर सरकार को चिन्तन करना चाहिये और चिन्तन के बाद कार्यवाही करनी चाहिये। जो उद्योग ऐसा कार्य कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि 90 प्रतिशत ऐसी फैक्ट्रियां वहाँ पर है जो अपने रसायन युक्त पानी को भूमि के अन्दर बोरिंग करके डाल रहे हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिये, उनके लाइसेंस भी निरस्त करने चाहिये, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए और जनता को राहत दिलाई जानी चाहिए। मान्यवर, यह अति लोक महत्व का विषय है, इस पर माननीय सदन की कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा कराये जाने की मैं माँग करता हूँ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि हरिद्वार जनपद के भगवानपुर ब्लाक के औद्योगिक क्षेत्र पुहाना, रामपुर और लक्सरी में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा रसायन युक्त जहरीले पानी को नियमों के विपरीत भूमि में बोरिंग कराकर डाला जा रहा है, जिससे आस–पास के गांवों का पेयजल दूषित हो रहा है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयां, जिनके द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह जनित किया जाता है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से पूर्व ही उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। उद्योग के संचालन से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र स्थापित होने के उपरान्त ही उद्योग का संचालन हो। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित उद्योगों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा निस्तारित उत्प्रवाह के नमूने भी एकत्र किये जाते हैं। यदि उद्योग का उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उद्योग को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है। हरिद्वार जनपद के ब्लाक भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र पुहाना, रामपुर और लक्सरी में बोर्ड द्वारा वर्तमान तक किये गये निरीक्षणों में स्थापित उद्योग द्वारा दूषित जल को जमीन के अन्दर डाला जाना नहीं पाया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में स्थित ट्यूबवेल तथा हैण्ड पम्पों के जल के नमूनों भी एकत्रित किये गये। जल की विश्लेषण की आख्या के आधार पर औद्योगिक उत्प्रवाह को बोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर डाले जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

श्रीमन्, इसके साथ–साथ पेयजल विभाग ने भी, जो कि उस क्षेत्र में नलकूपों पर आधारित पेयजल योजनाओं का रख–रखाव करता है। चूंकि सम्बन्धित क्षेत्र में नलकूपों की सामान्यतः गहराई 100 मीटर है और इसके आधार पर विभाग के माध्यम से जाँच कराई गई उसके परिणाम में भी जनपद हरिद्वार के सन्दर्भित औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाई गई।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जाँच कराई गई और कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं पाई गई जो पानी नीचे डाल रही हो। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक समिति का गठन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि वहाँ पर कोई भी प्रदूषित जल नहीं पाया गया। माननीय मंत्री जी आपने क्या कहा, इसको स्पष्ट कर दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें जल की विश्लेषण आख्या के आधार पर औद्योगिक उत्प्रवाह को बोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर डाले जाने की पुष्टि नहीं होती है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि एक संसदीय कमेटी बना दी जाय, उच्च स्तरीय जाँच की जाय, मुझे उस समिति में रखना चाहें, रख सकते हैं। वहाँ पर 90 प्रतिशत ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, जो इस प्रकार से बोरिंग करके पानी नीचे डाल रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि यह बहुत ही जनहित का प्रश्न है, ऐसे उद्योगों पर अंकुश लगना चाहिये, जो जनहित की उपेक्षा करते हों।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि समय–समय पर प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान के माध्यम से इन सभी उद्योगों के सम्बन्ध में जाँच की जाती है और पेयजल विभाग भी समय–समय पर पेयजल के नमूनों की जाँच करता रहता है। अगर फिर भी माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक स्थल पर निरीक्षण कराने की आवश्यकता है तो उसके सम्बन्ध में अवगत करा दें, उसका निरीक्षण करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य ने कहा है कि वहाँ पर फैक्ट्रियों द्वारा बोरिंग करके पानी जमीन में डाला जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है। क्योंकि पिछली बार भी माननीय सदस्य ने उठाया था तो इसकी पुष्टि नहीं हुई। (व्यवधान) स्पेसिफिक सूचना अगर दे दें तो उसकी हम जाँच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आज 20 तारीख है। 22 तारीख तक एक बार इसकी जाँच करवा लें। किसी उच्च अधिकारी द्वारा जाँच करवा लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, दिनांक 23.08.2008 को नेपाल व उत्तर प्रदेश को उत्तराखण्ड से

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्पर्क करता हुआ जगबूड़ा पुल बह चुका था जिसमें लाखों रूपये खर्च करने के बाद वैकल्पिक मार्ग यातायात के लिए आरम्भ किया गया था, लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग अनियमितताओं व गुणवत्ताओं की कमी से विगत दिनों 28.06.2009 को बारिश के कारण ध्वस्त हो गया है जिससे चम्पावत, पिथौरागढ़ की समस्त दैनिक उपयोगी सामान की, जिसमें खाद्यान्न, आवश्यक दवाईयां, सब्जी व अन्य उपयोगी आपूर्ति नहीं हो पा रही है तथा लाखों रूपये की आमदनी करने वाली संस्था परिवहन निगम जो उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों को संचालित करती थी, बसों का आगमन बंद पड़ा है उक्त पुल भारत से लगी सीमा नेपाल को भी जोड़ता है। खाद्यान्न व अन्य सामान की आपूर्ति न होने से अत्यन्त विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जन आक्रोश सड़कों पर आ गया है। मान्यवर, यह जो पुल है यह सामरिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल पहले यह पुल बरसात में बह गया था और इस सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा मिल गया है। परन्तु उस पुल के न होने से एक टम्परेरी व्यवस्था जो सरकार के माध्यम से की गयी थी वो टम्परेरी व्यवस्था करने के बाद भी पुल या सड़क बह चुकी है। आज ये स्थिति है कि चम्पावत जिले में, पिथौरागढ़ जिले में ढाई सौ रूपये का जो सीमेन्ट का कट्टा टनकपुर में मिलता है वह 350, 400 रूपया कट्टा डिस्ट्रिक्ट चम्पावत और पिथौरागढ़ में मिल रहा है। जो सब्जी पीलीभीत से आया करती है, इसी टनकपुर के रास्ते आती है आज सब्जी के इतने भाव बढ़ गए है कि आम आदमी उसे खरीद नहीं सकता है। और विशेष तौर पर जहाँ पर चीन की सीमा हमारे प्रदेश के जनपदों से 200 किलोमीटर और नेपाल की सीमा 10 किलोमीटर पर है। सामरिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्न है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जो 55 या 57 लाख रूपये टम्परेरी व्यवस्था के लिए दिया गया था, उसकी गुणवत्ता की जाँच की जाय। क्योंकि जनआक्रोश आज वहाँ पर उभरा हुआ है, दुकानें बंद रहती हैं टनकपुर में, टनकपुर बिल्कुल अस्त-व्यस्त है, चम्पावत जिला अस्त-व्यस्त है, पिथौरागढ़ जनपद अस्त-व्यस्त है। उससे आगे जितनी सामरिक हमारी सीमाएं हैं। धारचूला, मुन्स्यारी और झूलाघाट जैसे शहर हैं, वहाँ सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-58 में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, टनकपुर, चम्पावत, पिथौरागढ़ मोटर मार्ग सीमान्त जिले को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। जिस मार्ग में जगबूड़ा नामक स्थान पर पुल था वह पुल 23-09-2008 को बह गया था। जिसकी वजह से कुछ दिनों तक यातायात बाधित रहा, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था करके उस सड़क को खोला गया और उसके बाद

26-06-2009 को फिर जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी वह भी ध्वस्त हो गई थी, उसकी वजह से आज उस सड़क से पूरा सम्पर्क मार्ग सीमान्त जनपद का रूक गया है जिससे वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ खाद्य सामग्री तथा दूसरी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जिससे जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोकते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, जनहित की बहुत महत्वपूर्ण सूचना पर माननीय सदस्यगणों ने जो ध्यानाकर्षित किया है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 29 सितम्बर, 2008 को अतिवृष्टि के फलस्वरूप जगबूड़ा नदी का जल स्तर बढ़ जाने से तथा नदी के बहाव में आये हुए परिवर्तन के कारण एन0एच0-125 के किमी 39 पर स्थित जगबूड़ा सेतु जो खटीमा की ओर स्थित पहुँच मार्ग है। यह सत्य है कि यह मार्ग जनपद ऊधमसिंह नगर जनपद तथा जनपद चम्पावत तथा पिथौरागढ़ को जोड़ने की लाइफ लाइन है। इस मार्ग में जगबूड़ा सेतु का 40 मीटर लम्बाई का भाग बह गया था। यद्यपि जगबूड़ा पुल पुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, लेकिन क्षतिग्रस्त पहुँच मार्ग पर जगबूड़ा नदी का अत्यधिक कटाव होने और जगबूड़ा नदी का बहाव भी उसी ओर हो जाने के फलस्वरूप उस स्थान पर पहुँच मार्ग का पुनर्निर्माण सम्भव नहीं हो पाया। उसके स्थाई समाधान के रूप में जो 40 मीटर स्पान का पुल बह गया था, उस पुल की आवश्यकता के अनुरूप भारत सरकार को एतद्विषयक प्रस्ताव प्रेषित किया गया, और भारत सरकार ने 27 जनवरी, 2009 को 209.16 लाख की योजना स्वीकृत कर दी। अब प्रश्नगत स्थाई पुल का निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है अक्टूबर, 2009, लेकिन यह मार्ग अत्यन्त आवश्यक था, जैसे मैंने कहा कि जनपद चम्पावत और जनपद पिथौरागढ़ की यह लाइफ है। मान्यवर, 23 सितम्बर, 2008 को उक्त क्षति के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा तत्समय हुई क्षति के उपरान्त 15 अक्टूबर, 2008 को एक अस्थाई डायवर्जन मार्ग बनाकर यातायात के लिए सुलभ कर दिया गया। लेकिन इसी मध्य 29 जून, 2009 को पुनः अतिवृष्टि हुई। बरसात के कारण नदी का जल स्तर बढ़ा और यह अस्थाई डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः अस्थाई डायवर्जन को ठीक कराया गया और 2 जुलाई, 2009 से पुनः इसको यातायात के लिए खोल दिया गया। मान्यवर, लेकिन 08 जुलाई, 2009 को पुनः नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप यह डायवर्जन पुनः आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। यद्यपि, विभाग के द्वारा डायवर्जन की अस्थाई मरम्मत कराकर दिनांक 13 जुलाई, 2009 को उसे भारी वाहन यातायात हेतु सुलभ करा दिया गया था, किन्तु पुनः 19 जुलाई, 2009 की रात्रि के मध्य रात्रि को नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण यातायात अवरूद्ध हो गया। विभाग द्वारा डायवर्जन के पुनर्निर्माण हेतु मौके पर पत्थर, बजरी आदि भण्डारण किया गया है और जैसे ही नदी

के जलस्तर में कुछ कमी आयेगी, विभाग द्वारा अस्थाई डायवर्जन के क्षतिग्रस्त अंश की मरम्मत कराकर उसे यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसके सम्बन्ध में हमने कड़ाई से निर्देश दिये हैं कि जो मूल पुल जिसका 40 मीटर स्पान का पुल का निर्माण कार्य नेशनल हाइवे 125 के मध्य कि0मी0 39 पर चल रहा है, वह निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो, गुणवत्ता के साथ। इसको सुनिश्चित करा रहे है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, एक बारिश में वह डायवर्जन गिर जा रहा है। उसके बाद आपने टैम्परेरी व्यवस्था की, फिर गिरा और उसके बाद पुन: टैम्परेरी व्यवस्था की वह फिर क्षतिग्रस्त हो गया। मेरी केवल आपसे यह गुजारिश है कि कम से कम पैसा जो सरकार के माध्यम से, वहाँ किसी विभाग को गया है, उसके गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए कि एक बारिश में फिर वह डायवर्जन गिर जा रहा है दूसरी बारिश में मरम्मत के बाद फिर डायवर्जन गिर जा रहा है। इस व्यवस्था के लिए तो सरकार का सचेत होना ही पड़ेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह नितान्त टैम्परेरी व्यवस्था है क्योंकि नदी के अंदर से होते हुए यह पुल गुजरता है। नदी का जब जल स्तर बढ़ता है, तो वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। अभी जैसे 19 तारीख को क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें हमने रेता, बजरी और अन्य आवश्यक सामग्री है, उसके किनारे उपलब्ध करा दी है। ज्यों ही जल स्तर कम होगा उसको हम ठीक कर देंगे। मूल पुल, जिसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है 2 करोड़, 9 लाख 18 हजार रूपये की लागत से जो निर्माणाधीन है, अक्टूबर, 09 तक इसको पूर्ण किया जाना लक्षित है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, 58 लाख रूपया खर्च हुआ है। इसकी जाँच तो होनी ही चाहिए। एक बारिश में अगर 58 लाख रूपया बह जाए तो बहुत ही सोचनीय विषय है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ। इससे पूर्व की सूचना के बारे में कहना चाहता हूँ कि माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् उसे अग्राह्य करने के साथ-साथ 22 तारीख को इसकी जाँच के लिए मैंने कहा है वह उपलब्ध करा दें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय श्री राजेश जुवांठा जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, देखने में आया है कि जनपद हरिद्वार में सन् 2008–09 और 2009–10 में राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के मद में किसी धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। उसके बाद जिला सेक्टर में कोई धन आवंटित नहीं किया गया है उससे पहले के जो प्रपोजल पैंडिंग्स है उनको पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं दिया गया। इससे वह हो रहा है कि जो मार्ग अत्यन्त दयनीय स्थिति में थे अब जर्जर हो चुके हैं, आवागमन प्रभावित हो रहा है। औद्योगिकीकरण पर इसका निगेटिव असर जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, पिछली सरकार में जब औद्योगिकीकरण की बाढ़ प्रदेश में आई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सदाशयता की वजह से राज्य सेक्टर योजनायें प्रारम्भ की गई। प्रतिवर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सैक्टर में अंश दिया जाता था इसमें ऐसा कोई विधायक नहीं था जिसे न दिया गया हो। सभी विधायकों को दिया गया सबको बराबर दिया गया। स्टेट सेक्टर और डिस्ट्रिक सेक्टर दोनों में ही दिया गया। इससे प्रदेश का विकास हुआ। औद्योगिकीकरण के लिए सबसे अहम है ऊर्जा का होना, उसके बाद है सम्पर्क का होना। यदि सम्पर्क अगर टूट जाता है तो औद्योगिकीकरण ध्वस्त हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि आप सरकार को इसमें बाध्य करें कि इस रूके हुए मद में पुनः धनावंटन किया जाए। जिससे मान्यवर, मार्गों का अनुरक्षण हो सके और जनपद हरिद्वार में जो औद्योगिकीकरण में निराशा छा गयी है वह आशा में परिवर्तित हो सके।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री कुंवर सिंह जी द्वारा जो हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे विकास कार्यों के लिए धन उपलब्धता की बात को इस सूचना के माध्यम से यह विषय रखा हैं। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा सम्पादित किये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए राज्य सैक्टर के अन्तर्गत मार्ग चालू कार्य के मद में वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान 446 करोड़ 60 लाख रूपया, वर्ष 2008–09 के दौरान 362 करोड़ रूपया व्यय किया गया जबकि इससे पूर्व इस मद में वर्ष 2006–07 के दौरान 324.43 करोड़ रूपया, वर्ष 2005–06 के दौरान 288 करोड़ रूपया। (व्यवधान)

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, वर्ष 2008–09 और 2009–10 के दौरान बतायें। यह तो हमको भी पता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है। इसी प्रकार जिला योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग, सेतु निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2007–08 में 54.73 करोड़ व 2008–09 के दौरान 60 करोड़ रूपया व्यय किया गया है। जबकि इससे पूर्व इस मद में वर्ष 2006–07 में 48.28 करोड़ रूपया, वर्ष 2005–06 में 40.50 करोड़ रूपया व्यय किया गया। इस प्रकार दो वित्तीय वर्षों के दौरान जिला योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के बजट में वृद्धि की गयी है। आप कह रहे हैं कमी की गयी है लेकिन जो यह आँकड़े आये हैं इसके हिसाब से वृद्धि की गयी है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरा मत यह है कि जो राज्य सेक्टर में विधायकों के मद मे दी जाती थी, उस पर विराम लगा दिया गया है, जो वर्ष 2008–09 और 2009–10 में। मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि सरकार ने कितना खर्च किया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपने सूचना में यह लिखा नहीं कि विधायक मद में नहीं दिया जा रहा है। आपकी सूचना के बारे में बता रहे हैं। आपने सूचना क्या दी है, आप थोड़ा उसको पढ़ लीजिए। (व्यवधान के मध्य)

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरा अभिप्राय यह भी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सेक्टर में तथा जिला सेक्टर में योजनागत धनावंटन नहीं करने के सम्बन्ध में है। आप तो कह रहे हैं कि धनावंटन किया ही नहीं गया है। मैं तो आपको बता रहा हूँ। इतना–इतना वित्तीय वर्ष में किया गया और जिला योजना में हमारा इतना हो गया। (व्यवधान के मध्य)

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, विधायकों के मद में पैसा दिया जाता था, उसमें रोक क्यों लगा दी गयी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, रोक किसी में भी नहीं लगायी गयी है। धन आवंटन विधिवत हो रहा है। श्रीमन् राज्य सेक्टर में लोक निर्माण विभाग को दी गयी धनराशि से वे अपने कार्यों को सम्पादित करते हैं।

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर में जो माननीय विधायक को वर्ष 2008–09 में और वर्ष 2009–10 में दिया गया धन है उसका उल्लेख कर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय विधायकों को विधायक निधि दी जाती है और ये सड़कें राज्य सेक्टर के आधार पर नहीं दी जाती है।

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, यह राज्य सेक्टर पर परे आ जाता है, आप यह गलत कह रहे हैं। मान्यवर, विधायकों को प्रतिवर्ष दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

यदि कहीं दिया गया है तो वह दूसरी बात है, परन्तु इसकी व्यवस्था नहीं है कि विधायकगणों को दी जाय।

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, एक परिपाटी गत सरकार द्वारा कायम की गयी थी। उसका अनुसरण किया जाने चाहिए। मेरा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायकगणों को डेढ़ करोड़ रूपया विधायक निधि में मिलता है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मद्दू भाई''–

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के द्वारा विधान सभा वार प्रस्ताव मंगाये गये थे, लेकिन दिया नहीं गया। (व्यवधान),

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायकगण अपने–अपने क्षेत्रों से प्रस्तावों को शासन को उपलब्ध कराते हैं, ऐसे प्रस्तावों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के उपरान्त जो वित्तीय स्थिति होती है, उसकी स्वीकृति दी जाती है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय प्रणव सिंह 'चैम्पियन' और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, बेरोजगारों से सम्बधित मामला है। 2003 में जो व्यवस्था शिक्षा आचार्यों, अनुदेशकों, स्वयंसेवकों की लागू की गयी थी वह अब समाप्त कर दी गयी है और इसके तहत लगभग 1745 बेरोजगार युवक युवतियाँ पिछले 500 दिनों से भी अधिक दिनों से आंदोलनरत है, मान्यवर, पिछले दिनों इस माननीय सदन में आपके संज्ञान में यह बात लायी गयी थी, कि उन्होंने बड़े उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में और विधान सभा के समक्ष भी किया। इस सम्बन्ध मे सरकार के द्वारा एक तीन सदस्यीय माननीय मंत्रीगणों की मंत्रिमण्डलीय उप समिति का भी गठन किया गया था, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रकाश पंत जी के क्षेत्र के शायद ज्यादा लोग उसमें थे इसलिए इन्होंने मरा हुआ साँप माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के गले में डाल दिया था उस समय अध्यक्ष बना करके। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी कहा तो यह गया उस समिति ने रिकमन्ड कर दिया है, इन शिक्षा आचार्य और अनुदेशकों की मांगों के सम्बन्ध में सकारात्मक निर्णय लिया है लेकिन यह जो उप समिति बनाई गयी थी उसकी रिपोर्ट है, जो आख्या वह अभी तक पत्रावली पर नहीं आई है, मैं क्या हुआ, उसकी आख्या अभी तक नहीं आई है। अभी तक इस सम्बन्ध में पता नहीं है कि उन्होंने क्या आख्या दी है। इसलिए मान्यवर, यह बेरोजगार नवयुवक, युवतियों से जुड़ा हुआ मसला है लगभग दो हजार बेरोजगार लोगों का प्रश्न है, और उनके सामने रोजी रोटी का संकट है इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

*शिक्षा राज्यमंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत स्थापित शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षा आचार्यों, अनुदेशको, स्वयं सेवकों के लिए शिक्षा गारन्टी योजना भारत सरकार द्वारा पोषित है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप लगभग 1745 शिक्षा आचार्य, अनुदेशक बेरोजगार हो गये हैं। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के बन्द किये गये गारन्टी केन्द्र को पुनः संचालित किये जाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है और भारत सरकार के निर्णय के बाद ही इस पर अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, उस पर समिति का क्या हुआ, उसने क्या रिपोर्ट दी है ? उसकी जानकारी होनी चाहिए। उस मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने क्या निर्णय लिया यह स्पष्ट होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर प्रश्न है और इसको केन्द्र सरकार के निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, यह पर्टिकुलर विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य अपने सांसदों से भी इस बारे में दिल्ली में परस्यु कराए।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, उस समिति की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

रिपोर्ट अभी नहीं आई है जब आयेगी तो दे देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह उप समिति पिछले मंत्रिमण्डल में बनी थी अब वह मंत्रिमण्डल भंग हो गया है और दूसरा मंत्रिमण्डल का गठन हो गया है। इसलिए वह समिति स्वतः ही समाप्त हो गयी।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, क्या उप समिति की आख्या को प्रस्तुत करेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने शासन का जो रूख है, शासन की जो कार्य प्रक्रिया है उसके आधार पर बता दिया है कि वह भारत सरकार को संदर्भित किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री केदार सिंह रावत एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी आप बोलें।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, यह बहुत ही संवदेनशील और बेरोजगारी का मामला है, इस पर सरकार बिल्कुल गैरसंवेदनशील है।

*श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह कानून व्यवस्था से एवं जनजाति से जुड़ा मामला है। मान्यवर, दिनांक 14–12–2008 की घटना मृतक सुभाष राणा पुत्र श्री भुलू सिंह निवासी वार्ड नं0–01 चिन्तीमाजरा सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर जो थारू जनजाति का व्यक्ति था अपने ट्रैक्टर ट्राली से गन्ना तुलवाने चीनी मिल सितारगंज गया था, रात में

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही गन्ना उतार कर घर वापस आ रहा था तो अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में सुभाष सिंह की हत्या कर दी तथा ट्रैक्टर ट्राली लूट ले गये और इस घटना की रिपोर्ट थाना सितारगंज में एक एफ0आई0आर0 अपराध संख्या-197/08 धारा 394/302 आई0पी0सी0 के तहत दर्ज कराई गयी थी जिसमें कुछ मुलजिम गिरफ्तार कर लिये गये हैं तथा ट्राली भी बरामद कर ली गयी है, परन्तु ट्रैक्टर अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं किया है तथा न ही मामले का खुलासा हुआ है और न ही अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है, इस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के लोगों द्वारा समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है तथा पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से कार्यवाही हेतु भेंट वार्ता की गयी। इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17-06-2009 को वार्ता हेतु पीड़ित परिवार जब सितारगंज कोतवाली पहुँचा तो उस समय एस0एस0आई0 श्री चन्द्र मोहन सिंह तथा कॉंस्टेबल श्री अब्दुल खालिद, कॉंस्टेबल श्री जीवन नेगी द्वारा मृतक की विधवा पत्नी के साथ मारपीट की गयी। गाली-गलौच तथा थप्पड़ मार कर अपमान किया गया है। मृतक की विधवा थारू जनजाति की है जिसको न्याय देने के बजाय उसका घोर अपमान किया गया है तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आदेश उच्च अधिकारियों ने दिये हैं इसके बावजूद पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, जिसमें 17-06-2009 को मृतक परिवार की पत्नी को जो थप्पड़ मारा और उसके दूसरे-तीसरे दिन मैं भी वहाँ गया था और मेरे सामने मीटिंग हुई, उस समय मैं मीटिंग में उपस्थित था और उच्चाधिकारियों ने स्वयं कहा था कि हम इसकी जाँच जल्दी करके जो भी दोषी पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई और जब ट्राली बरामद कर ली गयी है तो ट्रैक्टर अभी तक क्यों नहीं बरामद किया गया है, पुलिस बहुत उदासीन है और अभी भी जनता वहाँ पर धरना-प्रदर्शन कर रही है। मान्यवर, जनजाति से जुड़ा मामला है और यह अति महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है इसलिए मैं सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी द्वारा जो सूचना अभी सम्मानित सदन के समक्ष दी गयी उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 15-12-2008 को श्री राकेश सिंह राणा पुत्र मुल्लु सिंह निवासी कस्बा व थाना सितारगंज ने थाना सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर पर तहरीरी सूचना दी कि उसका भाई सुभाष सिंह राणा दिनांक 14-12-2008 को अपने ट्रैक्टर स्वराज 735 नं0 यूपी 02-6672 मय ट्राली गन्ना तुलवाने चीनी मिल सरकड़ा गया था। मान्यवर, रात को घर न पहुंचने पर उसकी तलाश की गयी। तलाश करने पर उसकी लाश सड़क के किनारे नाले पर पड़ी मिली। किसी ने ट्रैक्टर ट्राली छीनकर उसके भाई की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना सितारगंज पर मु0अ0सं0 197/08/धारा 394/302 भा0द0वि0 का अभियोग

पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु से पूर्व सिर में आयी चोट तथा पानी में डूबकर दम घुटने व कोमा होना अंकित किया गया है। विवेचना के दौरान दिनांक 28–02–2009 को अभियुक्त जगतार सिंह, निवासी भरतपुर किला, थाना कुण्डा ऊधमसिंह नगर को थाना गोला, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने जुर्म का इकबाल करते हुए उक्त घटना में सतनाम सिंह निवासी भरतपुर किला, थाना कुण्डा, जनपद ऊधमसिंह नगर, अमृत सिंह निवासी टांडा, थाना जसपुर, तथा जरनैल सिंह निवासी केसरी गणेशपुर, थाना कुण्डा जनपद ऊधमसिंह नगर को भी सम्मिलित होना बताया। अभियुक्त जगतार की निशानदेही पर लूटी गयी उक्त ट्रैक्टर की ट्राली बरामद की गयी। वादी राकेश सिंह राणा द्वारा ट्रैक्टर की ट्राली की पहचान की गयी है। अभियुक्त सतनाम सिंह दिनांक 29–05–2009 को थाना काशीपुर के अभियोग में न्यायालय में हाजिर हुआ, जिसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना से सम्बन्धित आला–कत्ल लोहे की रॉड बरामद की गयी। अभियुक्त अमरीक सिंह दिनांक 10–06–2009 को थाना सितारगंज के अभियोग में न्यायालय में हाजिर हुआ। जिसके अपने बयान में लूटे गये ट्रैक्टर को जंगल से ही किसी कबाड़ी को बेचना बताया। अन्य अभियुक्त जरनैल सिंह ने दिनांक 01–06–2009 को थाना काशीपुर के अभियोग में न्यायालय में आत्म समर्पण किया, जिसने अपने बयान में लूटे गये ट्रैक्टर को जंगल से ही किसी कबाड़ी को बेचना व कबाड़ी का नाम ज्ञात न होना बताया। मान्यवर, घटना में प्रकाश में आये सभी चारों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 394/302/411 भा0द0वि0 का अपराध सिद्ध होने पर विवेचना द्वारा दिनांक 07–07–2009 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है एवं लूटे गये ट्रैक्टर की बरामदगी हेतु प्रयास जारी है। मान्यवर, इस तरह से पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी कार्यवाही सम्पादित कर रही है और कही से भी कहीं तक पुलिस के माध्यम से कोई चूक नहीं की गयी है। इसलिए यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, दिनांक 17–06–2009 की घटना के सम्बन्ध में उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसे भी स्पष्ट करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दिनांक 17–06–2009 को मृतक की विधवा श्रीमती राजकुमारी बड़ी संख्या में पुरूष एवं महिलाओं की भीड़ को लेकर ट्रैक्टर की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर पहुंची तथा भीड़ द्वारा प्रदर्शन कर थाना परिसर में उत्तेजनात्मक नारेबाजी की गयी। कुछ महिलाओं द्वारा थाना परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों को चूड़ी पहनाने का प्रयास किया गया, इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ। लेकिन वहाँ

पर उपस्थित महिला/पुरूष पुलिस कर्मियों की मदद से भीड़ को नियंत्रित कर उन्हें थाना परिसर से बाहर जाने को कहा गया। मान्यवर, इस बीच में परस्पर कहासुनी व खींचतान होने के पुष्टि हुयी है। परन्तु मृतक की विधवा के साथ किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा बेईज्जती किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी है। आरोपित आरक्षी श्री अब्दुल खालिद व श्री जीवन सिंह नेगी को थाना सितारगंज से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है, प्रशासनिक दृष्टि से। इस प्रकार से इस पर भी पुलिस के माध्यम से त्वरित कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) विधेयक, 2009

गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।)

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक में एक छोटा सा संशोधन है। इसमें इसकी धारा-3 व धारा-4 का विलोपन किये जाने का संशोधन है। दूसरा संशोधन इसकी धारा-28 के "बोर्ड तथा परिषद्" को एक ही शब्द "परिषद्" प्रतिस्थापना करने का है।

माननीय अध्यक्ष जी, धारा 3 और 4 गन्ना बोर्ड के गठन से सम्बन्धित है। धारा-3 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार गन्ना बोर्ड की स्थापना करेगी और बोर्ड में कौन-कौन सदस्य होंगे। इस बोर्ड का मुख्य कार्य है, गन्ने के प्राईस का फिक्सेशन करना। मान्यवर, इसको करने की आवश्यकता किस कारण से हुई, क्योंकि पिछले दिनों इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी और हाईकोर्ट ने सरकार को दो निर्देश दिये। "दि स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड इज डायरेक्टेड टू कॉन्स्टीट्यूट दि शुगरकैन (कंट्रोल) बोर्ड ऐज प्रोवाईडेड अण्डर सेक्शन 3 एण्ड 4 ऑफ दि यू०पी० एक्ट, 1953 विद्इन ए पीरियड ऑफ टू मंथ्स फ्रॉम टुडे" इसके साथ-साथ उन्होंने कहा "इफ दि स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड डिलीट्स दि प्रोविजन्स ऑफ सैक्शन्स 3 एण्ड 4 ऑफ दि यू०पी० एक्ट, 1953 ऐज ऐवेज्ड इन दि काउण्टर ऐफीडेविट, दि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखण्ड शैल कॉन्स्टीट्यूट ए कमेटी कन्सिस्टिंग ऑफ ऐट लीस्ट थ्री एक्सपर्ट्स पर्टेनिंग टु दि फील्ड ऑफ शुगरकैन"। मान्यवर, इस प्रकार उन्होंने कहा कि यहाँ के बोर्ड का गठन दो महीने में कर लिया जाय। अगर नहीं कर सकते तो एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाय, जो गन्ने का मूल्य निर्धारित करे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दूसरा कारण यह भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश

का यह एक्ट है, जो हमने एडॉप्ट किया है और 2005 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें एमण्डमेंट कर दिया है। इस कारण हमने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को फॉलो किया और एक छोटा सा संशोधन हम लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यगण भी इससे सहमत हैं। यह बहुत जरूरी था, इसलिए इस संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकार करने का मैं निवेदन करता हूँ।

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संशोधन की बात सरकार कर रही है। मान्यवर, पहले जो व्यवस्था थी, उसमें माननीय गन्ना मंत्री जी स्वयं अध्यक्ष थे और उद्योग मंत्री उसके उपाध्यक्ष थे और अनेक जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते थे। मान्यवर, सरकार आज जो बदलाव इसके अन्तर्गत ला रही है, उसके लिए सरकार स्वयं दोषी है, क्योंकि सरकार ने कोई बैठक नहीं की, गन्ना मंत्री जी ने पिछले समय तक बैठक करके, उसके अन्तर्गत कोई गन्ना मूल्य की बातचीत ही नहीं की। सरकार अब जनप्रतिनिधियों को हटा कर सचिव को इसका अध्यक्ष बनाने जा रही है। ऐसा संशोधन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पीछे–पीछे नकल कर रहे हैं। सरकार अपनी भी कोई योजना बनाती, एक्ट के अन्तर्गत अपनी कोई व्यवस्था करती, उसमें संशोधन करती और उसका वह अध्ययन करती तब तो ठीक था। सीधा–सीधा चूँकि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया है, इसलिए यहाँ भी सरकार संशोधन कर रही है। मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों को बाहर किया जा रहा है। पहले की व्यवस्था में जनप्रतिनिधि शामिल थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र सिंघल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि उत्तर प्रदेश में भी गन्ना बोर्ड का गठन इस प्रकार का नहीं हो पाया था, इस कार्य हेतु उन्होंने 2005 में संशोधन किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देशित किया। इसमें जहाँ तक बात है कि हम सचिव को बैठाना चाहते हैं, मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें गन्ना उत्पादन के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, पिछली बार हमने जो एक्सपर्ट कमेटी बनायी थी, वह भी एक जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में बनायी गयी थी, तो इसमें किसी अधिकारी को अध्यक्ष बनाने की बात ठीक नहीं है। इसमें निश्चित रूप से दो विकल्प हमारे पास थे, बोर्ड का गठन करके, जो कि दो महीने में होना संभव नहीं था। या फिर धारा 3 और 4 का यदि हम विलोपन करते हैं, तब यह एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो किसानों से बातचीत करके, यह एक्सपर्ट कमेटी सरकार को सुझाव देगी कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिए। मान्यवर, साधारण सा एक संशोधन है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम अधिनियम, 1953) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953] (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या........वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड [उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 के खण्ड (ख) का निकाला जाना

2. उत्तराखण्ड [उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (ख) निकाल दिया जाएगा।

धारा 3 एवं 4 का निकाला जाना

3. मूल अधिनियम की धारा 3 और 4 निकाल दी जाएगी।

धारा 28 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द "बोर्ड तथा परिषद" जहां भी आए हों, के स्थान पर शब्द "परिषद" रख दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन कौशिक–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री महेन्द्र सिंह माहरा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, मैं भोजनावकाश के बाद बोल लूंगा।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल

मान्यवर, जो प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009–2010 का बजट इस सदन में लाया गया है, मैं उसके जो बिन्दु हैं, उसके विरोध में अपना मत प्रकट कर रहा हूँ। मान्यवर, किसी भी बजट से सरकार आने वाले वर्ष में क्या करने जा रही है, वह प्रदर्शित होता है। लेकिन इस बजट में छोटी–मोटी लुभावनी घोषणाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि सरकार उत्तराखण्ड के विकास के लिये कोई कार्य करने जा रही है। जब से उत्तराखण्ड बना है, मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक नीरस बजट जो प्रस्तुत हुआ है, तो वह इस वर्ष हुआ है। मान्यवर, सबसे पहले तो यह देखकर बहुत दुःख होता है कि विकास के लिये पूरे बजट का मात्र 12 प्रतिशत धन रखा गया है। जिस प्रदेश का उदय ही विकास के लिये हुआ हो, उस प्रदेश में लगातार प्लानिंग के लिये बजट कम होता जा रहा है, यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। सरकार इस प्लान के बजट को बढ़ाने के लिये क्या करने जा रही है, इस पर चर्चा नहीं की गई है। यह ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश के अन्दर हर व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे ऊर्जा मिले और लगातार 24 घंटे ऊर्जा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार घोषणायें की गई और सब विफल रहीं। जो हमारे पीक आवर्स है या स्ट्रीम ऑफ वेदर, जब सिल्ट आ जाता है या बहुत ज्यादा जाड़े होते हैं, उस समय नदियों में प्रवाह कम हो जाता है। चूंकि हमारा हाइड्रो बेस्ड इलेक्ट्रीसिटी प्रोडक्शन है, क्या इसके लिये कोई अल्टरनेट व्यवस्था हमने बनाई है, मसलन, क्या हमने कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन की बात करी, क्या हमने गैस बेस्ड पावर प्रोडक्शन की बात करी ? अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि भारत सरकार घरेलू गैस की डाइरेक्ट होम डिलीवरी सिस्टम काशीपुर, रूद्रपुर और रामनगर में शुरू

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने भी रही है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने शायद यह निर्णय ले लिया कि गैस लाईन कुमाऊँ के इन नगरों तक पहुंचाई जायेगी। लेकिन हम फिर भी नहीं लेते, हमने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि अगर गैस लाईन आंवला से या किसी अन्य जगह से कुमाऊँ परिक्षेत्र में आ रही है तो क्या हम गैस बेस्ड टरबाईन लगाने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं। ऊर्जा के बारे में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।

मान्यवर, यदि हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले ग्राम्य विकास की बात करते हैं। वहाँ पर बी0डी0ओ0 की कमी है, हमारे ग्राम्य विकास अधिकारियों की कमी है। यदि हम नगर विकास की बात करें तो वहाँ हमारे पास ई0ओ0 नहीं है, जे0ई0 नहीं है, अवर अभियन्ता नहीं हैं। मान्यवर, वहाँ स्टाफ की नितांत परेशानी चल रही है। हम सिंचाई की बात करें तो नलकूपों के विषय में अभी प्रश्न आया था कि हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं हैं, अगर पी0डब्ल्यू0डी0 की बात करें तो वहाँ भी देखते हैं कि अवर अभियंताओं की कमी है, इस तरह यह कुव्यवस्था जो प्रबन्धन में हमारी चल रही है, उससे लगातार हमारा प्रदेश जूझ रहा है। चीनी मिल की बात आयी है, अभी चीनी मिलों के अंदर न तो हमारे पास केमिस्ट हैं, न हमारे पास सी0सी0ओ0 हैं, न हमारे पास इंजीनियर हैं और चीनी मिल हम चला रहे हैं। सफेद हाथी धीरे-धीरे चल रहा है। चीनी मिलें लगातार हानि पर चल रहीं हैं। इस बजट के अंदर एक लाईन नहीं कि हम कहाँ मॉडनाईजेशन करेंगे, चीनी मिलों को इस मंदी से कैसे उबारेंगे, कहीं इसमें व्यवस्था नहीं है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ अभी डा0 मनमोहन सिंह जी ने वक्तव्य दिया पिछले कार्यकाल में कि नौकरशाह एक घोड़े की तरह है और यह डिपेंड करता है कि उसमें जो चालक है, वह नौकरशाही को किस तरह चलाता है, उसकी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ इस प्रदेश सरकार की जो चालक है, जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे नेता सदन हैं, देखिये, हम लगातार व्यवस्था की बात करते आये हैं कि पूरे सदन के अंदर जब भी कोई चर्चा होती है, कोई गम्भीर चर्चा होती है, इस सरकार का कोई मंत्री इस सदन में उपस्थित नहीं होता है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

मान्यवर, सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं, माननीय चुफाल जी।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, आपका तो हमेशा आशीर्वाद रहा है और आप लगातार उपस्थित रहे हैं, आपने लगातार समय दिया पर चर्चाओं में मंत्रियों की अनुपस्थिति...(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, सभी माननीय मंत्रीगण हैं, और सभी जिम्मेदार हैं।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मंत्रियों की अनुपस्थिति अपने आप में दिखाती है कि ये कितने गम्भीर हैं, इस बजट के प्रति, सदन के प्रति और इसमें अगर विभागवार एक–एक विभागों को अगर हम देखें, बजट के अंदर तो कहीं किसी तरह की कोई नई योजनाएं, किस तरह से हम डिपार्टमेंटल वर्क इम्प्रूव करेंगे, किस तरह हम अपनी गवर्नेंस इम्प्रूव करेंगे, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। तो मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोकि इसमें उठायी गयी और उस दिन नेता सदन ने बहुत जोरों से कहा कि आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन से वाणिज्य कर समाप्त कर इसे जनहित में पूर्णतः कर मुक्त किया जाता है, क्योंकि यह प्रथम बिन्दु है इसी पर मैं चर्चा करना चाहूँगा और यहीं समाप्त कर दूँगा। मान्यवर, वैट की धारा–3 (10) में यह प्राविधान है कि जिस इंडस्ट्री, जिस उत्पादक यूनिट का अगर प्रोडक्ट के ऊपर वैट नहीं है तो उसको आई०टी०सी० की सुविधाएं नहीं दी जाएगी। आई०टी०सी०–इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमारे यहाँ पर 4 प्रतिशत परचेज टैक्स है वैट, जब बेसन पर, आटे पर, मैदे पर, सूजी पर वैट जीरो हो जायेगा तो जो पहले एक परसेंट था, चार परसेंट देता था तो लगभग ढाई परसेंट पड़ जाता था वो मुजरा हो जाता था उत्पादक इकाई को। जब ढाई परसेंट उत्पादक इकाई को बैक हो जाता था। तो उसके बाद उत्पादन कर ढाई परसेंट एडजेस्ट करता था और वैल्यू उस पर अन्प्रोडेक्टिव निकलती थी। अब क्या हो रहा है, क्योंकि जीरो हो गया है। धारा 3/10 जो है उसके अन्तर्गत इन यूनिट्स को आई०टी०सी० का जो लाभ है, वो नहीं मिलेगा। यानी कि जो ढाई परसेंट पैसा उसे वापिस होता था, अब चार परसेंट गेहूँ का टैक्स दे रहा है तो उसको वापिस नहीं मिलेगा। इससे नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि सरकार जो यह कह रही है कि पूर्णतः करमुक्त करके इसको जनहित में करमुक्त कर दिया गया है। पर असल में बाजार में 20 पैसे प्रति किलो आटा बढ़ जायेगा। और यह निरीक्षण की बात है, इसका निरीक्षण कराया जाय। और अगर ऐसा है, जैसा मैं कह रहा हूँ तो इस पर मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखण्ड की जनता को सरकार द्वारा भ्रमित किया गया है। बहुत गम्भीर विषय है मान्यवर, कि बजट के अंदर कोई ऐसी बात कही गयी हो कि हम जनहित में कर रहे हैं और ये उल्टा महंगा हो जायेगा। इसी तरह मान्यवर, जो छूट की इकाईयां हैं 4–बी के अन्तर्गत उसमें भी इसी तरह का प्राविधान है। क्योंकि जब 4–बी के अंदर परचेज होती है तो 2 प्रतिशत पर होती है, 4 की जगह 2 पर होती है और जिस समय टैक्स जीरो हो जायेगा, उसमें 4–बी की सुविधा खत्म हो जायेगी। मान्यवर, कई इकाईयाँ पुराने सैल्स टैक्स में 4बी, का लाभ ले रही है, उन पर भी यह प्राविधान हो जायेगा। वहाँ भी दो परसेन्ट अल्टीमेटली महंगा होगा। इससे आटा उपभोक्ताओं को, उस दिन बात हो रही थी कि 15 पैसा सस्ता हो जायेगा, 15 पैसा सस्ता नहीं मिलेगा, बल्कि यह 30 पैसा महंगा हो जायेगा। मान्यवर, यह बहुत अहम विषय है जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। अभी जो मैं कह रहा

था कि हमारे जो मंत्री हैं और हमारी जो सरकार है, वह किसी तरह का पेपर वर्क होम वर्क अपना नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण एक कुव्यवस्था हमारे पूरे प्रदेश में बनती जा रही है। उसका गलत उदाहरण यह है कि अभी जो वैट खत्म किया है। उससे उल्टी वस्तु महंगी हुई है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री तिलक राज बेहड़-

मानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया वह दिशाहीन है, इस बजट के अन्दर जनता के लिए, किसानो के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई ताकि उनको राहत महसूस हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रूद्रपुर मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहता हूँ कि रूद्रपुर मेडिकल कालेज का कार्य प्रारम्भ था, चल रहा था, जब नई सरकार आई, आने के बाद उस मेडिकल कालेज को यह कहें कि निगल गई, खा गई या पी गई। यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गया, इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको माध्यम से सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग सत्ता पक्ष में थे और आप विपक्ष में थे, उससे पहले जब राज्य का गठन हुआ था तो श्रीनगर मेडिकल कालेज बनाने की बात सरकार ने कही थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और तिवारी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम प्रारम्भ किया। मान्यवर, मात्र कैबिनेट का फैसला था उसके पश्चात् पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार आयी और उसके लिए भूमि उपलब्ध कराई और 80 प्रतिशत काम श्रीनगर मेडिकल कालेज का हुआ। मान्यवर, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय खण्डूड़ी जी, उस समय धरना प्रदर्शन की भी बात करते थे, उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री था, कई पत्र उन्होंने मुझको भी लिखे। मान्यवर, हमने काम किया, अगर 80 प्रतिशत मेडिकल कालेज का काम नहीं हुआ होता तो श्रीनगर मेडिकल कालेज का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। हमारी सरकार ने रूद्रपुर मेडिकल कालेज का कार्य प्रारम्भ किया। इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया रूद्रपुर मेडिकल कालेज का काम बंद कर दिया। हमारी सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कालेज का निर्णय लिया। पहला श्रीनगर होगा और दूसरा रूद्रपुर होगा और तीसरा अल्मोड़ा में होगा। मान्यवर, हम अल्मोड़ा के विरोधी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

भोजनावकाश के बाद चर्चा जारी रहेगी।

अब हम उठते हैं भोजनावकाश के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई.)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं रूद्रपुर मेडिकल कालेज की बात कर रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, छोटा प्रदेश है और छोटे प्रदेश के अंदर वैसे तो अब अधिकांश प्रदेशों के अंदर सरकारें पाँच साल के बाद बदलती हैं। सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में और विपक्ष वाले सत्ता में बैठते हैं। मान्यवर, यह बात मैं इसलिए गम्भीरता से कहना चाहता हूँ कोई भी सरकार किसी योजना को प्रारम्भ करती है तो दूसरी सरकार आती है और अगर वह बदल जाती है तो पूर्व सरकार की योजनाओं को वह बदली हुई सरकार पूरा करे। मान्यवर, किसी भी योजना में बदले की भावना ठीक नहीं है। बदले की भावना से योजनाओं को रोका जाना उचित नहीं है। अगर बदले की भावना से योजनाओं को रोका जायेगा तो केवल कंकरीट के जंगल ही दिखाई देंगे। वैसी ही स्थिति रूद्रपुर मेडिकल कालेज की है। पिछले वर्ष भी इस विषय को उठाया था और आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार इस मेडिकल कालेज को पूर्ण करें। किन्तु आज तक इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर किया कि बजट के अंदर से निकाल दिया। खा गई पी गई, और निगल गई। और न्यायालय में भी कह दिया रूद्रपुर मेडिकल कालेज नहीं बनाया जा सकता। मान्यवर, जब सरकार इस बदले की भावना से कार्य करेगी कल तो फिर हम सत्ता में आयेंगे। यह तो तय है कि इनको इधर आकर बैठना पड़ेगा। हम भी इनकी योजनाओं को छाँटेंगे। माननीय भगत जी का जो हाल हुआ है आप जानते ही है। अब चाहे इधर रहों या उधर रहों, विधायक की तरह ही रहोगे।

*श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, विधायक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भगत जी को जो आज स्थिति हुई है। कल कहाँ होंगे पता नहीं। इधर भी होंगे या नहीं अगली बार चुनाव लड़े या न लड़े।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भगत जी कह रहे हैं हम इधर हो या उधर हो, होंगे इन्हीं में।

श्री तिलक राज बेहड़–

जनता फैसला करेगी। रूद्रपुर मेडिकल कालेज का कार्य कब पूरा होगा वहाँ की जनता का स्वप्न कब पूरा होगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय सदस्य कब से परेशान है। सात वर्ष पूर्ण हो गये।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, नेता सदन आज नहीं तो कल जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष–

10 मिनट का समय निर्धारित है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस तरह से बीच–बीच में टोकेंगे तो कैसे मैं अपनी बात को रख पाऊँगा। मान्यवर, अभी तो कई विषय है। विद्युत की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे थे कि पूरे 24 घण्टे बिजली प्रदेश में दी जा रही है। अभी तीन दिन पहले विधायक आवास में क्या स्थिति थी। एक घण्टे तक बिजली नहीं आई। वहाँ पर जनरेटर भी बहुत मुश्किल से चला वह भी खराब था। आप गाँव की बात छोड़िये शहरों में भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। गाँवों में तो मात्र छापेमारी और वसूली इस सरकार द्वारा बराबर की जा रही है। मान्यवर, सदन में बजट पर चर्चा चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि शासन का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं है। इससे ज्यादा खराब स्थिति और क्या हो सकती है। सदन में कानून व्यवस्था की बात भी कही गई। आज उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। मित्र पुलिस के नाम पर मित्र पुलिस जैसा कहीं कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। आज पुलिस बहुत ही गैरजिम्मेदारी से कार्य कर रही है। मान्यवर, प्रदेश के अन्तर्गत कानून व्यवस्था कैसी हो चुकी है आप जानते होंगे और अपराध बढ़ रहे है, लूट–डकैती की घटना आज प्रदेश के अन्दर बहुत ज्यादा हो रही है। आज पुलिस का राजनैतिकरण हो गया है। जब पुलिस का राजनैतिकरण हो जायेगा तो कहाँ से पुलिस काम करेगी। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ पूर्व सरकार के समय नारायण कवच योजना प्रारम्भ हुई थी। जो भी काम पूर्व सरकार के समय चल रहे थे वे भी इस सरकार ने बन्द किये। मान्यवर, सरकार को क्या जल्दी का रोग लग गया यह मुझे नहीं मालूम जो पूर्व योजनाओं को बन्द कर रही है। मान्यवर, उद्योगों की बात कही गयी है, कहाँ 70 प्रतिशत रोजगार दिया जा रहा है। राज्य में आज भी बेरोजगार घूम रहा है। पूर्व सरकार द्वारा उस समय योजनाएं बनायी गयी थी कि फैक्ट्रियों के अन्दर बेरोजगारों को ट्रेंड किया जायेगा और बेरोजगार को भत्ता दिया जायेगा, यह कैबिनेट का निर्णय है आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, उस समय जो नेता प्रतिपक्ष थे, आज वे मंत्री हैं माननीय भंडारी जी। उस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से मिलने गये थे कहा कि इतने सड़कें चाहिए, इतने स्कूल चाहिए। लेकिन अभी तक कोई विद्यालय का उच्चीकरण नहीं हुआ। (शोर व्यवधान) माननीय मंत्री जी, अब दिला दे, अब कोई नाम नहीं लेता। मान्यवर, पहले मूंछों से डरते

अब किस बात से डरते हैं। अब इनको कोई चिन्ता नहीं है। अब केवल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कोई छोटी बिल्डिंग बना दी जाती हैं। मान्यवर, अब कोई नया विद्यालय देने की योजना नहीं और कोई इन्टर कालेज देने की योजना नहीं। कितने किलोमीटर सड़क देंगे इसकी कोई योजना नहीं। उस समय विपक्ष के लोग सबसे ज्यादा सड़कों को लाते थे और योजनाओं को लाते थे। आज सत्ता में आने पर सब भूल गये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज हमारे शिक्षा मित्रों को सरकार द्वारा पीटा जा रहा है। उस समय कहते थे कि शिक्षा मित्रों को नौकरी दे सरकार। आज जब सत्ता पक्ष में बैठे हैं हमारे मित्र लोग, आज प्रदेश की जितनी समस्याएं हैं उनसे दूर हो गये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। मान्यवर, जब संसदीय कार्य मंत्री उस समय विधायक थे और हम सरकार में थे, तो कहा जाता था कि फार्मेसिस्टों के पद सृजित किये जायें। मान्यवर, मुझे और सरकार को पत्र दिये जाते थे कि इनके लिए एक हजार दो हजार पद सृजित किये जायें, उस समय की चिट्ठी भी लिखी हुई है और कई विधायकगणों द्वारा लिखे गये थे। उस समय हमने 500 पद फार्मेसिस्ट के सृजित किये। आज ढाई साल हो गये हैं, इतने समय में एक भी पद फार्मेसिस्ट के लिए नहीं दिये गये। आज सत्ता में जाते ही उन फार्मेसिस्टों को भूल गये जिनके लिए आन्दोलन करते थे। जिनको लेकर निदेशालय घेरते थे, निदेशालय के अन्दर जाकर इनके जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया कि पहले फार्मेसिस्टों के पद सृजित किये जायें। मान्यवर, उस समय इन्होंने वादे किये थे विपक्ष में बैठकर आज उसको भी ये पूरा नहीं करना चाहते हैं। मान्यवर, ऐसी स्थिति लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है, जितने भी राज्य योजना के अन्दर पी0डब्ल्यू0डी0 की जितनी योजनाएं हैं आज भी पूरी नहीं हो रही हैं। मान्यवर, दैवीय आपदा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 25 लाख रूपया, 50 लाख रूपया दिये जाने का प्राविधान था। मान्यवर, आज ये पैसे मांगने वाले लोग उस पैसे को देना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, ऐसे ही सहभागिता-सहकारिता योजना है, उसमें 4 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता था। मान्यवर, यह देश का पहला राज्य था, जिसको चार प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत दिया जा रहा था, आज सरकार उसको नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बेहड़ जी, अपनी बात को समाप्त करें। माननीय प्रेमानन्द महाजन जी।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, मात्र दो-तीन मिनट का समय लूंगा, मान्यवर, पूर्व सरकार ने भवाली के अन्दर कैंसरइन्स्टीट्यूट की स्थापना की बात कही थी, पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। आज वह कैंसरइन्स्टीट्यूट कहाँ है ढाई साल बीतने के बाद। मान्यवर, एक बात और

कहना चाहता हूँ जबकि उत्तर प्रदेश ने ट्रेड टैक्स की चुंगी समाप्त कर दी है, तो यहाँ भी चुंगी समाप्त कर दें। जब उत्तर प्रदेश की नकल कर ही रही है सरकार तो वहाँ पर व्यापारियों को राहत देने के लिए चुगी समाप्त कर दी है तो यहाँ पर क्यों नही ? मान्यवर, एक मैं सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज के बारे में और दूसरा परिवहन के बारे में कहना चाहता हूँ, परिवहन के क्षेत्र में आज बस अड्डों की हालत बहुत खराब है एक साथ दो बस अड्डों को सुधारने से बस सेवा सुधरेगी नहीं, मान्यवर, अधिकतर बस अड्डों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और मान्यवर, कोई भी योजना इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने सुधारने के लिए नहीं बनाई है। मान्यवर, सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज की दयनीय स्थिति के बारे में कहना चाहता हूँ मान्यवर, आज सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में जो बजट का प्रावधान हो रहा है प्रत्येक वर्ष में गिरता चला जा रहा है, आप उठा कर देख ले मान्यवर, 2005–06 में 51 करोड़ रू0 दिया गया, 2006–07 में 53 करोड़ रू0 दिया गया, 2007–08 में 37 करोड़ रू0 अनुदान दिया गया और 2008–09 में 26 करोड़ रू0 अनुदान किया गया, तो मान्यवर, इतना बड़ा अस्पताल, वहाँ उपकरण खराब पड़े है, तनख्वाह मिल नही रही लोग आत्मदाह कर रहे हैं, लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो मान्यवर, आज सुशीला तिवारी अस्पताल जो सबसे अच्छा मेडिकल कालेज था, आज इस सरकार के कारण दयनीय स्थिति में है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बजट दिशाहीन है और जनता के हित में नही है और ये सरकार जिसने यह बजट पेश किया है मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट पर पुनः विचार करेगी। सरकार और बजट के अंदर किसानों को, व्यापारियों को और आम आदमी को राहत पहुँचायेगी, धन्यवाद।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, बजट में ज्यादातर जो जनहित की योजनाएँ ली गयी है ये पुरानी है, कुछ कांग्रेस सरकार की है कुछ खण्डूड़ी सरकार की है, कुछ अच्छी बातें इस बजट में है जैसे आटा, मैदा, बेसन तो आपने सस्ता कर दिया लेकिन चावल और गेहूँ के विषय मे आपने नहीं सोचा, चूँकि लोग चावल और रोटी ज्यादा खाते हैं उसको सस्ता करने की जरूरत थी, चीनी सस्ती करने की जरूरत थी, मान्यवर, आपने सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, विकास की दृष्टि से एक गांव को इसमें संतृप्त करने की बात को इस बजट में कहा है, परन्तु वह नीति स्पष्ट नहीं है आप एक गांव को, एक ग्राम पंचायत को आप संतृप्त करेंगे बाकी गांवो का क्या होगा, उसके बारे में भी इसमें चर्चा होनी चाहिए थी, मान्यवर, हरिद्वार कुम्भ मेला होना है और 100 करोड़ रू0 की तो व्यवस्था आपने कर दी लेकिन एक वर्ष में 100 करोड़ रू0 कैसे खर्च करेंगे इस पर आपको पता नहीं लगेगा, कि कैसे खर्च हो जायेगा, 100 करोड़ रू0 कैसे खर्च किया जायेगा, इसका कोई दिशा निर्देश, कोई नीति इस बजट में नहीं है। मान्यवर, किसानों

के हित में बजट में कोई खास देखने को नहीं मिला, और अभी इसी विधान सभा में एक प्रश्न लगाया था कि ऊधमसिंह नगर में गर्मी में धान की खेती होती है उसकी बिक्री के लिए सरकार की नीति के सम्बन्ध में प्रश्न लगाया था उसमें जो जवाब आया कि सरकार मण्डी में दिये गये रेट के अनुसार धान की खरीद करवा रही है, वास्तविकता यह है कि इस बार धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई, परन्तु 400, 500, 600, के ऊपर रेट किसानों को नहीं मिल पाया, मान्यवर, इस बजट में प्रत्येक विधान सभा में एक इण्टर कालेज और एक हाईस्कूल की जो देने की बात थी, जो अभी माननीय बेहड़ जी ने कहा, यह बात सच है चूँकि तिलक जी तो सत्ता पक्ष में थे, हम लोग विपक्ष में थे और माननीय कुन्हारी जी हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में कई मांग तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से की गयी थी परन्तु जब सरकार का परिवर्तन हुआ उसके बाद अभी तक कोई ऐसी योजना सत्ता पक्ष की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आयी जहाँ तक एक इण्टर कालेज और एक हाईस्कूल की बात है तो यह पर्याप्त नहीं है और आज की स्थिति में चूँकि जूनियर और हाईस्कूल इतने बन गये हैं कि एक-एक विधान सभा में कम से कम पाँच-पाँच हाईस्कूल और इण्टर कालेज का उच्चीकरण हो तब जाकर शायद ठीक हो सकता है। मान्यवर, उच्चीकरण हो तब जाकर शायद संतृप्त हो। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवा में 108 आपातकालीन सेवा चलाई है सरकार द्वारा, इसका लाभ आम जन को मिल रहा है यह बात सच है, परन्तु होता यह है कि 108 जब कोई गम्भीर मरीज को कोई एक्सीडेंट वाले मरीज को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है तो कभी-कभी उस मरीज को प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं मिल पाती है डॉक्टरों की कमी की वजह से, तो आज जरूरत है कि आप 108 सेवा बढ़ायें, परन्तु उसके साथ-साथ हॉस्पिटलों में डॉक्टर की व्यवस्था करने की जरूरत है और वह युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। मान्यवर, हम लोग इस बजट में एम०आर०आई०, गुर्दारोग एवं हृदय रोग इकाई की यूनिट की जो व्यवस्था की परिकल्पना सरकार ने की है यह अच्छी बात है परन्तु यह पी०पी०पी० योजना है इससे गरीब आदमी अपना इलाज कैसे करा पायेगा यह एक चिन्तनीय विषय है, तो मेरी राय है कि इसको सरकार को अपने दम पर करना चाहिए, पी०पी०पी० योजना को छोड़कर अपने दम पर करें, तो गरीब लोगों को इसका फायदा मिल पायेगा। मान्यवर, रुद्रपुर का जो जिला हॉस्पिटल है इसको मेडिकल कॉलेज के रूप में ही बनाया गया है उस हिसाब से हॉस्पिटल बिल्डिंग के हिसाब से आज दूर से हॉस्पिटल अच्छा दिखाई देता है, आप मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते हैं तो कम से कम हॉस्पिटल तो बना दें, यह सरकार से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से। मान्यवर, इस बजट में युवाओं के लिए कोई स्पष्ट नीति, बेरोजगारों की कोई भी बात का उल्लेख नहीं है। मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में तो बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के हित में कोई विशेष बात इसमें नहीं है। मान्यवर, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। मान्यवर, पेयजल में मैं कहना चाहता हूँ कि आप नये नल नहीं दे रहे हैं तो कम से कम पुराने तो सही करा दें, मैं

तो यही निवेदन करूँगा आपके माध्यम से सरकार से। मान्यवर, सड़क एवं सेतु के लिए 1007 करोड़ की व्यवस्था की है इस बजट में, जबकि 350–400 करोड़ तो तनख्वाह में चले जायेंगे, 450–500 करोड़ पुराने कार्य के मरम्मत में चला जायेगा और उसके बाद चालू कार्यों के लिए, नये कार्य के लिए शायद 150–200 करोड़ बचता है उससे ऊपर नहीं बचता है तो ऐसी स्थिति में इसका बजट दुगना होना चाहिए। मान्यवर, इसके साथ ही साथ कुछ सड़क जो बहुत लम्बी–लम्बी हैं, मेरे विधान सभा की हैं, उसका इस बजट में उल्लेख होना चाहिए था। जैसे एन0एच0–74 बिन्दुखेड़ा से रा0इं0 कॉलेज जयनगर मार्ग का पुनर्निर्माण कराने का जो बजट बना है वह चार सवा चार करोड़ का है, यह निश्चित रूप से विधायक डिस्ट्रिक प्लान से करा नहीं सकता। मान्यवर, बिन्दुखेड़ा से रायपुर पंचाननपुर मार्ग, कनकटा न0 1 से कनकटा न0 2 मार्ग, एन0एच0–74 झगड़पुरी से चुनपुरी अहमदनगर मार्ग, एन0एच0–74 से बागवाला से उत्तर प्रदेश की सीमा तक मार्ग, ऐसी कई सड़क हैं जिनकी वर्तमान हालत खराब है और जिसमें बड़ी–बड़ी मोटी राशि की जरूरत है, इसका उल्लेख इस बजट में होना चाहिए था। मान्यवर, यह बजट कुल मिलाकर जन विरोधी है, किसानों के विपरीत है, मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री गगन सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आय–व्ययक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं माननीय डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार को बधाई देता हूँ और साथ ही वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट भाषण का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के लम्बे विकास कार्यों के अनुभवों का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। मान्यवर, विश्वास करता हूँ कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश बहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2009–2010 में मेरे विधान सभा के महत्वपूर्ण बिन्दु छूट गये हैं। इन बिन्दुओं को वित्तीय वर्ष 2009–2010 में सम्मिलित करने का कष्ट करें। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र को कस्तूरी मृग विहार घोषित किया गया है। मृग विहार घोषित होने से इस क्षेत्र के लोग आज भी अपने घरों से तीन दिन की पैदल यात्रा कर विकास खण्ड मुख्यालयों में पहुँचते हैं। आज भी इस क्षेत्र के लोग 18वीं शताब्दी का जीवनयापन कर रहे हैं। सड़कों आदि का निर्माण न होने से इस क्षेत्र के लोग आधुनिकीकरण से पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में 80 के दशक से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, नियमों में शिथिलता बरतते हुए विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाये। मान्यवर, सम्पूर्ण धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र को ओ0बी0सी0 क्षेत्र घोषित किया जाये और तत्काल धारचूला मुनस्यारी में रह रहे लोगों को ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाये। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र धारचूला तीन देशों की अन्तरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से भी अति संवेदनशील क्षेत्र है। मान्यवर, इस क्षेत्र के लोगों को बार्डर सार्टिफिकेट जारी कर

दिया जाये और सेना में, अर्द्ध सेना में, इस क्षेत्र के युवाओं को सवीं पास भर्ती की वरीयता दी जाय। मान्यवर, आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा में वित्तीय वर्ष 2009–2010 में रुपये 189.05 करोड़ का प्राविधान किया गया है जो सराहनीय है, परन्तु मेरी विधान सभा में सबसे ज्यादा दैवीय आपदा वर्ष भर होती रहती है। इस बजट भाषण में कहीं भी इस क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। मेरी विधान सभा में क्वीरीजिमिया, तुईपातो, बसन्तकोट, मदकोट, कलथम, साणा, बरम, जौलजीबी, खेत गाला, गर्बा, सिप्ती, खेला, स्यांकुरी खेत, गर्गुवा आदि स्थानों में साल भर जनहानि होती रहती है। इस क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन से कम से कम 30 करोड़ की धनराशि अलग से आवंटित की जाय। मान्यवर, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2009–2010 में चिकित्सा के लिए रुपये 575 करोड़ की व्यवस्था की गई है। भाजपा सरकार के कार्यों का मैं तहदिल से स्वागत करता हूँ। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारचूला में बरम नामक स्थान में 20 बैड वाले अस्पताल की स्थापना की जाय, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–2010 के बजट में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 118.51 करोड़ का प्राविधान किया गया है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट और मुनस्यारी महाविद्यालयों में भवन नहीं होने से शिक्षण कार्यों में असुविधा हो रही है। वित्तीय वर्ष, 2009–2010 में इन महाविद्यालयों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इन महाविद्यालयों का भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2009–2010 में किया जायेगा। मान्यवर, ऊर्जा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि धारचूला मुनस्यारी में स्वीकृत लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, धौली गंगा फेज–II गोरी गंगा परियोजना, रुथिंग परियोजना, गर्बा तवाघाट परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को शीघ्र शुरू कर क्षेत्र के युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकता है। दूसरी ओर ऊर्जा प्रदेश का सपना भी साकार होगा। मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के बजट में 54.70 करोड़ बजट का प्राविधान है, परन्तु भौगोलिक दृष्टि से भिन्न क्षेत्र धारचूला में आई0टी0आई0 का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। धारचूला में वित्तीय वर्ष 2009–2010 में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाय। मान्यवर, प्रदेश में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना जनपद पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल व देहरादून में खोलने से जनता को काफी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। मान्यवर, पर्यटन हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 में पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए 73.55 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गयी है, परन्तु इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छिपला केदार, माँ कोकिला कनार, मिलम ग्लेशियर, ट्रेकिंग रूट दारमा घाटी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। इन पर्यटन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना नितान्त आवश्यक है। मान्यवर, प्रदेश में निवास कर रही भूमिहीन विलुप्त राजी जनजाति,

जो कि आज के समय में पर्वतीय अंचलों में निवास कर रही है। आज वह समुदाय विलुप्त होने जा रही है। मान्यवर, उस समुदाय को जीवित रखने के लिए सरकार से माँग करता हूँ। कि उनको तराई भावर में जमीन देकर, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था कर उनको लाभ दिया जाय। महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-2010 के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ।

*श्री यशपाल आर्य—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बजट निश्चित रूप से असंतुलित है, दिशाहीन है और लक्ष्य का इसमें अभाव है। मात्र इस बजट में आय के आंकड़ों को ताने-बाने में पिरोकर औपचारिकता निभाने का काम किया गया है। इस बजट में प्रदेश की तात्कालिक और दीर्घकालिक जन समस्याओं का निदान करने का निश्चित रूप से अभाव दिखाई दे रहा है। मान्यवर, इस समय राज्य में बेरोजगारी, नौजवानों का पलायन, पेयजल का अभाव, कमजोर शिक्षा तंत्र, बिजली की चरमराती और बिगड़ती व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित प्रदेश तथा अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ सरकार को अपनी एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई कार्ययोजना को बजट में निर्धारित करनी चाहिए थी। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का एजेण्डा था कि हम पहाड़ के नौजवानों के हाथ को काम देंगे, उनके पलायन को रोकेंगे और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। मान्यवर, मैं मानता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास ठप होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और जो अवस्थापना के कार्य थे, वे ठप हो चुके हैं और मूलभूत सुविधाओं का निश्चित रूप से अभाव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में कच्चे माल पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और कुटीर धन्धों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए, तवज्जो देने के लिए इस सरकार ने न तो कोई कार्य योजना बनायी है न कोई विशेष पैकेज देने का काम बनाया है। तो निश्चित रूप से इस सरकार ने इस प्रदेश के नौजवानों और युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। आज प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिये मजबूर है। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की बहुत संभावनायें हैं, प्रदेश में रोजगार के प्रति संभावनायें हैं। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन और पर्यटन के क्षेत्र में हम नौजवानों के लिये, युवाओं के लिये और बेरोजगारों के लिये बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन मौजूदा बजट में इसके लिये सरकार ने न कोई विशेष ध्यान दिया है और न ही इसे तवज्जो दी है। मात्र डेयरी विकास और पशुपालन में कुछ धनराशि की व्यवस्था करके, मात्र औपचारिकता निभाने का कार्य इस सरकार ने किया है। मान्यवर, पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार का अपना एक विजन था, एक दृष्टि थी और वर्ष, 2003 में योजना का जो आकार था, वह 1534 करोड़ रुपये का था और जिसे हमारी सरकार ने लगातार इन्क्रीज किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वर्ष, 2006–07 तक इसे हम 4000 करोड़ रुपये तक ले गये थे। लेकिन मौजूदा बजट के अनुमानों को देखकर लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में योजना के आकार में वृद्धि करने की संभावनायें बहुत कम दिखाई दे रही है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 57 पर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें सरकार ने अपनी वर्ष, 2009–10 की आय 13,999 करोड़ रुपया अनुमानित की है, इसी प्रकार से कुल व्यय 14,737 करोड़ रुपये अनुमानित किया है। इसी प्रकार से वित्तीय पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 46 पर सरकार ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कर्ज, अदायगी, कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन पर इस सरकार का लगभग 88 प्रतिशत धन खर्च हो जायेगा। मात्र 12.22 प्रतिशत पैसा इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास, नवनिर्माण, लघु और वृहद निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मान्यवर, यह जो 12.22 प्रतिशत धनराशि है, वह मात्र 1768 करोड़ रुपये की राशि बनती है। अब इस 1768 करोड़ रुपये से पूरे राज्य के, पहाड़ का, तराई–भाबर का विकास कार्य, नवनिर्माण और लघु तथा वृहद कार्य कैसे करेंगे और जो इस प्रदेश की कल्पना थी, जो अवधारणा थी, जो शहीदों का सपना था, उस नवनिर्माण के लिये मात्र 1768 करोड़ रुपया रखा गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि इसी वित्तीय पुस्तिका के पृष्ठ 35 में राजस्व प्राप्तियां दिखाई गई हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा 4444 करोड़ रुपये केन्द्रीय अनुदान के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त होंगे, यह अनुमानित है। यह एक आशा है, उम्मीद है। राज्य सरकार की केन्द्र सरकार से। मान्यवर, अगर राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से 4444 करोड़ रुपये मान्यवर, केन्द्र सरकार से नहीं मिलता है तो क्या होगा इस राज्य का ? अगर मिलता है मान्यवर, यह अनुमान है, अनुमान अगर इसमें घटोत्तरी होती है तो 12.22 प्रतिशत जो विकास कार्यों के लिए, नव निर्माण के लिए सरकार ने धनराशि दी है, अगर उसमें कटौती होती है, अनुमानित अनुदान में तो 1768 करोड़ रुपया जो हमारे नव निर्माण और वृहद निर्माण की हमने धनराशि रखी है तो निश्चित रूप से इसमें कटौती होगी। तो विकास कैसे हो मान्यवर, लेकिन बात सच है। मान्यवर, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे सभी माननीय विधायक भी स्वीकार करेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार का विकास से कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई नाता ही नहीं है। चुनाव में मान्यवर, विकास का नारा, विकास का मुद्दा कांग्रेस का नारा रहा है और पिछले पांच साल का इतिहास उठा कर देखें हमने कितना काम किया है मान्यवर, लेकिन आज 1768 करोड़ रुपया इस धनराशि को देकर निश्चित रूप से पहाड़ की जनता को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ। और हम पर आरोप लगता है हमेशा और कहा जाता है कि केन्द्र सरकार हमारे साथ अनदेखी कर रही है, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और प्रदेश के जनमानस के बीच में इस बात को दोहराया जाता रहा है मान्यवर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की कमजोर

कार्यक्रम क्रियान्वयन के कारण मान्यवर, जैसे नगर विकास है मान्यवर, पेयजल है, मान्यवर, सिंचाई है मान्यवर, चिकित्सा है मान्यवर, लोक निर्माण विभागों जैसे भारत सरकार द्वारा जे०एन०एन०यू०आर०एम०, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नरेगा, भारत निर्माण, त्वरित सिंचाई योजना और सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय को पूर्ण रूप से यह सरकार पिछले दो वर्षों में खर्च नहीं कर पायी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ उदाहरण देता हूँ मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग में मान्यवर, अभी डी०पी०आर० ही नहीं भेजी है मान्यवर, डी०पी०आर० 2009–10 और 2010–11 नहीं भेजी गयी है। अब मान्यवर, परिव्यय कैसे आवंटित होगा, केन्द्र सरकार परिव्यय कैसे आवंटित करेगी, अनुदान कैसे मिलेगा, यह भी प्रश्न हमारे सामने है मान्यवर, वही हाल 2007–08 और 2008–09 में त्वरित सिंचाई योजना का है मान्यवर, त्वरित सिंचाई योजना में मान्यवर, भारत सरकार द्वारा परिव्यय में 87 करोड़, 2007–08 में 87 करोड़ रूपया लैप्स हुआ है और 2008–09 में मान्यवर, 158 करोड़ रूपये लैप्स हुआ है और लगातार धनराशि का उपयोग न कर पाने के कारण भारत सरकार ने 2009–10 में परिव्यय को घटाकर 382 करोड़ रूपया निर्धारित किया है जो गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 150 करोड़ रूपया कम है मान्यवर, यही हाल मान्यवर, जवाहर लाल नेहरू अरबन मिशन का है। मान्यवर, 2007–08 में स्वीकृत परिव्यय था 150 करोड़ रूपये, खर्च कितना हुआ, खर्च हुआ जीरो परसेंट, खर्च ही नही हुआ। 150 करोड़ रूपया लैप्स हुआ है 2007–08 में मान्यवर, और 2008–09 में स्वीकृत परिव्यय है मान्यवर, 215 करोड़ रूपये और इसमें 178 करोड़ रूपया मान्यवर, खर्च हुआ है। 37 करोड़ रूपया 2008–09 में लैप्स हुआ है मान्यवर, मलिन बस्तियों के सुधार के लिए, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, शहरी क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण के लिए मान्यवर, केन्द्र सरकार ने इस राज्य को भरपूर नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून के लिए भरपूर सहायता दी है मान्यवर, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सरकार पैसे को खर्च नहीं कर पायी। मेरा कहना है कि सरकार इस पैसे को इस्तेमाल कर लेती तो यह धनराशि लैप्स नहीं होती और पिछले वर्ष की सम्पूर्ण उपयोगिता के आधार पर केन्द्र सरकार केन्द्र पोषित योजनाओं में भरपूर अनुदान देती। जिसके कारण केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में हमको 600–700 करोड़ की वृद्धि हो सकती थी। मेरा कहना है कि सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए लगातार केन्द्र सरकार पर असहयोग का आरोप मढ़ती रही। मान्यवर, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजना का राज्य सरकार पूर्ण उपयोग करती तो अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए चार चाँद लगाती, राज्य आगे बढ़ता, राज्य का सम्पूर्ण विकास होता और राज्य का बहुँमुखी विकास होता। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि राज्य निर्माण कार्य के दौर से गुजर रहा है। यहाँ बुनियादी आवश्यकताओं की बहुत जरूरत है, और अवस्थापना के विकास में पूंजीनिवेश की जरूरत है। मान्यवर, अगर घाटे का

बजट होता है, अगर हम राज्य की अवस्थापना के क्षेत्र में काम करते हैं तो दीर्घकालिक फायदा हमारे राज्य को होगा। इससे गरीबी, बेरोजगारी, पलायन तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। मान्यवर, अब मैं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के बारे में कहना चाहता हूँ। योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अभी राज्य की योजना का आकार तय नहीं हो पाया। आकार तय न होने के कारण हमारे अनुसूचित जाति के जो 18 फीसदी लोग हैं और 03 फीसदी जनजाति के जो लोग प्रदेश में निवास करते हैं। अभी योजना का आकार तय नहीं हो पाया, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कि विभागवार अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत ट्राइबल सब प्लान के तहत विभागवार कितना परिव्यय निर्धारित होगा। यह इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि योजना का आकार अभी राज्य सरकार बना नहीं पायी है। मान्यवर, 2007–2008, 2008–2009 के बारे में कहना चाहता हूँ कि 2007–2008 में एस०सी०पी० में 750 करोड़ रूपये स्वीकृत परिव्यय था और बजट में प्राविधान किया था 660 करोड़, आवंटन–ले था 750 करोड़ रूपये उसके सापेक्ष 660 करोड़ रूपये बजट में प्राविधान किया गया। व्यय कितना हुआ 350 करोड़, लैप्स कितना हुआ 2007–2008 में 4 सौ करोड़ रूपये, और मान्यवर, इससे बदत्तर स्थिति और क्या हो सकती है। 2008–2009 में 654 करोड़ रूपये परिव्यय रखा गया और बजट में प्राविधान रखा गया 580 करोड़ और खर्च कितना हुआ 300 करोड़, 654 करोड़ रूपये ट्राइबल सब प्लान में लैप्स हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, यह अनुसूचित जाति के साथ ज्यादती है, जुर्म की इंतीहा है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए इस साजिश के तहत इस प्रकार का काम यहाँ पर हुआ है। मान्यवर, हमारी जो भारत सरकार की गाइड लाईन है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। उसके गाईड लाईन्स को तार–तार कर दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य इतने कठोर तो कभी नहीं थे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जो समाज की मुख्यधारा में आना चाहते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय, जुल्म और ज्यादती हो रही है। बर्दाश्त के बाहर की बात है। इतनी अनदेखी किसी सरकार ने नहीं की, जितनी इस सरकार ने इस समाज की अनदेखी की है। जबकि भारत सरकार की गाइड लाईन्स में स्पष्ट है कि न यह पैसा लैप्स हो सकता है और न ही ट्रांसफर हो सकता है। सरकार को इस एस.सी.पी. के तहत योजनायें बनानी पड़ेंगी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय सदस्य कभी लैप्स कर रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि लैप्स नहीं हो सकता है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने यह लैप्स किया है जबकि यह पैसा लैप्स नहीं हो सकता है। यह कहीं खुर्द–बुर्द किया गया है। कहाँ खुर्द–बुर्द कर दिया यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। खुर्द–बुर्द करने में आप माहिर हैं। खुर्द–बुर्द करने में आपके पास अनुभव है। आपके पास डिग्री है। इसके लिए मैं आपको शाबासी देता हूँ कि आपने इसमें महारत हासिल की है और मान्यवर, आप कामयाब हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए चिन्हित नहीं किया। बजट में जिन क्षेत्रों में व्यय अनुमानित किया है उसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिलायें, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यकों और उद्योगों का भला होने वाला नहीं है। न ही इस राज्य को आर्थिक क्षेत्र में और न ही सामाजिक क्षेत्र में बेरोजगारी जैसी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट आम आदमी विरोधी है। मैं इस बजट का विरोध करता हूँ और इस बजट की घोर निन्दा करता हूँ। इन्ही शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

चौ0यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2009–10 के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि बजट बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी संतुलित बजट कहा जा सकता है। (मेजों की थपथपाहट) मदवार विभागों को पैसा दिया गया है, पर पैसा आयेगा कहाँ से इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा कहाँ से लायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें न तो किसानों की बात कही गई है और न ही मजदूरों की बात कही गई है। न अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। मैं समझता हूँ जो समाज कमजोर है उत्तराखण्ड में, बजट में उसमें किसी की बात नहीं कही गई है। यह बजट अच्छा हो सकता था, यदि सरकार यह घोषणा करती कि यदि सूखाग्रस्त क्षेत्र हो रहा है तो जो काश्तकार पैडी (धान) का उत्पादन ज्यादा करेगा उसे प्रति कुन्टल पर इतना पैसा सरकार अधिक देगी। यह घोषणा सरकार कर सकती थी कि सरकार को के0सी0सी0 और के0बी0सी0 पर मिलने वाला लोन है जिसकी सीमा तीन लाख रूपये है, उसे बढाया जा सकता था। एक है0 में एक काश्तकार को 54 हजार रूपया प्रति है0 के हिसाब से लोन मिलता है। एक है0 में 12 बीघे होते हैं। चार हजार पाँच सौ रूपये प्रति बीघा पर उसको लोन दिया जाता है। आज कहीं भी चले जाइये कच्चा बीघा जमीन दो लाख रूपये से कम कीमत का पूरे उत्तराखण्ड में कहीं नहीं है। इसलिए काश्तकारों को मिलने वाला लोन निःसंदेह इस सरकार को बढ़ाना चाहिए था। इस बजट में गन्ना उत्पादक जो काश्तकार हैं उसकी कोई बात इसमें नहीं रखी गई है। वैसे भी गन्ना उत्तराखण्ड में कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से गन्ना न आवे तो यहाँ पर मीलें चलनी असंभव हो जायेगी। गन्ना काश्तकारों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में

मैं समझता हूँ कुछ घोषणा सरकार को करनी चाहिए थी कि जो काश्तकार इस साल गन्ना अधिक उत्पादक करेगा उसे एक या दो रुपया कुन्टल अधिक मिलेगा। जहाँ तक मजदूरों की बात है जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार ने उनके हित के लिए कोई घोषणा नहीं की। मान्यवर, मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, उसकी दैनिक मजदूरी जो 110 या 115 रूपया है। अगर सरकार इनकी मजदूरी की घोषणा करती कि उनकी मजदूरी 140–150 रूपया कर दिया गया है। मैं समझता कि यह बजट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। अभी स्पेशल कम्पोनेंट की बात माननीय यशपाल आर्य जी कह रहे थे। जो सरकार ढिंढोरा पिट रही है कि हमने दाल पर या सूजी पर टैक्स घटा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली जैसे प्रदेश में दाल पर भी टैक्स नहीं है। सरकार को उसमे भी कम करना चाहिए था, गेहूँ की बात हमारे माननीय सदस्यगण कह रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मनोरंजन कर में छूट की बात सरकार कर रही है। जहाँ तक मनोरंजन कर में 50 रूपये वाले टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट और 50 से 75 रूपये वाले टिकट पर 30 प्रतिशत की छूट और 100 रूपये टिकट पर 40 प्रतिशत की छूट दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उल्टा होना चाहिए था, जो कम रूपये वाले टिकट है उनमें ज्यादा छूट होनी चाहिए थी और जो ज्यादा रूपये वाले टिकट हैं उनमें कम छूट होनी चाहिए थी। मान्यवर, महिलाओं के लिए इन्होंने घोषणा की है कि भूमि क्रय करने पर 10 लाख रूपये के स्टाम्प को बढ़ाकर 20 लाख कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, गाँव में ऐसे कितने पुरूष/महिलाएं हैं जो दस लाख रूपये का कितना बैनामा करा सके। मैं समझता हूँ कि गाँव में एक छोटा सा मकान भी उनके कहने से बनता नहीं है यह छूट भी उद्योगपतियों के लिए है यह छूट गाँव के किसी आम आदमी के लिए नहीं है। जहाँ तक मेरा विचार है राज्य कर्मचारियों की बात करें तो छठवे वेतनमान लागू करने की सरकार बात करती है। अभी इसमें राज्य कर्मचारी सम्मिलित ही नहीं हैं मैं समझता हूँ कि वह पैसा कहाँ से आयेगा और उनका वेतन कहाँ से दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आज हमारे प्रदेश में करों में आय 3629 करोड़ रूपया है। इसमें केवल राज्य कर्मचारियों का वेतन ही 4425 करोड़ रूपये है और अगर हम ऐसी संस्थाओं की बात करें उनका 386 करोड़ रूपया अलग है और पेंशनधारी की बात करें वह 1298 करोड़ रूपया वह अलग है। इस प्रकार से 3208 सौ करोड़, केवल वेतन में ही आवश्यकता होगी पैसा देने के लिए। यहाँ पर वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन की भी बात कही गयी है। हर जिले से आंकड़े आप मंगा लीजिए मिलती कितनों को है। कितनी वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है कितनी विकलांग पेंशन मिल रही है। यह मात्र चार या पाँच प्रतिशत होगी। हमारे यहाँ विधवाओं को, विकलांग को ही पेंशन नहीं मिल रही है। इससे आम जनता का कोई लाभ सरकार नहीं दे रही है। यह भी जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश के पास सरकार का 3600 करोड़ रूपया बाकी है, वह नहीं मिलने वाला। पहले उसको लेने की बात की जाये, तो सरकार अपने काम में सफल होगी। माननीय अध्यक्ष

जी, यह बजट न काश्तकारों के हित में है न मजदूरों के हित में है और न जनता के हित में है और अगर इन सभी लोगों के लिए कार्य किया जाता तो अच्छा बजट होता। माननीय पन्त जी, यहाँ बैठे हैं जब तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय तिवारी जी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि पीछे की मत सोचो आगे की सोचो। उन्होंनें एक बात कही थी-

मुझे पतझड़ों का न पता बता,

न पता बताकर उदास कर।

नई मौसमों का पता बता,

जो गुजर गया सो गुजर गया।

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री डा0 निशंक जी द्वारा जो बजट वर्ष 2009-10 प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से वह दूरदर्शी और संतुलित भी है। माननीय निशंक जी ने पहली बार वित्त मंत्री के रूप में और अब दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट पूरे कर्मचारियों, व्यापारी, किसान, और पूर्व सैनिक तथा युवा और महिलाओं के लिए, इसमें हर वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। क्योंकि इसमें कोई कर नहीं लगाया गया है और इसके साथ-साथ मान्यवर, 828.22 करोड़ समेकित बजट घाटा है वह लोक लेखा समायोजन के बाद सिर्फ 28.22 करोड़ ही रह जायेगा, इससे पता चलता है कि माननीय निशंक जी द्वारा बहुत अच्छा और संतुलित बजट प्रस्तुत किया गया है और जहाँ तक महिलाओं की बात आती है, इससे पूर्व में भी हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को 50 प्रतिशत पंचायतों में आरक्षण देकर उनके उत्थान के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, और अब उसी कड़ी में इस सरकार द्वारा टैक्स में दुगुनी छूट करके और साथ ही साथ प्रसूति अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करके यह जताया है कि यह सरकार महिलाओं के उत्थान में अपना काम करना चाहती है, इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, व्यापारियों के हित में जहाँ वैट की बात आती है तो जिस प्रकार से वैट प्रणाली को सरल और पारदर्शी करने का काम किया है, वहीं मै बधाई देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी को, कि इन्होंने आटा, मैदा, सूजी, बेसन में वाणिज्य कर मुक्त करके उपभोक्ताओं को इससे महँगाई रोकने का कार्य आपके द्वारा किया गया है, और साथ ही व्यापारियों को 16 नं0 फार्म में जिस प्रकार से स्वंय डाउनलोड की सुविधा दी है, माननीय अध्यक्ष जी, हैल्थ के क्षेत्र में जहाँ 108 के द्वारा पूरे देश के अंदर उत्तराखण्ड का नाम है उसने जिस प्रकार से हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है, सैकड़ों बच्चे जिस प्रकार से उसमें प्रसूति महिलाओं की हुई, बच्चे पैदा हुए, मुझे लगता है इस सरकार ने इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ाकर जैसे कोरेनेशन में गुर्दा और हार्ट यूनिट अल्मोड़ा में,

हार्ट यूनिट इसके साथ–साथ नेत्र संस्थान और नेत्र बैंक की सुविधा का जो प्राविधान किया है इसलिए मै समझता हूँ कि इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, और इसके साथ–साथ चूँकि हमारी मातृ भाषा हिन्दी है और हिन्दी के लिए भी जिस प्रकार से भाषा संस्थान और हिन्दी अकादमी स्थापना का प्राविधान हमारी सरकार द्वारा पहली बार किया गया इसलिए मैं निश्चित रूप से अपनी सरकार को और माननीय निशंक जी को बधाई देना चाहूँगा, गरीब बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए 'देवभूमि मुस्कान योजना' हमारी सरकार द्वारा की गयी है इसके लिए मै माननीय निशंक जी को बधाई देना चाहूँगा। गंगा को जिस प्रकार से प्रदूषण मुक्त करने का काम और उसके लिए राज्य निधि संरक्षण प्राधिकरण का जो काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है मै उसके लिए माननीय निशंक जी को बधाई देना चाहूँगा, और जिस प्रकार से 2010 में कुम्भ लगने वाला है और उसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था इस सरकार ने की है चूँकि मेरा विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश भी इसी कुम्भ क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, और यह प्रदेश चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है इसका एक नाम है और जिस प्रकार से हर विधान सभा क्षेत्र मे एक–एक इण्टर कालेज और हाईस्कूल के नव निर्माण और उसके जीर्णोद्धार की व्यवस्था इस सरकार द्वारा की गयी है वास्तव में यह सरकार बधाई की पात्र है, माननीय अध्यक्ष जी, अभी पेंशन की बात हमारे डॉ0 यशवीर जी कर रहे थे लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पेंशनधारकों की संख्या पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ी है और मै तो यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो उनकी संख्या भी बढ़ी है और उसका समुचित लाभ भी हमारी गरीब जनता को मिल रहा है, और इसके साथ–साथ जिस प्रकार से 'गौरा देवी कन्या धन योजना' और उसके बाद जिस प्रकार से नन्दा देवी कन्या योजना का जो प्राविधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है निश्चित रूप से मैं उसको बधाई दूँगा, माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर रूड़की रेल लाईन निर्माण हेतु जो राज्यांश 20 करोड़ रू0 इस सरकार द्वारा दिया गया है उससे एक घण्टा और कम समय लोगों को आने में लगेगा, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, इसके साथ–साथ हमारे लघु जल विद्युत परियोजना में उत्पादन को बढ़ाने का जो 81 मेगावाट का लक्ष्य रखा है और उसी प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से, सिंचाई से, पेयजल से और उद्यम दृष्टि से जो काम हमारी सरकार ने किये हैं मैं निश्चित रूप से माननीय निशंक जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं माननीय निशंक जी को इस नाते भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में वाहनों के हित में जाँच हेतु 'ऑटोमेटिक टैस्टिंग लैब' की स्थापना का काम आपके द्वारा किया गया मैं निश्चित रूप से अपने विधान सभा की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही जौलीग्राण्ट के अन्दर जो विस्तारित रनवे नियमित विमान सेवा का कार्य सरकार द्वारा किया गया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह सत्र सावन महीने से शुरू हुआ है और आज शिवरात्रि है मै इसकी आप सबको

बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से यह चाहूँगा कि भगवान भोले हम सबको और माननीय निशंक जी को इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारा प्रदेश पूरा सर्वसम्पन्न हो और आगे उन्नति की ओर बढ़ता रहे। मान्यवर, इसके साथ–साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, 09–07–07 को अपने बजट की चर्चा में बात रखी थी, और 11–03 को मैंने अपनी बात रखी थी कि ऋषिकेश एक संजय झील है पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसका विस्तारीकरण होना चाहिए, उसके बारे में कुछ प्राविधान किया जाना चाहिए इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, आपकी भी जानकारी में है कि ऋषिकेश में जो डिग्रीकॉलेज है वह प्रदेश में एक मात्र ऐसा डिग्रीकॉलेज है, जिसे ऑटोनॉमस की मान्यता मिली है, मैं चाहता हूँ कि उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए और इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, सिल्लाचौकी सूर्यधार के अन्तर्गत जिस प्रकार से प्रचुर मात्रा में जल सम्पदा है और उसकी बहुउद्देशीय एक योजना सरकार के पास विचाराधीन है, उसका प्राविधान किया जाना चाहिए और एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि पिछले दिनों मेरे क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बहुत रहा है, पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में राजेश पुत्र तेजा–खाड़ी निवासी, पप्पू थापा निवासी लाल तप्पड़ को हाथी द्वारा उनको मारा गया अभी 15.07.09 को यानी कि पाँच दिन पहले रन्नू पत्नी श्री संजय थापा निवासी बाल कुंआरी को घर से हाथी ने अपने सूंड से बाहर निकालकर घायल किया और उसके साथ–साथ सरदार हरबंस जी निवासी लाल तप्पड़ की दीवार को और कगजधी उद्योग की दीवार को जिस प्रकार से तोड़ा गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करना चाहूँगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाथियों का बहुत ज्यादा आतंक है उनकी रोकथाम एवं इसके साथ–साथ वि०स० क्षेत्र के श्यामपुर न्याय पंचायत, मानियावाला न्याय पंचायत क्षेत्र है उसमें बाढ़ की स्थिति बहुत नाजुक रहती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति होती है तो मेरा आपसे आग्रह है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष प्राविधान किया जाए और रायवाला, खदरी में जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत बुरी है उनको बनाने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और पुनः माननीय निशंक जी को संतुलित बजट के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमन्, जिस प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार निर्धारित न हो उस प्रदेश का बजट कैसा होगा इसका अंदाजा स्वयं सरकार लगा सकती है। श्रीमन्, सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के हमारे सम्मानित साथियों ने जो बातें कहीं उन तमाम बातों पर मैं बल देता हूँ और साथ ही साथ मैं यह नहीं समझ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाया कि हमारे कुछ साथियों ने बजट के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही तो किस आधार पर कही, यदि इस पुस्तिका का अध्ययन किया होता तो निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथी यह कहते कि यह बजट घोर निराशा वाला बजट है, यह जन विरोधी बजट है, यह विकास विरोधी बजट है। मान्यवर, मैं बहुत सारी बातें कहने जा रहा था, लेकिन कुछ बिन्दुओं पर निश्चित रूप से, चूंकि यहाँ पर नेता सदन बैठे हैं। मैं उनका ध्यान भी आपके माध्यम से आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, बजट 2009-2010 में व्यवस्थित व्यय को मानक मदवार यदि इसका अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह सरकार विकास विरोधी सरकार है। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मद पर जब हम दृष्टि दौड़ाते हैं तब हम पाते हैं वृहद निर्माण कार्य में 74.78 लाख की कमी की गयी है। लघु निर्माण कार्यों में 33.25 की कमी की गयी है, मशीनों और साज-सज्जा उपकरणों के संयत्र में 32.92 प्रतिशत की कमी की गयी है। मान्यवर, मैं नहीं समझ पाया, हमारे बहुत से सम्मानित साथी कह रहे थे, कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने जो संकल्प लिया है इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का कार्य कर रहे। मान्यवर, अगर शिक्षा के मद में किसी क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की गयी है, तो वह स्थानान्तरण यात्रा व्यय में की गयी है, इसमें 103.33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। जो हमारे बहुत से सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत सारे कार्य करना चाहती है, वे किस आधार पर कह रहे थे, यह मैं नहीं समझ पाया। मान्यवर, जब वृहद निर्माण नहीं होगा, जब लघु निर्माण नहीं होगा, जब मशीनों और साज-सज्जा उपकरण नहीं होंगे तो इस प्रदेश में शिक्षा को मजबूत करने का कार्य हम कैसे करेंगे ? यह शोचनीय विषय है। मान्यवर, साथ ही साथ जो प्रशिक्षण व्यय है, इसमें भी कमी की गयी है। यदि हम औषधि और रसायन में भी नजर दौड़ाते हैं तो इसमें भी कमी की गयी है। मान्यवर, मैं चिकित्सा एवं परिवार कल्याण पर बात करना चाहता हूं जिस चिकित्सा के बारे में कहा गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत उन्नति की है, प्रगति की है, लेकिन जब इस बजट पर हम नजर दौड़ाते हैं तो वृहद निर्माण कार्य में 65.26 कमी की गयी है, लघु निर्माण में 22.25 की कमी की गयी है, मशीन एवं साज-सज्जा उपकरण संयंत्र पर भी 36.46 की कमी की गयी है। औषधालय सम्बन्धी आवश्यक साज-सज्जा में निश्चित रूप से 106.53 की वृद्धि की गयी है, अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से यह बात कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। मान्यवर, हमारे बहुत सारे सम्मानित साथियों ने 108 सेवा का जिक्र किया है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं 108 इमरजेंसी मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट है। इससे सम्बन्धित सत्यम इन्स्टीट्यूट में जो घोटाला हुआ इसके ट्रस्टी श्री रावलिंगम राजू हैं। निश्चित रूप से यह सेवा 10 राज्यों में चल रही है और मैं कहना चाहता हूं इस एन0जी0ओ0 को जो ठेका दिया गया है, वह किस प्रकार से दिया

गया है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करायी जा रही है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ नेता सदन बैठे हैं और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि 108 सेवा का जिक्र बार–बार होता है। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य यह सेवा कर रही है, लेकिन इसमें केन्द्र सरकार की कितनी हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी है। निश्चित रूप से नेता सदन, सदन में इस बात को कहने का कार्य करेंगे। मान्यवर, मैं जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास का जिक्र करना चाहता हूँ, इस मद में भी अगर हम देखें तो निश्चित रूप से मशीनें, साज–सज्जा उपकरण संयंत्र के लिए 0.60 की बात कही गयी और अनुरक्षण मद में हम देखें तो इसमें कोई बजट का प्राविधान नहीं किया गया। मैं तो कहूँगा कि आवास और नगर विकास का जब मैं जिक्र करता हूँ और बजट भाषण का जब हम अवलोकन करते हैं। बजट भाषण में कहा गया है कि शहरी विकास एवं आवास के लिए 447.17 करोड़ बजट का प्राविधान किया गया है। लेकिन जब हम उत्तराखण्ड शासन की इस पुस्तिका का अवलोकन करते हैं, जब हम इसमें देखते हैं तो इससे पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरीके से बजट का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, आयोजनागत और आयोजनेत्तर मद में रू0 362 करोड़ का प्राविधान आपने किया है और बजट भाषण में आपने कहा कि हमने रू0 447.17 करोड़ का प्राविधान किया है। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि नेता सदन इसमें स्थिति स्पष्ट करें कि बजट का प्राविधान 362 करोड़ का है और आपने अपने बजट भाषण में रू0 447.17 करोड़ की व्यवस्था की बात की है। यह जो विरोधाभास है, मैं नही समझ पाया कि किस तरह से हम शहरी विकास और आवास में आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सूचना पर नजर दौड़ाते हैं, विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय में 71.77 की वृद्धि की गयी है। आतिथ्य व्यय विषयक मद को हम देखते हैं, तो इसमें 46.40 की कमी की गयी है। यह निश्चित रूप से शोचनीय विषय है। मान्यवर, कल्याण योजनाओं को जब हम देखते हैं, तो विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय, इसमें 625.27 की बढ़ोत्तरी की गयी है। निश्चित रूप से यह शोचनीय विषय है। मैं नहीं समझ पाया, हो सकता है सदन के मेरे सम्मानित साथी समझ पाए हों, किस आधार पर यह वृद्धि की गयी है। 625.27 की वृद्धि इस राज्य के लिए उचित होगी ? माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस ओर भी ध्यान देंगे। इसी तरीके से कृषि का जब हम बजट देखते हैं, कृषि के बजट में सारी मदों में कमी की गयी है। इसमें 14.16 की कमी की गयी है। एक ओर कहते हैं कि हम कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम एक ओर कहते हैं कि इस प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है, उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से बजट में कटौती की है, यह सरकार की कृषि के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसको दर्शाती है। इसी तरीके से सहकारिता के बजट में भी 6.92 की कमी की गयी है। श्रीमन्, हम नहीं समझ पाए कि बजट में यह कमी करने के बाद किस तरीके से आप तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे ? माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सिंचाई और बाढ़ का मैं जिक्र करूँ....

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में नीतिगत विषयों पर चर्चा में भाग लिया जाता है। श्रीमन्, समय-समय पर वाद-विवाद के बाद जो व्यवस्थाएं पीठ से आयी हैं, चूंकि विभागवार मदों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित है, जितनी भी विभागवार अनुदानों पर चर्चा होगी, विस्तृत रूप से उस समय चर्चा हो जाएगी। आप जितनी बातें कहेंगे, उतनी बातों का जवाब देना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। विभागवार अनुदानों की चर्चा के समय माननीय मंत्रीगण उनका उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगे।

श्री प्रीतम सिंह--

मानीनीय अध्यक्ष जी, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही, उसके बारे में कहना है, यह नीतिगत ही है।

श्री अध्यक्ष--

मानीनीय प्रीतम सिंह जी.....

श्री प्रीतम सिंह--

मान्यवर, मानीनीय मंत्री जी की बात आ गयी, उनकी बात आपने सुन ली और उसी के अनुरूप आप मुझे निर्देशित कर रहे हैं। मेरी बात भी सुन लीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

समय भी हो गया है।

श्री प्रीतम सिंह--

मानीनीय मुख्यमंत्री जी, जो बात मानीनीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही, मैं नहीं समझ पाया। विभागीय मदों पर जब चर्चा होगी, तब भी चर्चा होगी लेकिन सदन के अन्दर अगर हम जिक्र करें, सदन के अन्दर जितने भी मानीनीय सदस्यों ने अपनी बात कही..

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, एक विनम्र अनुरोध है कि सदन परम्पराओं पर चलता है यदि आप कहें तो मैं उद्धरण दे देता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह--

मान्यवर, मैं वही बात कह रहा हूँ, जो बात आपने कही।

श्री अध्यक्ष--

अगर प्रत्येक मानीनीय सदस्य प्रत्येक विभाग पर बजट पर सामान्य चर्चा में ही चर्चा करेगा तो दिक्कत हो जाएगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अब तो सारी किताबें बन्द कर दी हैं। अब तो कहने दीजिए। अब भी नहीं कहना है, तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

समय भी पूरा हो गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अगर हमारे लिए समय की पाबन्दी है।..........

श्री अध्यक्ष–

पाबन्दी सबके लिए है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, ठीक है, हम बैठ जाते हैं।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण शुरू किया तो सबसे पहले आटा, मैदा, सूजी और बेसन का जिक्र किया है, कि हमने उसे टैक्स फ्री किया है। लेकिन कहीं भी बजट में यह व्यवस्था नहीं की कि मैदा, आटा, सूजी और बेसन आयेगा कहाँ से। आज पूरे प्रदेश में और मैं यह कहूँगा कि अधिकतर पूरे देश में सूखे की स्थिति है, किसान तबाह हो चुका है, जितना लम्बा इस बार गर्मियों का मौसम गया है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि किसान का एक–एक दिन हजार–हजार रूपये से ऊपर अपनी फसल को बचाने में खर्च हो गया है। सब किसानों के पास नहर का पानी नहीं है, सबके पास अपने ट्यूबवैल नहीं है और सबके पास अपनी व्यवस्था नहीं है। आज जो किसान अपनी फसल को रोकने के लिये अगर किराये पर पानी की व्यवस्था करता है तो वह 50 रूपये प्रति घंटा से अधिक के हिसाब से पानी लेता है और एक घंटे में एक बीघा फसल भी नहीं भरी जा सकती है। आज जो ईख की फसल है, अन्य फसलें हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, आज 1000 से 1500 रूपये की लागत ही फसल के पानी पर आ चुका है। अगर पानी की ही लागत 1000 से 1500 रूपये, प्रति बीघे के हिसाब से आयेगी, तो उस किसान की हालत क्या होगी यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मान्यवर, अगर वाकई इस प्रदेश के मुखिया और इस प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में है, वह गरीब के मुंह को रोटी देना चाहती है और यह व्यवस्था करना चाहती है कि आटा, बेसन, सूजी और मैदा सस्ती हो, तो उसके लिये यह घोषणा होनी चाहिये थी कि प्रति बीघे के हिसाब से, प्रति हैक्टेयर के हिसाब से कृषि प्रोत्साहन नीति बनाई जाय।

अगर आप धान की फसल पर, गेहूँ की फसल पर, ईख की फसल पर सब्सिडी के तौर पर प्रोत्साहन राशि प्रति बीघा, प्रति एकड़ और प्रति हैक्टेयर देना शुरू करें तो फिर मैं समझता हूँ कि आटा, मैदा और सूजी पर टैक्स कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आटा 5 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से मिलेगा तो जो गरीब है, जो झोपड पट्टी में रहने वाले लोग हैं, जो नरेगा की 100 रूपये की दिहाड़ी करते हैं, उसे 15 रूपये में सूजी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आटा लेना ही उसके लिये भारी पड़ता है। सूजी का हलवा तो वह खायेगा, जिसके पास एक्सट्रा पैसा होगा, बेसन की भजिया-पकौडी वह खायेगा, जिसके पास एक्सट्रा बजट होगा। अगर आदमी के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास व्यवस्था नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ जीना जी, आप शायद पी-पी के ज्यादा परेशान रहे, इसलिये आपको आटे के रेट पता नहीं हैं। अगर आपके परिवार का कोई आदमी या आपका कोई पड़ोसी नरेगा में दिहाड़ी करें, तो फिर आपको पता लगेगा कि 15 रूपये किलो के हिसाब से आटा लेने के बाद उसके पास बचता क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान को, गरीब को लाभ देने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है, इस बजट में सूचना का बजट 25 करोड़ रूपये है और कृषि का बजट मात्र 12 करोड़ रूपये रखा गया है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं देहाती हूँ ना और देहाती भाषा में बोल रहा हूँ, पूरबी में बोलूगा तो पाण्डेय जी, आपको और परेशानी होगी। मान्यवर, आज सरकार किसानों की ओर नहीं देख रही है किसानों की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि यह प्रदेश खुशहाल हो सकेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर नहीं हैं, एक दिन वह माननीय गन्ना मंत्री जी से 20 रूपये प्रति किलो मावा देने की माँग कर रहे थे।

मान्यवर, उसके साढू भाई के पास पशुपालन है। बता रहे थे कि एक साल में 10 भैंसें चली गयी, ऊपर वाले को प्यारी हो गयी। माननीय अध्यक्ष जी, आज मिलावट की व्यवस्था पूरी हो रही है। हर चीज में मिलावट की व्यवस्था की बात आती है, हर चीज में मिलावट दिखाई जाती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शहजाद जी, उनके साढू भाई के पास सिंचाई है, पशुपालन नहीं है।

श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, हर जगह मिलावट की बात आती है। मिलावट आज सब्जी में भी हरी सब्जी में मिलावट, दूध में, पनीर में, मावे में, लेकिन मैं दूध की तो गारन्टी लेता हूँ। मेरा जो दूध है उसकी गारन्टी गन्ना मंत्री जी हैं। सब पर भारी पड़ते हैं, जब ये बोलते हैं, लेकिन पनीर की गारन्टी मंत्री जी नहीं ले रहे हैं कि पनीर ठीक है या नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आवश्यकता है, आज हमारे प्रदेश को आवश्यकता है पशुपालन में आगे बढ़ाने की। अगर हमारी प्रदेश पशुपालन के रूप में जो हमारे

छोटे–छोटे किसान हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें और पशुपालन में उनके यहाँ से लाने की व्यवस्था करें, सब्सिडी की व्यवस्था करें और किसान 20–20, 25–25 के समूह में पशु रखें तो मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश जो आज बाहर से काफी संख्या में मिलावटी दूध प्रदेश को सप्लाई है, हम स्वच्छ और साफ, शुद्ध दूध अपना भी दूसरे प्रदेशों को सप्लाई कर सकते हैं और जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें पूरी तरह नहीं लेकिन 25–30 प्रतिशत हम उसमें कामयाबी और सफलता पा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरा कहना है। माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ मेले की बात आती है। मैंने मीटिंगों में भी कहा है जो कुम्भ की व्यवस्था है, आज विधायक निजामुद्दीन जी ने भी कहा कि वो व्यवस्था 2022 के लिए की जा रही है, जब अगला कुम्भ होगा। जो कुम्भ 2010 में है, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था आज जिस कछुआ चाल से हो रही है मैं समझता हूँ कि उसके लिए बजट की आवश्यकता नहीं है। बजट की बंदरबांट होगी, दूसरा काम नहीं हो सकता है, बुनियादी काम आज नहीं हो सकते हैं। अभी वहाँ कांवड़ मेला चल रहा है, लाखों लोग यहाँ से, दिल्ली से कान्टीन्यू एक कतार में है, उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं है और वहीं हरिद्वार में, जहाँ कुम्भ होता है, वहीं पिरान कलियर भी है, पिरान कलियर के लिए एक फूटी कौड़ी, एक नये पैसे की व्यवस्था आज तक पहली सरकार ने या वर्तमान सरकार ने, किसी ने माननीय अध्यक्ष जी, नहीं की है। मैं नेता सदन से उम्मीद करता हूँ कि चलो, ये तो बहुत बड़े हिमायती हैं मुस्लिम के, आप ही उस शुभ को कर दीजिए, कि कलियर के लिए जो वहाँ मेला लगता है, जो लाखों जायरीन आते हैं, उनके लिए बजट की व्यवस्था हो जाय जिससे वहाँ साफ और सुथरा, स्वच्छ माहौल रहे और कुछ व्यवस्था जो वहाँ बुनियादी निर्माण है, वहाँ सीवर लाईन की आवश्यकता है, एक वहाँ बहुत बड़े सुलभ शौचालय की जिसमें 4, 5 हजार लोग एक बार जा करके स्नान करके फ्री हो करके निकल सकें, ऐसी व्यवस्था सरकार कुछ वहाँ कराए जिससे वहाँ आने वाले लोग भी ठीक सा अपने आप को महसूस करें। माननीय अध्यक्ष जी, आज शिक्षा की बात है, आज शिक्षा से मैं समझता हूँ कि सदन में रोज बात उठती है, लेकिन मैं गारन्टी के साथ आज कह सकता हूँ कि जो आज हमारी प्राइमरी शिक्षा है, जो हमारी जूनियर हाईस्कूल तक की शिक्षा है, आज शिक्षा के स्तर कई हो चुके हैं। जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पांचवीं क्लास का बच्चा आज अपना नाम लिखना नहीं जानता है, इमला की बात छोड़ दीजिए। उसमें शिक्षा मंत्री जी आज के हों, पहले के हों किसी ने भी बुनियादी स्तर पर सुधार की बात नहीं की है। मान्यवर, जबकि इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्राइमरी शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मिड–डे–मील योजना सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू है। लेकिन मिड–डे–मील योजना से आज शिक्षा लगभग चौपट हो गई है। जैसे मीड–डे–मील बंटना शुरू होता है, तो बच्चे जो थाली ले जाते हैं, प्लेट ले जाते हैं, उसे बजाना शुरू कर देते हैं। इस मिड–डे–मील में आज सरकार को पहल करते हुए सुप्रीम

कोर्ट में अपील करें या केन्द्र सरकार से बात करें। उस मिड–डे–मील को वहाँ भले ही वह छात्रवृत्ति के रूप में या किसी दूसरी व्यवस्था के रूप में नकदीकरण करते हुए उन बच्चों को दिया जाय वर्ना मिड–डे–मील इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देगा। माननीय अध्यक्ष जी, उर्दू, फारसी बोर्ड की माँग बहुत लम्बे समय से है, लेकिन आज तक उर्दू फारसी बोर्ड की व्यवस्था इस प्रदेश में नहीं हो पायी है। जबकि आवश्यकता है उर्दू फारसी बोर्ड की। मान्यवर, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो अभी पास किया है, लगभग सर्वसम्मति से पास है, लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनका विरोध हरिद्वार के नाम पर था कि यह पहाड़ पर होना चाहिए। पहली बार इन आठ साल में हरिद्वार को भले ही आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय मिला हो, लेकिन पहली चीज है जो हरिद्वार को मिली है। इससे पहले हरिद्वार को न आपकी सरकार ने दिया और न इस सरकार ने दिया। मैं यह नहीं कहूँगा कि वह किसके लिए दिया गया है। लेकिन हरिद्वार में पहल हुई है, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। जहाँ 108 की व्यवस्था है, 108 जो एम्बूलेंस है चाहे वह पैसा लिगम राजू का है या केन्द्र का है लेकिन व्यवस्था जनहित में है उसका और व्यापक रूप में विस्तार होना चाहिए और आम आदमी की पहुँच में वह रहे, आम आदमी के काम में वह आये। क्यों न हम जो यहाँ चुनकर आते हैं हम लोगों की पहली प्रायर्टी लोगों को फैसीलिटी उपलब्ध कराना होता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा उसकी तरफ ध्यान रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अल्पसंख्यक की बात करना चाहता हूँ, पिछले साल अल्पसंख्यक को छात्रवृत्ति नहीं मिली और इस बार भी शायद न मिले, कहीं भी बजट में एक बार तो अल्पसंख्यक है, लेकिन वित्त की व्यवस्था इतने बड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यक में जैन साहब भी हैं, इनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हुई, इनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो। तो साथ में हम भी जुड़ जायेंगे। अल्पसंख्यक छात्रों को पिछले साल भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी और इस साल भी नहीं मिली। मैं चाहूँगा कि सरकार इस साल और पिछले साल दोनों सालों के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करें। माननीय अध्यक्ष जी, बात आती है समुचित विकास की, विद्युतीकरण की बात कही गयी है, लेकिन अब तक की जो विद्युतीकरण की व्यवस्था है वह गाँव तक बिजली ले जाना, दो–चार खम्भे लगा देने को विद्युतीकरण का नाम दिया जाता है। जब तक पूरे गाँव में चाहे कोई भी गाँव चयन किया जाय उसका समुचित विद्युतीकरण और समुचित विकास, समुचित विकास तभी हो सकता है जब एक तरफा किसी चीज को पूरी तरह डेवलप किया जाय। विद्युतीकरण में मैं भ्रष्टाचार की बात करूँ, हरिद्वार में तो बहुत ही बुरा हाल है। हमारी जो जिला योजना है वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर आ जाती है। हमें कहा जाता है कि 20–20 लाख के प्रस्ताव दो । जब काम होता है तो 5–6 पर सिमट जाता है, जो ठेकेदारों को पैसा दे आया, उसके यहाँ पहले लाइन खिंचेगी उसका काम पहले होगा विधायक का काम बाद में होगा। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक विकास की बात सदन में आई। इस प्रदेश में अंधाधुन्ध औद्योगिकीकरण हुआ है। अभी पाँच सांसद कांग्रेस के जीतकर संसद में गये

है। लेकिन जो वादे जनता से किये गये थे कि हम तीन साल और औद्योगिक पैकेज को बढ़वायेंगे। लेकिन उसमें अभी तक चिट्ठी–पत्री लिखने का ही काम हुआ है। मैं चाहूँगा कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर औद्योगिक पैकेज बढ़वाने का काम करें। जहाँ इसकी आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि पहाड़ पर आप उद्योग न लगायें अगर पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है उसे आप रोक लें तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार का विकास अपने–आप हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, संक्षिप्त करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद हो गया, आपका।

श्री शहजाद–

मान्यवर, ठीक है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने को मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश हुआ है वह पूरी की पूरी तरह से जनता के हित में लोगों की अपेक्षा के अनुरूप है। जो हमारी रोज–मर्रा की चीजें हैं जो आम जन मानस अपने डेली यूज करता है, उन उत्पादों पर सरकार ने करों में छूट दी है। सरकार ने आटा, सूजी और मैदा पर करों में छूट दी है। सरकार ने पूरी की पूरी तरह से आम जनमानस का ख्याल रखा है। सरकार पूरी की पूरी गरीब जनता के साथ है। अभी 108 सेवा का जिक्र हो रहा था। हमारे बड़े भाई माननीय प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि सत्यम घोटाले के आरोपी को 108 सेवा में जो हिस्सेदारी है वह सत्यम कम्प्यूटर की है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ध्यान है, इससे पहले भी माननीय श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय हर्षद मेहता जी के द्वारा तीन हजार करोड़ रूपये का शेयर घोटाला हुआ था तब उस पैसे का कहीं कोई यूज नहीं आया तब भी अगर 108 सेवा लग जाती तो हम अच्छा मानते कि कुछ तो जनता के हित के लिए हो रहा है। अगर उस पैसे को खा जाते तो वह व्यर्थ चला जाता है। उसका कुछ अंश 108 सेवा में लग रहा है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। क्योंकि आज 108 सेवा द्वारा ग्रामीण अंचलों में बहुत लाभ हो रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मुझे इंगित किया गया है। ऐसा करें डकैती डलवा दें और डकैती में मिली धनराशि कहीं और लगा दें। (घोर व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

श्रीमन्, मैं नाम वापस ले रहा हूँ। माननीय सदस्य को अगर मेरी बात से कष्ट हो रहा हो। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

नाम वापस ले लिया है। माननीय ओम गोपाल जी, आप मुझे सम्बोधित करें।

श्री ओम गोपाल–

श्रीमन्, आज 108 सेवा ग्रामीण अंचलों में आधे घण्टे के अंदर उपलब्ध हो जाती है। हमारी जो मातायें और बहनें हैं, जो डिलीवरी के समय सही समय पर गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं होती है लेकिन आज 108 सेवा आने से तमाम समस्यायें दूर हो गई है। लोग निश्चित हैं कि हमको कभी भी कोई कष्ट होगा तो 108 सेवा आधे घण्टे में उपलब्ध हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याल आवास योजना इससे पहले इंदिरा आवास योजना के तहत.........

श्री अध्यक्ष–

आप प्रत्येक योजना का नाम न लेते हुए नीतिगत रूप से सामान्य रूप से जो बात कहनी है कह दीजिए। आप पूरे मौके का फायदा उठावें। आगे भी मौका लगेगा जब विभाग वार चर्चा होगी। (हंसी)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एम0आर0आई0 मशीन दून अस्पताल में लगायी है। आज से पहले लोगों को 7–8 हजार रूपया देकर कभी जौलीग्रान्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी बाजार में लगाते थे। मुझे याद है कभी मैंने अपने पिता जी का एम0आरआई0 कराया था, आठ हजार रूपये हम से भी लिये गये दिलाराम बाजार पर डा0 कलन द्वारा गरीब परिवार के लोग जो बी0पी0एल0 परिवार में आते हैं, यदि वो बीमार होते हैं तो डा0 उनसे एम0आर0आई0 करने के लिए कहते हैं या एक्सरे कराके लायें। आज सरकारी अस्पतालों में एम0आर0आई0 लगाने से उन तमाम गरीब लोगों को इससे राहत मिल रही है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रही है।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद हो गया है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो वृद्धावस्था और विकलांग लोग थे। इसमें विकलांग लोगों के लिए पेंशन हेतु 60 प्रतिशत तक विकलांग का सर्टीफिकेट माँगते थे तभी पेंशन मिलेगी। लेकिन आज वह भी सरकार ने घटा करके 40 प्रतिशत किया है। इससे आज हजारों लोग इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ दिन पहले आन्दोलनकारियों की बात सम्मानित सदन में रखी थी, मैं सुन रहा था। कह रहे थे कि इस बजट में थोड़ा प्राविधान आन्दोलनकारियों का भी होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमें याद है जब उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन चल रहा था, आज जो लोग हिमायती उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के हुआ करते हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार, जब सपा और बसपा की सरकार चल रही थी। यहाँ तक की कांग्रेस के नेता [XXX] मान्यवर चूँकि हम आन्दोलनकारी रहे हैं.........।

श्री अध्यक्ष–

[XXX] यहाँ पर नहीं हैं। [XXX] यहाँ कहीं दिखायी दे रहे हैं आपको ? अभी आप उनका नाम यहाँ पर मत लीजिए। (हंसी) आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, [XXX] हमें देश–द्रोही तक, हमको कहा गया था तत्कालीन [XXX] (हंसी), जब उनके हाव–भाव चेंज हो गये हैं मैं तब की पीड़ा को बता रहा हूँ। जो उत्तराखण्डी अपने देश की सड़कों पर अपना खून बहाया करते थे, चाहे हमारे गढ़वाल रेजीमेंट हो गया कुमाँऊ रेजीमेंट हो वो तमाम नौजवान अपना खून बहाते थे, उनको तत्कालीन सरकार द्वारा खुले आम देश–द्रोही कहा गया था।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत बात है कि देश–द्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इस बात का खण्डन कर दीजिये।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, सुरेन्द्र राकेश जी, मेरी सच्चाई को सुना करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी आप, अपनी बात को समाप्त करें।

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'मदू भाई'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सामान्य बजट भाषण के चर्चा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। श्रीमन्, सरकार ने इस बजट में अनुमानित घाटा लगभग 828.22 दिखाया है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें से जिनके नाम सदन में आये हैं और जो इस सम्मानित सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम कार्यवाही से हटा दिये जायं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'मदू भाई'–

मान्यवर, इस पर बड़ी निराशा तो हुई साथ ही जब मैंने इस पुस्तक का अवलोकन किया तो मुझे लगा कि सरकार ने जहाँ घाटा पेश किया वहीं कुछ भ्रामक और शंका की स्थिति पैदा हुई है, एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दबाव बनाकर आयुर्वेद की जन्मस्थली और संजीवनी जैसी जड़ी बूटी जैसे अपार भण्डार के लिए विश्वविद्यालय को यहाँ बनाने की बात कहीं है वहीं मुझे शंका हुई। एक ओर सरकार कहती है कि जड़ी–बूटियों का बहुत ज्यादा महत्व है और जो उत्तराखण्ड में विशेषतः पायी जाती है इसलिए इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता जरूरी है, वहीं आज एक मेरे प्रश्न के उत्तर पर, मैंने एक प्रश्न यहाँ पूछा था कि क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 अगस्त, 2006 धामदो जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट मे आयुर्वेदिक फार्मेसी विषयों के संचालन हेतु घोषणा की गयी थी, उसका उत्तर जी हाँ, यदि हाँ तो उक्त के संदर्भ में अब तक क्या प्रगति हुई तो उत्तर है इसी सदन में, आयुर्वेदिक फार्मेसी पाठ्यक्रम में संचालन हेतु भारतीय भेषज संघ की मान्यता आवश्यक है, मान्यता प्राप्त न होने के कारण राजकीय पॉलिटैक्निक लोहाघाट में पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो सकता, तो एक ओर सरकार कहती है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जरूर बने और यहाँ की ख्याति बढ़े दूसरी ओर ऐसा उत्तर आता है, मान्यवर, इस पुस्तिका के अंदर और क्या चीजे हैं यह जगजाहिर है, मान्यवर, अभी विद्युत की बात हुई तो मान्यवर, 2009–10 में 67 ग्राम में 1874 तोकों का विद्युतीकरण किया जायेगा, आज स्थिति यह है मेरे जनपद कि ढाई साल में मुझे एक एल0टी0 का एक पोल उपलब्ध नहीं है आज सब सड़ गये हैं गल गये हैं, और जो राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्यालय है वह रानीखेत में है। ढाई साल में एक खम्भे की तलाश में हमेशा यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि बजट उपलब्ध नहीं है, आज यह हालत है। जहाँ तक बी0पी0एल0 की बात है कि बी0पी0एल0 को विद्युत संयोजन दिए जाने के सम्बन्ध में यहाँ के अधिकारी कहते हैं जहाँ बी0पी0एल0 के लोग रहते हैं तो पहले ए0पी0एल0 वाले को तलाशो और एक कनेक्शन ए0पी0एल0 का लो, तब बी0पी0एल0 के कनेक्शन मिलेंगे। तो मान्यवर, अपने आप में ही विरोधाभास है यहाँ आप

कह रहे हैं कि हम बी0पी0एल0 को कनेक्शन देंगे, और वहाँ अधिकारी कहते हैं कि बी0पी0एल0 का कनेक्शन तब दिया जायेगा जब गांव में ए0पी0एल0 का कनेक्शन लेंगे, इसी प्रकार से आपने स्मार्ट स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव दिया यह बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि पहले स्कूलों में मास्टर भेजकर तो स्मार्ट बना दें, 2005 में एक विद्यालय माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने स्वीकृत किया था, मेरे विकास खण्ड बाराकोट में जी0जी0आई0सी0, आज भी वहाँ पर एक प्रवक्ता तक की नियुक्ति नहीं हुई, तीन साल बीत गए, चार साल बीत गए और स्मार्ट की बात कह रहे हैं, कम्प्यूटराइज की बात कर रहे हैं, जहाँ कम्प्यूटर लगे थे आज बिजली के पोल नहीं है।

मान्यवर, पेयजल की बात हो रही है तो सारा सदन इसको जानता है और माननीय पेयजल मंत्री जी यहाँ हैं आज सारे स्रोत जो ग्रेविटी के स्रोत थे उसमें पानी बिल्कुल नहीं है या सूख गया है और नदियाँ बगल से बह रही हैं परन्तु ऊपर से लोग खाली पानी को देख रहे हैं और पीने के लिए पानी नहीं है, लिफ्ट स्कीम कहीं कोई बात इस बजट में नहीं आई है और आज विभागों का यह हाल है कि मेरे जनपद में 3 जे0ई0 हैं 4 विकास खण्ड बड़े–बड़े हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति का माननीय मंत्री जी को ज्ञान है, केवल 3–3 जे0ई0 और एक ए0ई0 है जब किसी को बुलाया तो जे0ई0 का पता नहीं रहता है। मान्यवर, सड़क की बात कही, प्रदेश के विकास खण्ड तथा सुगम आवागमन के लिए सम्पर्क मार्गों का पर्याप्त आच्छादन होगा, वह महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग की बात यहाँ पर कही है तो सन् 1981 में टनकपुर चल्थी घाट जो सबसे संकरी मार्ग है और जो सीमाओं से जुड़ा हुआ है आज उसकी यह हालत है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है, इसके लिए पूर्व में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कोई दुर्घटना हो गई तो आज कोई देखने वाला नहीं कि उसकी क्या हालत है। मान्यवर, शहरी विकास की बात है, शहरी निकायों में समस्याओं के निराकरण की बात कही है, मैंने कई बार इसी सदन में यह बात उठाई थी कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे तो सारे उत्तर प्रदेश में फ्री–होल्ड की बात तय हो गई थी और सारे नगरी क्षेत्र में फ्री–होल्ड हो गई थी, केवल जनपद चम्पावत का तहसील लोहाघाट ऐसा है, टनकपुर ऐसा है जहाँ अभी तक फ्री–होल्ड नहीं हुआ है, सरकार का ध्यान उस ओर भी नहीं है। मान्यवर, वन एवं पर्यावरण तो यहाँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है वन विभाग से, आज 24 सड़कें वर्ष 2002 के बाद से लम्बित हैं, केवल वन विभाग के कारण, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अगर पी0डब्ल्यू0डी0 से पूछें कि सड़क क्यों नहीं बन रही है तो कहते हैं कि वन विभाग जाने, हमने तो अपनी फाईल वन विभाग को भेज दी थी और वन विभाग का कोई अधिकारी आज उत्तर देना पसन्द नहीं करता, आज 24 सड़कें केवल जनपद चम्पावत में लम्बित हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री माहरा जी, एक मेरा अनुरोध भी सुन लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी 5:30 बजे अपना भाषण करेंगे और अभी माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी को भी कहना है। कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, आपने फारेस्ट विभाग की बात कही है आप कह रहे हैं कि भारत सरकार में पड़ी है यदि भारत सरकार का नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश में बैठ सकता है तो भारत सरकार का नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में भी बैठ सकता है। सरकार के माध्यम से क्या प्रयास हुये हैं मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि भारत सरकार में पड़ी है तो भारत सरकार का नोडल अधिकारी लखनऊ में बैठा है तो हमारे उत्तराखण्ड ने क्या प्रयास किया कि नोडल अधिकारी लखनऊ में न बैठकर देहरादून में बैठे, यह मैं जानना चाहता हूँ। मान्यवर, खेल और युवा कल्याण का बजट है तो माननीय मंत्री जी, यह 25 लाख का बजट तो बहुत कम है, खेल में 25 लाख की बात है तो यहाँ पर तो खिलाड़ी भी हैं और केवल माननीय चैम्पियन जी के पास 25 लाख का सेट होगा, तो यह तो बहुत ही कम बजट है। मान्यवर, यह सोचने की बात है कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है ब्रिटिश काल से ओखलघाट में बरसों से हवालात हुआ करता था जिसको आज जेल कहते हैं, हवालात में ब्रिटिश टाईम में यह होता था कि रात को पटवारी मुल्जिमों को लेकर आते थे तो विश्राम कक्ष होते थे। मान्यवर, तो जो आज चार कक्ष उसमें हैं ब्रिटिश टाईम के हैं और जिले का हवालात कनवर्ट होकर जेल हो गया है और इसमें चार कमरे हैं 10 बाई 10 के और उसमें 50 मुल्जिम और 50 कैदी रहते हैं और उससे भी सोचनीय स्थिति यह है कि आज 8.80 पैसा, उनकी डाईट का पैसा है, यह बड़ा ही सोचनीय विषय है। मान्यवर, यह बयान जब होगा, तब होगा। मैं कह रहा हूँ कि 8.80 पैसे की डाईट उन कैदियों के लिए है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माहरा जी, समाप्त करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। आपके क्षेत्र की ही बात है। आपने नागरिक उड्डयन की बात की है। 1998 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इनके नैनीसैनी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। आज उसकी हालत जैसी की तैसी है। आज कोई देखने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ दो–दो सम्मानित मंत्री हैं इस जिले के, मेरा अनुरोध है कि आप इसे अन्यथा न लें। मान्यवर, मैं समझता हूँ यदि यही दशा रही।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माहरा जी, कृपया समाप्त करें, आपको तो बार–बार मौका मिलता रहता है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''–

मान्यवर, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं मौका ही नहीं लेता हूँ। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बजट से मुझे बहुत बड़ी निराशा हुई और बहुत बड़ा कष्ट हुआ है।

काजी मौ0 निजामद्दीन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका प्रदान किया। चूंकि समय का अभाव है मैं सारी चीजें छोटी करते हुए सबसे पहले अपने सत्तापक्ष के सभी साथियों से विनम्र निवेदन के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि तीन साल में तीन पूर्व मुख्यमंत्री दे चुके हैं और इधर वाले ही बेहतर थे कि पाँच साल में एक मुख्यमंत्री दिया। यदि आपकी रफ्तार यही रही तो जैसे यमुना कॉलोनी मंत्री आवास है, विधायक आवास है तो पूर्व मुख्यमंत्री आवास है, बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी यदि यही रफ्तार रही तो। इसलिए नम्र निवेदन करूँगा कि डा0 साहब को थोड़ा सा वक्त दें और उनका सहयोग करें। मान्यवर, बजट किसी भी सरकार का, निर्वाचित सरकार के तीन साल तक बजट जुलाई के आखिरी सप्ताह में आये, यकीनन यह निंदनीय विषय है और एक विचारणीय विषय है, खासतौर से जो पहाड़ी प्रदेश है माननीय अध्यक्ष जी, वह भी उन हालात में जब दुनियाँ भर में मंदी का दौर चल रहा हो, और हर सरकार के बजट पर व्यापारियों और जनता की नजर लगी हुई है कि बजट आये और हम इस मंदी से उबरें। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी विडम्बना का प्रश्न रहा कि सरकार अपने राजनीतिक हालात में उलझी रही और शायद बजट पर ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि इस पर अधिकारियों का ज्यादा असर है। मान्यवर, बजट में सरकार का कम सिर्फ चार–पाँच लाईनें जो बजट भाषण की पुस्तक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ी थी मुझे वही लाईनें ऑरिजनल लगी थी, सरकार की तरफ से बाकी तो शायद ही इसमें इतना ऑरिजनल हो। मैं बहुत छोटी सी बातें मान्यवर, कहना चाहूँगा। मान्यवर, सरकार ने बजट रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा इसके दो–तीन दिन बाद मेरा एक सवाल यहाँ सदन में आया, उसमें मैंने पूछा क्या सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा अरबी–फारसी मदरसों के विकास के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है तो इसका सीधा–सीधा जवाब माननीय समाज कल्याण मंत्री जी की तरफ से आया, जी नहीं। जबकि आपकी बजट सामग्री को अगर पढ़ें जिसे आप स्वयं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो इसमें 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार का पैसा है मैं आपके सामने पूरे आंकड़े पढ़ता परन्तु पूरा टाईम नहीं है। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे। मुझे तो मात्र तीन–चार मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, जिस वर्ष का आपने पूछा था, उस वर्ष का नही दिया गया। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं पुस्तक भेज रहा हूँ इसमें तीन–चार वर्षो का आंकड़ा आपने ही दिया है या तो आपके मुख्यमंत्री जी गलत कह रहे हैं। या तो आप गलत कह रहे हैं। मुझे नही मालूम किसकी बात सही है। बहरहाल मैंने आपके सामने विषय रखा। कॉन्ट्राडिक्शन सरकार की तरफ से आया मेरी तरफ से नहीं। आज हालात इतने खराब हैं कि लगातार सरकार की तरफ से कौसचन आवर में चाहे बिजली का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो या चाहे कोई अन्य विषय हो, सब पर ऐसे भ्रमित करने वाले उत्तर आये हैं, जिसके जवाब बिल्कुल इनप्रैक्टिकल आये हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा बिजली पर लगातार जवाब आया कि कटौती नहीं हो रही है, वाकई नियोजित कटौती नहीं, अनियोजित कटौती तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो आज सुबह हम से कह रहे थे। मान्यवर, अनप्लैंड कटौती हो रही है और इसमें भी वोल्टेज बहुत ज्यादा खराब है। मान्यवर, 1304 मेगावाट की इन्स्टॉल कैपेसिटी उत्तराखण्ड में है। (व्यवधान) मान्यवर, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 800 मेगावाट से ज्यादा का प्रोडक्शन हमारा विद्युत विभाग कर पाया हो। कहीं न कहीं सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग के सम्बन्धो में कमी है। कहते हैं, पानी कम है, मेरा मानना है, दोनों विभागों में सम्बन्ध सही नही हैं। कहीं न कहीं दोनों के सम्बन्धों का असर प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। जहाँ हमको बिजली और प्रदेशों को देनी चाहिए। हम माँगते फिर रहे हैं या खरीदते फिर रहे हैं। मान्यवर, मैं सारी बातों को कट शॉर्ट करते हुए सिर्फ एक चीज कहना चाहूँगा कि बजट सामग्री में, बजट पुस्तक में, बजट भाषण में लगातार कहाँ गया, फलां जगह स्कूल बनेंगे, फलां जगह यूनिवर्सिटी बनेगी, फलां जगह हॉस्पिटल बनेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि आप प्रोग्रेसिव बजट दिखाएं, बजट ज्यादा खर्च करना दिखाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास जो पुराने बिजली के उपकरण हैं, जहाँ–जहाँ आपके पावर स्टेशन हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके कॉलेजेज हैं, आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें पूरी–पूरी तरह संभाल लीजिए। स्कूलों को शिक्षक दे दीजिए, हॉस्पिटल्स को डॉक्टर दे दीजिए, दवाएं दे दीजिए। मान्यवर, 108 की तारीफ होती है, मैं भी करना चाहूँगा। 108 वाकई अच्छी चीज है। अच्छा आईडिया था और शायद उसी आईडिये का आपको फल मिला कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ बैठे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन वह 108 मरीज को लेकर जाती कहाँ है ? जहाँ डाक्टर नहीं हैं, जहाँ दवाएं नही हैं। उनकी किस्मत रहती है, जो मरीज बच जाते हैं। वाकई मौत के मुँह में लेकर जाती है, वहाँ न दवाएं हैं, न डॉक्टर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, नये स्कूल्स, नये हॉस्पिटल्स सोचना बन्द करें, साल–दो साल के लिए और पुरानों को अपग्रेड करें। मान्यवर, लगातार हम देखते रहते हैं, सरकार के बारे में हम सुनते रहते हैं, प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग।

श्री अध्यक्ष–

माननीय निज़ामुद्दीन जी, कृपया समाप्त करें।

काजी मौ0 निजामद्दीन–

मान्यवर, मेरी घड़ी पर निगाह है और आप पर भी। मान्यवर, प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग हमारी चलती रहती है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, प्लानिंग को कुछ दिन पीछे कर दीजिए, साईड लाईन पर दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इस शब्द को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, एक पहल कीजिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा और मैं महसूस कर रहा हूँ, आपकी कार्यप्रणाली से माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप कुछ नया करना चाहते हैं। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग तो आपने बना दिया है, सेंटर से लेकर यहाँ तक। आप एक क्रियान्वयन समिति बनाईये, इम्प्लीमेंटेशन समिति बनाईये। आपकी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो जाए, तो चाहे कितना ही खराब बजट सही, कहीं न कहीं, कोई न कोई फायदा इस प्रदेश को जरूर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी और उनके बाद माननीय नारायण पाल जी, पाँच-पाँच मिनट दोनों के लिए हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इस बजट में न तो वर्तमान की और न ही भविष्य की कोई स्पष्ट सोच है। कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता। प्रत्येक विभाग के बजट में कटौती की गयी है, चाहे लोक निर्माण विभाग का हो, खाद्य का हो, पर्यटन का हो, कृषि का हो, पशुपालन का हो, चाहे उद्योग विभाग का हो। अभी मैं देख रहा था कि शहरी विकास एवं आवास के विषय में सरकार ने कहा कि राज्य सरकार शहरी निकाय क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं इन क्षेत्रों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। मान्यवर, मैं देहरादून का उदाहरण देना चाहता हूँ। देहरादून, जो आज हमारे राज्य की अस्थाई राजधानी है। आज देहरादून का क्या हाल है ? मान्यवर, आप भी इसी देहरादून का प्रतिनिधित्व लगभग 6 बार से कर रहे हैं। आज देहरादून जितना अविकसित हो गया है, आज देहरादून की जितनी दुर्दशा है, मैं नहीं समझता कि उतनी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी भी शहर की होगी। हम अपना जो मास्टर प्लान लाये हैं, 2025 तक का, आज उस मास्टर प्लान का क्या हाल है ? हमारा सजरा प्लान नहीं है, हमारा ज़ोनल प्लान नहीं है। यदि हम आज कोई नक्शा पास कराने एम0डी0डी0ए0 में जाते हैं तो हम यह नहीं जानते कि इसका लैण्ड यूज़ क्या है, हमें लैण्ड यूज़ पता नहीं। मान्यवर, मैं नहीं जानता कि कब इसका लैण्ड यूज़ बनेगा, कब वहाँ पर क्या व्यवस्था

बनेगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने क्या आवासीय व्यवस्था की है। आज पूरे देहरादून में अनियंत्रित आवास बने हैं। आज देहरादून के अन्दर चाहे आवासीय व्यवस्था हो, चाहे व्यवसायिक व्यवस्था हो, कोई नक्शा पास कराना पसन्द नहीं करता। और हमारा अपना विभाग, एम0डी0डी0ए0 भी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नक्शा पास कराये, क्योंकि नक्शा पास करायेंगे तो कुछ न कुछ वहाँ देना पड़ेगा। मान्यवर, जिस तरह से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत कार्य होना चाहिए थे, डी0पी0आर0 जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और आप भी उसके एक सदस्य हैं, जब से पूर्व सरकार गई है, ढाई साल से आज तक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की एक बैठक नहीं हुई है। अभी माननीय यशपाल जी ने बताया कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत हमें जो पैसा मिला है, उसे हम खर्च ही नहीं कर पाये हैं, उसे खर्च करने की हमारी कोई योजना नहीं है। मान्यवर, जिस तरह से हमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा खर्च करना चाहिये था, जिस प्रकार से हमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का पैसा खर्च करना चाहिये था, क्या हम खर्च कर पाये, क्या हम उसके लिये डी0पी0आर0 बना पाये हैं, क्या हम उसके लिये कोई योजना बना पाये हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जिसे हम कह सकें कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से संचालित हो गया है। इसी प्रकार से सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या हुआ, 20 करोड़ रूपया आपको मिला, उसका क्या हुआ, क्या किया आपने अभी तक, कहाँ पर उसका पैसा खर्च हुआ है ?

मान्यवर, हम अपने आप को ऊर्जा प्रदेश के रूप में कह रहे हैं, हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री जी थे, खंडूड़ी जी, उनके समय में कैबिनेट में एक फैसला हुआ कि प्रदेश में जो विद्युत की पुरानी योजनायें हैं, उनको पी0पी0पी0 मोड में दे दिया जाय। यह योजनायें हमारी ही योजनायें थी, जो हमें 44 पैसे प्रति यूनिट बिजली देती हैं, क्यों नहीं हम उनकी टेक्निकल जानकारी कहीं से लेते हैं, विभिन्न माध्यमों से हम उनके लिये क्यों नहीं पैसा स्वीकृत कराते हैं ? जिसकी सहायता से उन योजनाओं से ज्यादा उत्पादन करके राज्य के अन्दर विद्युत की स्थिति को और मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं ? मान्यवर, हमने पिछले दिनों विद्युत योजनाओं के लिये बहुत टेण्डर किये, लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं कि क्या-क्या खेल उसमें हुये हैं, कोई कहता है कि एक पुराने सचिव हैं, बहुत खेल करके चले गये हैं। अब क्या खेल हुआ है, क्या स्थिति है, उसे लोग जानना चाहते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर ऊर्जा का प्रचुर भण्डार है, हम बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिये, इसके सम्बन्ध में भी जनता को चिन्ता है। मान्यवर, इसी प्रकार से पानी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, देहरादून शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत 29 ट्यूबवेल स्वीकृत हुये थे, आज हमको उनके लिये जगह नहीं मिल पा रही है, सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे हमारे जलाशय नहीं बन पा रहे हैं और ट्यूबवेल नहीं लग पा रहे हैं। सरकार

ने अभी तक हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं की है, जबकि प्रत्येक गर्मियों में प्रत्येक सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं, अब की बार सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की, पैसा ही नहीं दिया। मान्यवर, आज बहुत बुरी स्थिति है, देहरादून के अन्दर दो महत्वपूर्ण नदियां, बिंदाल और रिस्पना नदियां हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनके किनारे जो मलिन बस्तियां बसी हैं, हम उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी अपने-अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम मलिन बस्तियों में मालिकाना हक देंगे। आज मालिकाना हक का क्या हुआ ? आज जो अनियंत्रित बस्तियां बसती हैं, उसके लिये मालिकाना हक देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को उसके घर का मालिकाना हक मिल जायेगा तो वह उसे व्यवस्थित रखेगा। पिछली सरकार के समय इन दोनों नदियों के पुश्तों की स्वीकृति दी गई थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 2.20 करोड़ रूपये खर्च भी हो चुका है। लेकिन, पिछले बजट में भी उसके लिये प्रावधान नहीं था और इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। इसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया, जो पुश्ता वहाँ पर बना था, आज वही क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है।

मान्यवर, सरकार ने हमारे पत्रकार भाईयों के लिये किसी भी योजना का वर्णन इस बजट भाषण में नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी की पहल पर सहकारिता से मात्र 5 प्रतिशत ब्याज पर 30 हजार तक की कम्प्यूटर खरीद पत्रकारों के लिये अनुमन्य की गई थी, माननीय खंडूड़ी जी की सरकार ने इसकी सीमा 50 हजार रूपये की थी। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुये इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दिया जाना चाहिये था, जिससे कैमरा, दोपहिया, चौपहिया वाहन के लिए भी ऋण का प्रावधान हो सके। मान्यवर, इसी प्रकार से पत्रकारों के लिये परिवहन विभाग की साधारण बसों में निःशुल्क सेवा हमारी सरकार ने की थी, लेकिन सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित बसों में निःशुल्क सेवा की स्वीकृति के बावजूद आज तक उसका शासनादेश जारी नहीं किया गया है, वह शासनादेश जारी होना चाहिये। मान्यवर, इसी प्रकार से शासन स्तर से प्रत्येक जिले में पत्रकार कालोनी के लिये भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। मान्यवर, आज यह सरकार किसी के लिए भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं सारे विषयों पर बोलना चाहता था। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पाँच मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा समय।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूँ आपका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे उत्तराखण्ड में औद्योगिक जोन बने और शुरू में जैसा कि

सभी को जानकारी है कि 2013 तक इसमें एक समय सीमा रखी गयी, लेकिन 2010 कर दी गयी, वो कारण क्या थे और इसमें क्या भारत सरकार से अप्रोच हुई, ये तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी प्रदेश जो सरसब्ज हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, वो अगर इंडस्ट्री का जाल बिछायेगा तो बेरोजगारी भी दूर होगी और समृद्धता भी आयेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसमें प्रयास करना चाहिए। बाकी हमारे समाज के जो बहुत ही ज्यादा कमजोर वर्ग के लोग हैं थारू, बुक्सा, बंगाली आज तक मैंने हमेशा देखा कि बजट में उनकी चर्चा जरूर हुई, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं जरूर रखी गयी, इस बजट में उसका नितान्त अभाव रहा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, जो बहुत ही ज्यादा एक उम्मीद और एक सपने के साथ बनाया गया था कि कल को ये हमारे कुमाऊँ मण्डल के लोगों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसमें सभी जरूरी जो आवश्यकताएं हैं, वो होंगी, लेकिन आज बजट की वजह से उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गयी है। मैं बात करना चाहता हूं हल्द्वानी में पानी की व्यवस्था के पुनर्गठन की बात हम लोग हमेशा करते रहे। 50 साल पुरानी जो पानी की लाईनें हैं, उनके पुनर्गठन की बात हम हमेशा करते रहे, आज भी हल्द्वानी में लोग जो पानी पीते हैं वो शवदाह स्थल के पास से निकल कर जाता है और जब पानी का फिल्टर होता है, वहाँ मानव की जो अस्थियां हैं, वो बहुत सारी अस्थियाँ वहां पड़ी रहती हैं जिसके बारे में मैं बिल्कुल उसमें ये नहीं कह सकता है कि ये इस सरकार को दोष है, या उस सरकार का दोष था। मैं तो यह कहता हूं आज सुबह बिजली पर बहस हो रही थी। हमने भी बहुत सारी बातें रखी, लेकिन मैंने थोड़ी सी उसकी जानकारी को अभी पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो पहले पाँच साल की सरकार थी उसमें कहीं न कहीं इस सरकार ने अप्रत्याशित रूप से अच्छा किया है और अगर ये एक राजनीतिक विरोध या विवाद का विषय है तो मैं ये सिद्ध भी कर दूँगा कि इस सरकार ने उसमें थोड़ा सा कुछ अच्छा परिवर्तन किया है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) जैसे 108 की हम बात करते हैं। मैं तो जब 108 शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन आज मैं देखता हूं कि कुछ परिणाम उसके अच्छे आये हैं। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) देखिए, प्रश्न इस बात का नहीं है कि विरासत में हमें क्या मिला, प्रश्न इस बात का है कि हम विरासत में क्या देंगे। आज अगर हम अपने आप को देखते हैं कि हम आरोप लगाते रहते हैं कि ये घाटे का बजट है, एक तरफ ये छठे वेतनमान का जो मामला है इसमें पूरे उत्तराखण्ड इसमें भी मेरे ख्याल में कुछ व्यय तो सरकार पर पड़ा होगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि मैं बहुत ज्यादा आरोप लगाने लग जाऊं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी सरकार आयी और गयी, लेकिन काम का माहौल नहीं बन पाया।

आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कमाई करता है तो उससे धनवान नहीं बनता है, उस पैसे को बचाने से धनवान बनता है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर हमने परसों आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात की थी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार को, जिससे हमारा प्रदेश लाभान्वित हो सकता है। हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, अगर ये समृद्ध होंगे,

मान्यवर, अगर पर्यटक आकर्षित होगा तो हमारी आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा। माननीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ बैठे हैं जो 01 तारीख को नानकमत्ता में गये थे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि दो करोड़ एक लाख रूपया नानकमत्ता जो धार्मिक स्थल है उसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए मिला। एक महीना पहले आप गये थे, आपने कुछ अधिकारियों की पावर सीज कर दी, मैंने जब 01 करोड़ 65 लाख का हाल देखा तो मुझे लगा कि भ्रष्टाचार जो है, जैसे अभी 35 पर्सेन्ट 40 पर्सेन्ट की बात हो रही थी विधायक निधि से। कोई माने न माने आप आरोप इन पर लगायें, हम आप पर आरोप लगा दें। 30–35 परशेन्ट कमीशन लिया जाता है, जब विधायक निधि का यह हाल है तो और लोगों का क्या हाल होगा। बी0पी0एल0 जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। मैंने एक दिन सितारगंज में मीटिंग ली और मैंने कहा कि बी0पी0एल0 का सर्वे चल रहा है तो कुछ लोगों को इसमें बढ़ाया जायेगा उन्होंने कहा कि कहीं बढ़ाया नहीं जायेगा, कुछ लोग जो गलत आ गये हैं उनको निकाल कर जो पात्र लोग हैं उनको शामिल किया जायेगा। नरेगा का जो इतना हल्ला मचता है, मैं कहता हूँ नरेगा परमानेंट इलाज नहीं है। यह तो तात्कालिक रिलीफ देने के लिए है। अगर समृद्ध करना है, अगर हमको अपने कमजोर लोगों को खड़ा करना है तो ऐसी योजनायें हमें बनानी चाहिए, जिससे उनका विकास हो। दूसरा जो हमारी व्यवसायिक शिक्षा है जो हमारे बच्चे हैं उनको उपकरण सस्ते मिलें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, स्पोर्ट्स में अगर मनीष पाण्डे सेंचुरी मारता है तो मुख्यमंत्री उसे एक लाख रूपये पुरस्कार देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है उसके लिए, कोई और खिलाड़ी बाहर से जीतकर आ जाता है तो उसको पुरस्कार दे देते हैं, बाकी खेलों का क्या हश्र है, खेलों के लिए कितना बजट है। स्वतंत्रता सेनानियों और पत्रकारों को भी मैं बात करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

* मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, आय–व्ययक बजट 2009–2010 की चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी सहित लगभग जिन 45 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, उनमें श्री करन मेहरा जी, श्री गोपाल सिंह राणा जी, श्री रणजीत सिंह रावत जी, आदरणीय श्री जोत सिंह गुनसोला जी, श्री बलबीर सिंह नेगी जी, श्रीमती अमृता रावत जी, आदरणीय श्री प्रणव सिंह जी, आदरणीय श्री तिलक राज बेहड़ जी, आदरणीय श्री यशपाल आर्य जी, आदरणीय श्री दिनेश अग्रवाल जी और मान्यवर, यहाँ से श्री शैलेन्द्र सिंह रावत जी, श्री बृजमोहन कोटवाल जी, श्री शेर सिंह गढ़िया जी, श्री चन्दन राम दास जी, श्री सुरेश चन्द्र जैन जी, श्री अजय टम्टा जी, श्री गणेश जोशी जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी, श्री हरभजन सिंह चीमा जी, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने इसमें भाग लिया। उधर श्री हरिदास जी और श्री सुरेन्द्र राकेश जी, श्री तस्लीम अहमद जी, श्री प्रेमानन्द महाजन जी, श्री नारायण पाल जी, आदरणीय श्री यशवीर जी, काजी निजामुद्दीन जी, श्री यशपाल बेनाम जी और श्री गगन सिंह रजवार जी सहित जिन माननीय सदस्यों ने बजट की चर्चा में भाग लिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, हम कोशिश करेंगे कि इन महत्वपूर्ण सुझावों को इस राज्य और प्रदेश हित में किसी न किसी रूप में क्रियान्वित किया जाए। श्रीमन्, मैं आभारी हूँ नेता प्रतिपक्ष का जिन्होंने काफी व्यापक स्तर पर और व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने बजट पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने बजट को पढ़ा नहीं है। उन्होंने बजट भाषण 2:45 मिनट तक दिया। अगर वे पढ़ते तो क्या होता, वह एक अलग बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस बात को उठाया कि केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित योजनाओं का इस राज्य सरकार ने उपयोग नहीं किया और समय पर यदि योजनाएं भेजी जाती तो शायद इसका बहुत सारा लाभ मिलता। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने बहुत संवेदनशील होकर के समय–समय पर योजनाओं को भेजा है उनका लाभ भी उठाया है। श्रीमन्, यह जो केन्द्र पोषित है, वह हमारा अधिकार भी है। श्रीमन्, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है वित्त आयोग और योजना आयोग इन दोनों आयोगों के माध्यम से राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार पोषित करती है और उसी के आधार पर श्रीमन्, हम योजनायें भी बनाते हैं और योजनाएं बनाकर भारत सरकार से उस पर सहयोग भी लेते हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ यदि नेता प्रतिपक्ष थोड़ा सा संज्ञान लें तो वर्ष 2006–07 में केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत जो व्यय की गई धनराशि है वह 597.74 करोड़ रूपये थी। जबकि श्रीमन्, उसके ठीक विपरीत यदि आप 2007–08 को देखेंगें तो हमने 815 करोड़ रूपये की योजनाओं का लाभ लिया है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2008–09 में 892.56 करोड़ रूपये की राशि का लाभ लिया है। मैं पीछे वर्षों में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे पास उसके भी आंकड़े हैं। अगर 2006–07 और 2007–08 का विवरण दूं तो बहुत अंतर महसूस होगा। इससे यह बात साबित होती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इस सरकार ने बहुत सक्रियता से, तात्कालिकता से योजनाओं को न केवल बनाया बल्कि योजना का लाभ भी लिया है। श्रीमन्, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण उठाई गई है वह है, हरिद्वार महाकुम्भ के बारे में कहा गया और यह कहा गया कि 2007–08 में महाकुम्भ के लिए 300 करोड़ रूपये दिया गया है। यह भी कहा गया कि वर्ष 2008–09 में सरकार ने केवल 58 करोड़ रूपये के बजट का प्राविधान किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि वस्तुस्थिति तो यह है कि केन्द्र सरकार ने अलग से कुम्भ के लिए एक लाल पैसा भी नहीं दिया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा शेम–शेम की ध्वनि) और श्रीमन्, केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कुम्भ मेले के लिए 115 करोड़ रूपये आप उसको खर्च करें जो हमको अतिरिक्त सहायता के रूप में दिया जाता है। श्रीमन्, कुम्भ मेला कोई हमारे प्रदेश का नहीं है, यह तो पूरे देश और दुनिया का है। जो हमारी अतिरिक्त सहायता आती है उसका उपयोग हम कहीं सड़क, कहीं पुल, कहीं स्कूल बना कर कर सकते थे। लेकिन मैं वस्तुस्थिति कहना चाहता हूँ श्रीमन्, केन्द्र ने केवल अलग से विशेष सहायता के रूप में कुम्भ के लिए अभी तक नहीं दिया है। हमने माँग की है 500 करोड़ रूपये की हमको कुम्भ के लिए देना चाहिए। वैसे भी हम चुप नहीं हैं। 2008–2009 में बजट के सापेक्ष मान्यवर, अभी 129 कार्यों के लिए 184.30 करोड़ रूपया हम निर्गत कर चुके हैं। आपके संज्ञान में भी है कि इस वर्ष हमने 100 करोड़ का प्राविधान किया है। मान्यवर, जब मेरा दिल्ली प्रवास था तब मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी से और जो वहाँ के सदस्य से उनसे भी विस्तृत वार्ता की थी, उसी वार्ता के परिणाम स्वरूप मैं आभारी हूँ योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी का, जिन्होंने अपने सचिव को हरिद्वार भेजा। श्रीमन् दो दिन वह हरिद्वार रहे आज उनके साथ मीटिंग थी और उन्होंने कहा कि हम इस धनराशि को राज्य सरकार को अलग से देंगे। मान्यवर, वार्षिक योजना के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा और बार–बार ये कहा कि मैं नाम तो उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, वर्ष 2009–10 की वार्षिक योजनाओं को राज्य सरकार फाइनेंल नहीं कर पा रही है और एक सदस्य ने यह भी कहा कि जो अपनी योजना को ही फाइनल नहीं कर सकती है तो वह आगे क्या काम कर रही होगी। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये बात तो गैर तथ्य बातें हैं। श्रीमन्, जब कोई सरकार अपनी वार्षिक योजना बनाती है वह अपनी वार्षिक योजना बनाकर योजना आयोग को प्रस्तुत करती हैं और योजना आयोग अपना समय निर्धारित कर राज्य सरकार को बुलाती है और परिव्यय का अन्तिम स्वरूप तैयार करता हैं। श्रीमन्, यह सरकार अपनी वार्षिक योजना को भारत सरकार को फरवरी माह में भेज चुकी है, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून यानी चार माह हो गये हैं अब जुलाई चल रहा है और भारत सरकार को अभी तक यह फुर्सत नहीं हो पायी, लेकिन जो परिस्थितियाँ रही होंगी मुझे मालूम नहीं लेकिन योजना आयोग ने अभी तक हमको नहीं बुलाया है कि आपका परिव्यय हम तैयार कर रहे हैं, फिर भी हमने अनुरोध किया हैं लेकिन योजना आयोग को हम फरवरी

माह में भेज चुके हैं। हमारी प्रशंसा होनी चाहिए थी मार्च से पहले हमने अपनी योजना का आकार सुनिश्चित करके योजना आयोग को भेजा है अब उसके पाले में है। श्रीमन्, हमको जब समय देगी तब हम अपनी बात को सुनिश्चित करेंगे और हमारी योजनाओं का आकार सुनिश्चित होगा। एक तरफ ये कहा गया कि सरकार का आकार सुनिश्चित नहीं हैं लेकिन तिवारी जी ने वार्षिक आकार 27 सौ से 4 हजार सौ करोड़ कर दिया था, लेकिन जनरल खण्डूड़ी जी ने केवल 378 करोड़ बढ़ा पाये, लेकिन इस वर्ष का कोई जिक्र ही नहीं किया है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि आदरणीय तिवारी जी की सरकार ने वर्ष 2006–07 में जरूरी 27 सौ करोड़ से चार हजार सौ करोड़ किया था। लेकिन इसमें से वास्तविक व्यय क्या हुआ, वह 3250 करोड़ रूपया व्यय हुआ और इस सरकार का जो वर्ष 2007–08 में वास्तविक व्यय है वह 4066.5 करोड़ है, यह एक सराहनीय कदम है। श्रीमन्, जब वर्ष 2008–09 में 4375 करोड़ है। इस समय वर्ष 2009–10 में भारी आर्थिक मंदी होने के बाद जब सबको पता है कि देश का पहला राज्य है जिसने वेतन समिति को गठित करके छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है इस राज्य ने, श्रीमन्, हम कर्मचारियों के हितैषी रहे है हम चाहते हैं कि वह प्रदेश खुशहाली के रूप में बने, उसका रास्ता कहीं न कहीं उन कर्मचारी और अधिकारी से भी हो करके गुजरता है, और इसलिए यह सरकार निश्चित रूप से कर्मचारियों की हितैषी है और इसीलिए इस सरकार ने छठे वेतन आयोग को लागू किया है इसके बावजूद जो व्यय श्रीमन्, हमने आपके आशीर्वाद से इस सदन में प्रस्तावित किया है 4522.68 करोड़ का वार्षिक बजट हम इस समय प्राविधानित कर रहे हैं, इन विशेष और विषम परिस्थितियों के बाद भी, श्रीमन्, जबकि केन्द्रीय योजना आयोग ने हमारा आकार निर्धारित नहीं किया है और यही नहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो वाह्य सहायतित, हम सौभाग्यशाली है कि हम विशेष राज्य के दर्जे में आते हैं, वाह्य सहायतित योजनाओं का हम लाभ उठा सकते हैं, और जब यह ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हमारी लाईन पर जिनका हम लाभ उठायेंगे, हम इसको अनुपूरक करके और भी बढ़ाना चाहेंगे लेकिन श्रीमन्, दूसरी ओर अगर देखें यदि देखा जाए तो पूरे देश के अंदर जो अभी स्थिति है कि भारत सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है श्रीमन्, इतिहास में शायद पहला अवसर होगा और यह पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में भारत सरकार को कर्ज लेना पड़ा, भारत सरकार का जो सामने आया है श्रीमन्, 2009–10 में जो प्रस्तावित है वह 4 लाख करोड़ रू0 का ऋण इस पूरे बजट में है, और यदि देखा जाए तो भारत सरकार का जो सकल घरेलू उत्पाद है श्रीमन्, राजकोषीय घाटा है भारत सरकार का वह है 6.8 प्रतिशत है जबकि श्रीमन्, हम अपने 2009–10 का जो राजकोषीय घाटा जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं यह जो सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा है श्रीमन्, 4.52 प्रतिशत ही है, अब मैं श्रीमन्, पिछली सरकारों का भी थोड़ा सा आंकड़ा आपके संज्ञान के लिए देना चाहता हूँ, वर्ष 2003–04 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इस राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा था, वह 6.61 प्रतिशत था, और वर्ष 2004–05 का 9.54 प्रतिशत था, और वर्ष 2005–06 का

7.29 प्रतिशत था, यदि श्रीमन्, इन विषम परिस्थितियों के बाद भी जबकि हमने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया हो, जबकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से होकर गुजर रही हो, जबकि स्वयं भारत सरकार भी ऐसी स्थितियों में खड़ी हो, ऐसी तमाम परिस्थितियों के बाद जो हमारा बजट आपके आशीर्वाद से श्रीमन्, यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है उसमें केवल 4.52 प्रतिशत ही राजकोषीय घाटा है, यह हमारे लिए संतोष का विषय है, और निश्चित रूप से हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, श्रीमन्, जहाँ तक प्राप्तियों का विषय है यह आया कि आपकी प्राप्तियाँ कम हो रही है और व्यय ज्यादा हो रहा है, श्रीमन्, सब होता है, प्राप्तियाँ कई बार कम होती है और व्यय ज्यादा होता है, यह सभी सरकारों में होता है क्योंकि आपको विकास के कार्य करने होते हैं, बहुत सारे दबाव सारी आवश्यकताएँ होती हैं, और समय समय पर वे आवश्यकताएँ बढ़ती हैं, लेकिन यदि एक नजर में पिछले 3–4 सालों के आंकड़ों पर देना चाहूँगा कि इस समय 2009–10 का जो कुल प्रस्तावित किया है हमने, वह है 8153.92 करोड़ रू0 हमारी आय का होगा, और जो व्यय है 8753 करोड़ तो श्रीमन्, लगभग 600 करोड़ रू0 का अंतर है लेकिन पीछे चले जाए तो वर्ष 2004–05 जब आपकी सरकार थी श्रीमन्, उस समय 3600.29 करोड़ तो आय थी।

मान्यवर, और व्यय कितना हुआ 4361.52 करोड़ रुपया और आप इसको क्यों कह रहे हैं, 700 करोड़ रुपया अतिरिक्त दोनों का अन्तर था, यदि वर्ष, 2005–06 में देखें तो 4065.59 करोड़ रूपये की आय थी और व्यय 5335.73 करोड़ रूपये का था, वर्ष, 2006–07 में 5337.02 करोड़ की आय और 5610.97 करोड़ का व्यय था, वर्ष, 2007–08 में 6475 करोड़ की आय और 7373.21 का व्यय था तथा वर्ष, 2008–09 में 7264 । मान्यवर, उस सरकार और इस सरकार का आप अन्तर देखें। इस सरकार का अन्तर 600 से ज्यादा नहीं है जबकि उस सरकार में 700–800 तक पहुँचा है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, सबसे पहले बुनियादी ढांचे के लिए विकास होना चाहिए, हमारा फोकस वहीं पर होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए यह मेरा कहना है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी बात से शत–प्रतिशत सहमत हूँ। श्रीमन्, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अवस्थापना में विकास होना तो खर्च होगा, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आपने ही ने तो पूछा कि आप आय कम कर रहे हैं और व्यय ज्यादा क्यों कर रहे हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि लघु और वृहद निर्माण कार्यों के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की है इस बजट में, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी इनकम की है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसका भी जवाब दूँगा, बारी–बारी से दूँगा सारा जवाब, लेकिन यह प्रश्न उठा तो उसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ आपने कहा कि आप आय कम कर रहे हैं और व्यय ज्यादा कर रहे हैं तो मैंने पहले के आंकड़े देने की कोशिश की है, मैं सोचता हूँ कि सबके संज्ञान में आना चाहिए यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सुधार लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्गदर्शन ले लेंगे, यह माननीय सदन है इसके सामने स्थिति आनी चाहिए इसलिए मैंने देने की कोशिश की है। श्रीमन्, बिजली के बारे में कहा गया है, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तो कहा कि हमारे जमाने में सारे गाँवों का विद्युतीकरण हो गया था, लेकिन माननीया श्रीमती अमृता रावत जी ने कहा कि ऐसा नहीं था, शायद 2012 तक होना था। श्रीमन्, वर्ष, 2007 में 949 ग्राम अविद्युतीकरण के थे। यह बात सही है कि 223 गाँव बहुत की सघन जंगल एवं दूरस्थ स्थान पर हैं, फिलहाल उसका विद्युतीकरण विभिन्न सौर ऊर्जा या अन्य माध्यमों से करने की स्थिति होगी, शेष 726 अविद्युतीकरण गाँव हैं, उसमें से 662 गाँव का विद्युतीकरण हो चुका है और शेष 64 गाँव हैं उसके 30 जून, 2009 तक पूरा करने की योजना है, इसमें भी बहुत सारे वर्ष वार आंकड़े हैं, किसी को जरूरत होगी तो दे देंगे, लेकिन सरकार काम कर रही है, यह मैं कहना चाहता हूँ। मान्यवर, हर ब्लाक में हर विधान सभा क्षेत्र में माननीय नेता ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक हाईस्कूल और एक इण्टरमीडिएट कॉलेज के भवन निर्माण का सुदृढ़ीकरण हो।

मान्यवर, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत सारे हाईस्कूल, इंटर कॉलेज हैं, जिनको बहुत लम्बा समय हो जायेगा। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत भी हूँ। श्रीमन्, लेकिन जो वृहद निर्माण के अन्तर्गत एक विकास खण्ड से सम्बन्धित हम एक–एक हाईस्कूल और एक–एक इंटर कॉलेज को सुदृढ़ करने की योजना से हम लोग चल रहे हैं और निकट भविष्य में जो माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत एक व्यापक योजना आज भी योजना आयोग के सचिव से बात हुई है और उसमें हम लोग अलग से एक योजना बनाकर के भारत सरकार को भेजेंगे। श्रीमन्, जो चिंता सदन की है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज भी हमारे यहाँ इंटर कॉलेजों के भवन नहीं हैं और आज भी हमारे हाई स्कूलों के भवन नहीं हैं। श्रीमन्, इस सरकार की निश्चित रूप से प्राथमिकता होगी कि एक वृहद योजना बनाकर भारत सरकार के सामने इसको रखें और वह सहमत भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस योजना को बहुत जल्दी आगे बढ़ायेंगे। श्रीमन्, दैव मुस्कान योजना के बारे में कुछ सदस्यों ने कहा। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि समाज के अन्तिम छोर का जो बच्चा है, जो किसी स्कूल में जाने की स्थिति में भी नहीं है। इस सरकार ने उस अन्तिम छोर के गरीब से गरीब बच्चे के होंठों पर मुस्कान देने की योजना बनायी है। मान्यवर, ऐसे बच्चों का चयन करेंगे, और चयन करके उसकी वित्तीय, जितनी भी व्यवस्था है, वह सरकार करेगी। मान्यवर, जो ऐसे स्तरीय स्कूल हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि 5–10 प्रतिशत तक ऐसा कोटा वे अपने स्कूल में

रखें, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई–लिखाई का व्यवस्थित हमें मौका मिलता रहे। श्रीमन्, जहाँ तक आयुर्वेद विश्वविद्यालय का प्रश्न है, यह कहा गया कि संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ इसको कर दिया जाता तो अच्छा था। श्रीमन्, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पक्ष में भी कहा है। श्रीमन्, इस कार्य को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह आयुर्वेद का प्रदेश है, यहाँ चरक ऋषि की जन्मस्थली है। लाखों–लाखों वर्ष पुरानी है यह पैथी "आयुषः वेद" आयुर्वेद कहते हैं। यह जीवन का विज्ञान है, आयु का विज्ञान केवल आयुर्वेद ही है और एलोपैथी किसी सीमा तक भी जायेगी तो अन्त में घूमकर के उसे आयुर्वेद की शरण में आना ही होगा, क्योंकि ये पैथी वह पैथी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इसका जन्म इस धरती से हुआ है। चरक ऋषि की कर्मस्थली यही है। निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यह प्रदेश पूरे देश और दुनिया के सामने एक आयुर्वेद प्रदेश के रूप में स्थापित हो और इसके लिए हमने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। श्रीमन्, इस पैथी के बारे में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संस्कृत शिक्षा का सवाल है तो यह विषय अलग है। यह विषय भाषा का है और यह मेडिकल का क्षेत्र है। श्रीमन्, जड़ी–बूटी का उत्पादन और दोहन उसी रूप में होना चाहिए, लेकिन जब हम शुरूआत कहीं से करेंगे तो ही यह काम होगा। श्रीमन्, मैं सोचता हूँ कि संजीवनी बूटी इस पूरे प्रदेश में बिखरी पड़ी है यदि हनुमान जी यहाँ से संजीवनी को लेकर के श्रीलंका जाते हैं, लक्ष्मण की मूर्छा ठीक करते हैं तो आज भी हमें ताकत है, इन जड़ी–बूटियों से जो दुनियाँ में दुर्लभ और बहुत ही दुर्लभ है, जो केवल हिमालय में ही है। हम पूरी दुनियाँ की व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। श्रीमन्, शोध के लिए उस जड़ी–बूटी के उत्पादन, दोहन और शोधात्मक रूप में, हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमन्, बिल्कुल अलग काम है यह और यह काम इतना बड़ा होगा कि जिस दिन इस जड़ी–बूटी का भण्डारण, उत्पादन, दोहन और संजीवनी को चिन्हित करेंगे जो जीवनदायिनी संजीवनियां हैं, इसके लिए हमने एक बोर्ड भी अलग से गठित किया है, एक कमेटी बनायी है इसके लिए जो यह चिन्हित करेगा कि इस प्रदेश में वे कौन सी जड़ी–बूटियां हैं जो संजीवनी का काम कर सकती हैं, इसके लिए प्रदेश में काम चल रहा है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ यह पैथी वह पैथी है, आज घर–घर में श्री गणेश जी की पूजा होती है, इनका सिर से धड़ अलग होने के बाद, गणेश जी पर हाथी का सिर प्रत्यारोपित करने के बाद, ऐसा दुनियां में कोई पैथी नहीं कर सकती है। श्रीमन्, दक्ष प्रजापति का उदाहरण हमारे सामने है, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग होने के बाद, आज दुनियां का कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, या संस्था हो मेडिकल की, जो कह दे कि सिर से धड़ अलग होने के बाद उस पर अज का सिर प्रत्यारोपित कर दे यदि यह पैथी हो सकती है तो केवल आयुर्वेद में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। श्रीमन्, इसमें हम यहाँ शोध करेंगे, यह धरती वैसे भी देव भूमि है। श्रीमन्, यहाँ देवात्मा हिमालय है, जो भारतवर्ष का भाल है, माथा है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, देश और दुनिया के लोगों की चिन्ता करने की और भगवान ने यह सब कुछ यहाँ उपलब्ध भी कराया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह संजीवनी पर बड़ा भारी विवाद है। निशंक जी कहते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया और उधर बाल कृष्ण जी कहते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया। हमको मिली नहीं, वह है कहाँ ? जरा उसका पता लगवा दें। (व्यवधान) अखबारों में आया था, दोनों का बयान कि हमने ढूंढ ली। पहले किसको मिली यह भी पता नहीं चल पा रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, किशोर भाई को काफी चिन्ता है। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किशोर भाई को जरूर हम संजीवनी दिखाएंगे। श्रीमन्, यह 5वां वेद है, आयुर्वेद। इस पर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की महती आवश्यकता है, जो चीज हमें प्रकृति ने दी है, उसका निश्चित रूप से दोहन और उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, इनको संजीवनी की नहीं, अमृत की जरूरत है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, वह भी तैयार कर रहे हैं, हम लोग। रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कहा गया था, माननीय तिलक जी की भी यह चिन्ता थी, श्रीमन्, उसके लिए 2009–10 के बजट में 3 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। अस्पताल का जो विस्तारीकरण है, उसको भी किया जा रहा है। वह जल्दी ही अपनी अवस्थापनाओं को विकसित कर लेगा, हम लगातार हर वर्ष में यह कोशिश कर रहे हैं कि यह बढ़े।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मेडिकल कॉलेज से पहले 300 बैड के हॉस्पिटल की आवश्यकता है। उसके ऊपर अभी लगभग 35 करोड़ रूपये का खर्च आना है। सरकार कभी 1 करोड़ दे रही है, कभी 2 करोड़ दे रही है, तो सरकार कितने साल में 300 बैड के इस निर्माणाधीन हॉस्पिटल को पूरा करेगी ? मान्यवर, वहाँ पर पैसे की आवश्यकता है कि हर वर्ष में कम से कम 10–15 करोड़ मिले, ताकि उसका निर्माण पूरा हो। इसको तो आपने बजट के भाषण में से ही निकाल दिया। उसका तो जिक्र तक नहीं है। मान्यवर, हमने तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी बनाया, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपने व्यवस्था भी दी थी कि रूद्रपुर का मेडिकल कॉलेज पूरा किया जाय। मान्यवर, तब से लेकर आज तक इस सरकार ने 10 करोड़ रूपये भी उसके लिए खर्च नहीं किये, ढाई साल के अन्दर। आज भी 3 करोड़ की बात आ रही है। मान्यवर, 3 करोड़ में होगा क्या ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप तो कह रहे थे, दिया ही नहीं। दे तो दिया, 3 करोड़।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक 11 करोड़ 53 लाख 70 हजार रूपया इसमें व्यय हो चुका है। मैं माननीय तिलक जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय में मैंने जनहित याचिका दायर की थी कि रूद्रपुर का मेडिकल कॉलेज बनाया जाय, उसमें सरकार का यह पक्ष आया था कि रूद्रपुर में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते क्योंकि सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। मान्यवर, सरकार क्या जनहित याचिका में इस बात को स्वीकार करेगी, क्या कहेगी कि हम उस मेडिकल कॉलेज को बनाएंगे ? (व्यवधान) मेडिकल कॉलेज बनाने की बात ही नहीं करती सरकार। यहाँ कुछ बोलती है और माननीय उच्च न्यायालय में कुछ और दायर करती है।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हमारे मित्र इस बात को भली–भांति समझते हैं कि 175 बैड को यदि आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वह किसी प्रक्रिया का ही हिस्सा होगा। 175 बैड से हमको 300 बैड तक उसको ले जाना है और यह सरकार वहाँ तक लेकर जाएगी। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, पेंशन के बारे में चर्चा आयी। मैंने अपने बजट भाषण में अनुरोध किया था कि यदि जरूरत होगी तो आन्सर्स के साथ इसको शामिल करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ हमने दुगुनी धनराशि कर दी है। श्रीमन्, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 2001–02 में 1095.95 करोड़ रूपये का प्राविधान था। वहीं 2006–07 में 4221.67 करोड़ रूपया हुआ। इसलिए श्रीमन्, मैंने उस दिन कहा था कि इस राशि को हमने दुगुना कर दिया है। श्रीमन्, वर्ष 2008–09 में यह धनराशि 8011.21 करोड़ रूपये हो गयी। और जो विधवा पेंशन है, वह 2001–02 में 706 (व्यवधान) विधवा पेंशन वर्ष 2006–07 में 3043.56 थी, जो इस समय 3782.40 है, इसी प्रकार से श्रीमन्, विकलांग पेंशन में 2006–07 में 1191.88 लाख रूपये था, जो अभी 1831.43 लाख रूपया है। तो इस प्रकार से कितना अन्तर हुआ ? बहुत अन्तर है। इसलिये इसमें जरूरत हो, तो मेरे पास और भी आंकड़े हैं, मैं उन्हें भी देने की कोशिश करूँगा।

श्री प्रीतम सिंह

मान्यवर, हमारा माननीय मुख्यमंत्री से यह कहना था कि आप पेंशन बढ़ा दें, 400 रूपये को बढ़ाकर 800 रूपये कर दें, 2500 रूपये कर दें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, राशि भी बढ़ी है और संख्या भी बढ़ी है तथा जो माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा, वह भी मेरे संज्ञान में है। (व्यवधान) श्रीमन्, सैनिक कल्याण के बारे में जो कहा गया और जिस उपनल के बारे में सदन में चर्चा हुई और यह कहा गया कि यह जो सैनिकों के कल्याण के लिये बना था और सैनिकों के कल्याण के बजाय ठेकेदार हो गया है और भूतपूर्व सैनिकों की भलाई इसमें नहीं है। श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रता से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो उपनल है, वह सैनिकों के हितों को ध्यान में रखकर गठित किया गया है और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक, पुनर्वास के अधीन, इसका गठन हुआ है। इसके बारे में 8–10 चीजें और हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसके माध्यम से सैनिकों के हितों का लगातार ध्यान रखा गया है और अभी तक 6680 पूर्व सैनिकों को इसके माध्यम से संविदा पर भिन्न–भिन्न विभागों में नियुक्ति दी गई है। 6680 भूतपूर्व सैनिक यदि इसके माध्यम से कहीं रोजगार में आकर अपने परिवार की दशा को और सुदृढ़ कर रहे हैं, तो फिर यह कहना कदाचित उचित नहीं है। श्रीमन्, इस सदन में प्रदेश में सूखे की बात आई है और कई माननीय सदस्यों ने सुझाव देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मान्यवर, प्रदेश में निश्चित रूप से सूखा पड़ा था और उसके लिये जो–जो काम सरकार कर सकती है, उसे किया है। चाहे वह वसूली को स्थगित रखने की बात हो या उत्पीड़नात्मक कार्यवाही रोकने की बात रही हो या अहेतुक सहायता की बात रही हो। जो भी काम सरकार कर सकती थी उसे किया है और कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने सूखे को देखते हुये, पूरे प्रदेश में 200.14 करोड़ रुपये की धनराशि की महत्वाकांक्षी योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी है। भारत सरकार ने भी 18 मई को अपने अधिकारियों को इस क्षेत्र के निरीक्षण के लिये भेजा। लेकिन 18 मई से आज जून और जुलाई का महीना आ गया है, अभी तक उस 200 करोड़ में से एक पैसा भी हमें नहीं मिला है और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध करूँगा कि वह केन्द्र में बैठी अपनी सरकार को भी थोड़ा सा खटखटाने की कोशिश करेंगे, तो हम उनके आभारी रहेंगे। क्योंकि यह पिछड़ा प्रदेश है, सूखे से पेयजल और किसानों के सामने संकट पैदा होता है और पूरे क्षेत्र में कई सारी चीजें प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, यदि जरूरत पड़ी तो किस तारीख को क्या–क्या कार्यवाही हुई, मैं यह भी मैं सदन के समक्ष रखना चाहूँगा, यदि किसी सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की तो। स्वास्थ्य सेवाओं में कहा जा रहा है कि बहुत ही खराब है। अस्पताल है, डाक्टर नहीं हैं और दवाईयां नहीं हैं। मैं श्रीमन्, आकड़े दूँ पहले के, मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमन्, कि डाक्टरों की लगातार भर्ती हो रही है। हमारे सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमको एम0बी0बी0एस0 डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। हम लोक सेवा आयोग को लगातार और लगातार अधियाचन भेजते हैं, एक हजार डाक्टरों को मांगते हैं तो मुश्किल से 150 मिलते हैं, 150 का चयन हो कर आता है तो मुश्किल से 50–60 ज्वाईन करते हैं। ये कठिनाई

से होकर श्रीमन्, इस समय हम लोग गुजर रहे हैं। जबकि हर मंगलवार को महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है जो हर मंगलवार को इन्टरव्यू करती है और जो भी आता है, उसको नियुक्ति देते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमने 2-3 चीजें श्रीमन्, हमको भी मालूम है कि हम इतिश्री नहीं कर सकते कि यदि डॉक्टर नहीं हैं तो हम यह बात कहकर इतिश्री कर दें हमारी नैतिक जिम्मेदारी है श्रीमन्, कि इस प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी किसी तरीके से हम चिकित्सा उपलब्ध कराएं। इसके लिए श्रीमन्, जो हमारी एस०ए०डी० हैं, जब हमारे पास डाक्टर नहीं थे, हमने ये निर्णय लिया है कि जितने भी एस०ए०डी० हैं, उसमें बी०ए०एम०एस० के डाक्टरों को 218 पदों पर उनको नियुक्त किया जायेगा और वहाँ जो एम०बी०बी०एस० के डाक्टर हैं, उनको जहाँ जिला मुख्यालय या हमारे संयुक्त चिकित्सालयों पर लाया जायेगा श्रीमन्, इसके अलावा कुछ लोक सेवा आयोग से आये और कुछ संविदा पर किये हैं। लेकिन लगभग 450 डॉक्टर्स की अभी तक हर प्रक्रिया से हम लोग नियुक्ति कर चुके हैं फिर भी इस समय हमारे पास अच्छी स्थिति नहीं है इसलिए दीर्घकालिक और तात्कालिक दो योजनाएं श्रीमन्, हमने बनाई हैं। दीर्घकालिक तो श्रीनगर मेडिकल कालेज, आज देश का शायद पहला मेडिकल कालेज होगा जो केवल और केवल 15 हजार में अपने बच्चों को एम०बी०बी०एस० करवा रहे हैं। इतना ही नहीं श्रीमन्, हमने उस मेडिकल कालेज में एक और कार्यक्रम रखा है कि जो भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जायेगा उसके साथ श्रीमन्, अनुबंध होगा कि उसको कम से कम पाँच साल उत्तराखण्ड में सेवा करनी होगी। श्रीमन्, ये भी हम लोगों की योजना है कि जो बी०पी०एल० के छात्र, छात्राएं हैं, गरीबी की रेखा से नीचे के जन गरीबी की रेखा से नीचे के छात्र यदि अपने नम्बरों से यू०पी० और सी०पी०एम०टी० के मानकों पर कहीं आते हैं तो श्रीमन्, उनको चयनित किया जायेगा और उनको शिक्षा देने के लिए ये सरकार सामने आयेगी। पाँच लाख रूपये तक का ऋण श्रीमन्, राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिया जायेगा उस बच्चे को उसमें भी 50 प्रतिशत की छूट होगी, 50 प्रतिशत में भी जब वो बच्चा एम०बी०बी०एस० हो जायेगा, उसकी नौकरी लग जायेगी तब अपनी जेब से वो जो 50 प्रतिशत छूट का पैसा उसको देना है, वो श्रीमन्, आसान किस्तों पर कर सकेगा। श्रीमन्, इतना ही नहीं तात्कालिक स्थिति में जहाँ 108 को और सशक्त करने की बात आयी है श्रीमन्, 108 के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा। मैं आभारी हूँ जिन्होंने 108 को प्रोत्साहन दिया। श्रीमन्, जो ठीक हो रहा है, उसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए, हाँ उसमें यदि ठीक नहीं हो रहा है तो श्रीमन्, हम अच्छा करने के लिए हैं, यदि ऐसा लगता है कि उसमें और सुझाव हैं (व्यवधान) मैं उस पर भी आ रहा हूँ अभी, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 108 को मैं लास्ट में लेना चाह रहा था, लेकिन उसके कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूँ। ये जो 108 है, इसको पहले तो कहा गया कि केन्द्र सरकार की योजना है, फिर कहा गया कि इसका सारा का सारा पैसा केन्द्र से आ रहा है और जो सच है मैं स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये 108, यह टोटली जो योजना है, यह राज्य सरकार की योजना है।

श्रीमन्, 08 मार्च 2008 को इसका पहला अनुबन्ध हुआ कि 90 गाड़ियाँ 108 की इस राज्य में चलायी जायेंगी, और एक वर्ष के अन्दर 08 मार्च 2009 को पूरा किया जायेगा। इस सदन को कहते हुए मुझे संतोष मिल रहा है कि जहाँ मार्च, 2009 को इसको पूरा होना चाहिए था इस अनुबन्ध को श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस अनुबन्ध को, शायद वह देश और दुनिया का पहला अनुबन्ध होगा जो इतने कम समय में धरती पर लागू होकर के जिसने रिजल्ट दिया, वह भी अद्‌भुतता का रिजल्ट दिया। श्रीमन्, जहाँ हमको इसको 08 मार्च, 2009 को इस योजना को पूरा करना था, वहाँ हम दिसम्बर, 2008 में ही पूरी की पूरी गाड़ियों को लेकर के तीन–चार महीना पहले ही इस योजना को हमने पूरा किया है, यह एक रिकार्ड है। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन, इस योजना के तहत 650 लोगों को रोजगार मिला है और श्रीमन्, इसके कुछ आँकड़े मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। उत्तराखण्ड इस देश का आपात स्वास्थ्य सेवाओं का पहला राज्य हो गया और 108 ने अभी तक 25181 प्रसूति के केस एक साल में किये हैं, यदि 25181 को प्रसूति करवाया है तो 25 हजार माँ और 25 हजार बच्चे एक ही साल में 50 हजार माँ और बच्चों को जीवन देने वाली 108 पूरी दुनिया का इतिहास बना रही है। श्रीमन्, अभी तक 11657 भीषण सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचा चुकी है, केवल एक साल में। यह श्रीमन्, पंडित दीन दयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा 108 ने पूरी दुनिया में अपना इतिहास बनाया है। इतना ही नहीं माननीय यशपाल जी, आपको जानकर खुशी होगी कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस में अभी सुबह तक मैंने इसको देखा था 660 बच्चों ने जन्म ले लिया। जब तक इस सदन में मैं बोल रहा हूँ तो 2–4 बच्चों ने और जन्म ले लिया होगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने केन्द्र सरकार का अंश नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष–

बेहड़ जी को इस बात की शिकायत है कि आपने यशपाल जी का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो 25181 का आकड़ा आपने दिया है, अगर 108 नहीं होती तो ये बच्चे नहीं बचते ? (व्यवधान)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, तिलक जी, अस्पताल नहीं होता तो आज कोई भी जीवित नहीं होता, यह तो कोई प्रश्न नहीं हुआ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जो तिलक राज बेहड़ जी की शंका है इस संबंध में श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत थी, यदि आप पीछे के वर्षों के आँकड़ों को देखेंगे तो यह राज्य बहुत पीछे था। जब कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर हमारे राज्य में बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं तिलक राज बेहड़ जी को यह कहना चाहता हूँ कि जब दो वर्ष के बाद यह आँकड़े आयेंगे तो शायद उनको संतुष्टि होगी और उनको जवाब मिल जायेगा, यदि 108 नहीं होती तो क्या होता। इसलिए यह बात सही है, आपात स्थिति में जो बच्चे 108 में पैदा हुए हैं। श्रीमन्, जब मुझसे यह कहा जाता है कि जो 108 में पैदा हो रहे हैं जब कोई फार्म आयेगा स्कूल का या कहीं सरकारी फार्म भरना होगा तो वे जन्म स्थान क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा कि जब उनका जन्म ही 108 में हुआ है तो वह अपना जन्म स्थल 108 ही लिखेंगे। मान्यवर, यह तो 108 की फौज तैयार हो रही है। श्रीमन्, अभी तक 22 लाख कॉल इस पर आ चुके हैं। माननीय सदस्य की जो चिन्ता थी, जो बार–बार कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का भी अंश है और केन्द्र सरकार का भी अंश है। मान्यवर, भारत सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यह पूरे देश के अंदर केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, वह हिस्सा है हमारा। जो अनुपातिक रूप में राज्यों का हिस्सा होता है वह भारत सरकार देती है। वह भारत सरकार इस मिशन के साथ देती है आपकी सरकार में भी आता होगा। यह जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का पैसा उतना ही आता है जितना उस समय आता था। हमने इसका उपयोग किया है। हमने कहा यह व्यर्थ न जाये हम उसका ठीक से उपयोग करेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शब्दों को बड़े सुन्दर जाल में फंसाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पैसे यह कहकर कि हमने उसका उपयोग किया तो क्या पूर्व की सरकार और अधिकारी उसका उपयोग नहीं करते थे ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह बिल्कुल सही कहा है आदरणीय दिनेश जी ने। यह पहले भी तो आता था। श्रीमन्, अभी तक इसमें 24.17 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य मिशन का 14 करोड़ रुपये खर्च किया है। श्रीमन्, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बकायदा इस राज्य को बधाई दी है। यह पहला राज्य है जिसने भारत सरकार की इस राशि का सही उपयोग किया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि

उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से जो पैसा मिला था उसके माध्यम से 108 (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, अभी तो हम हर विकास खण्ड तक 108 योजना पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए श्रीमन्, इस बजट में हमने 18 नई एम्बुलेंस का जिक्र किया है। अभी तो हमारे पास 90 हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह हर राज्य का अधिकार है, क्या राज्य सरकार ने इस पैसे के अतिरिक्त कोई योगदान दिया है ? (व्यवधान के मध्य)

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, राज्य सरकार ने कोई योगदान नहीं किया है राज्य सरकार की ही योजना है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, 108 यह सेवा का नाम है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह और राज्य में भी है या नहीं है ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, श्री किशोर उपाध्याय जी, ने यह जिज्ञासा की है कि अन्य राज्य में है या नहीं। मान्यवर, आन्ध्रा में यह शुरू हुई है लेकिन हमने यहाँ पर्वतीय राज्य के रूप में काफी परिवर्तित किया है। यहाँ पर सदन को बहुत खुशी होगी कि उत्तराखण्ड को 108 के नाम से जाना जाता है और विभिन्न राज्य इसको ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश इसको शुरू करने वाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात की है वह शुरू करने वाले हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसका मतलब यह है कि यहाँ दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। यदि 108 हमारी पहचान बनती है तो ऐसी पहचान हमको नहीं चाहिए। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यदि किशोर भाई कहें कि उनके क्षेत्र में 108 नहीं चाहिए तो वे मुझे बता दें। उसका उपयोग और कहीं कर लेंगे, मान्यवर, देश के दस राज्य ऐसे हैं जिन्होंने

हमसे सम्पर्क करके उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है या अपने स्वास्थ्य सचिव को भेजा है। या दूरभाष पर चर्चा की है। दस राज्य इसको 108 लागू करना चाहते हैं जिसमें दिल्ली भी इसमें सम्मिलित है। (तालियों की गड़गड़ाहट), मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि विकास खण्ड तक ये 108 की गाड़ियां होंगी। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, अब श्री–श्री 108 निशंक जी हो जायेंगे। (हंसी)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसके बाद सचल चिकित्सालय इस प्रदेश में शुरू हो गये हैं। एक जिले में एक चिकित्सालय शुरू हो गया है। जिसके अन्तर्गत एक्सरे, एल्ट्रासाउण्ड, ई0सी0जी0 मशीन हैं और विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं और दूरस्थ जहाँ रोज की बसें चलती हैं, उस क्षेत्र तक भी सचल चिकित्सालय जायेगा। वहीं पर एल्ट्रासाउण्ड होगा वहीं पर उसकी डार्क रूम से रिपोर्ट आयेगी और वहीं पर उसका ईलाज होगा यह भी देश में राज्य ने अदभुत पहल की है जो शुरू हो रही है। मान्यवर, बेस की नर्सिंग कालेज को हम लोग शुरू करना चाहते हैं। माननीय विधायक जी दिनेश ने कहा की अस्पतालों में दवाईयाँ नहीं हैं, श्रीमन्, जो दवाई आर0सी0 के अन्दर चिन्हित हैं वो दवाई शुरू हो रही है। श्रीमन्, जो दवाईयाँ चिन्हित हैं हमारे आर.सी. के अन्तर्गत वे दवाईयाँ उपलब्ध हो रही हैं, मैं पूरे सदन को कहना चाहता हूँ कि यदि आर.सी. क्योंकि उसकी पूरी सूची हमने हर अस्पताल में लगाई हुई है यदि कहीं उन आर.सी. में चिन्हित सूची के अन्तर्गत जो भी डाक्टर दवाई नहीं लिखेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करना निश्चित किया हुआ है, यह सबको पता है, अभी भी यदि कहीं किसी को जानकारी आई हो, वो मेरे संज्ञान में जरूर इस जानकारी को दें, और यह मेरा भरोसा है कि जो आर.सी. के अन्तर्गत आने वाली दवाईयाँ हैं, हो सकता है बहुत सारी दवाईयाँ जो आर.सी. के अन्तर्गत नहीं हैं उनको लिखते होंगे, बाहर से लाते होंगे, लेकिन तो भी।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, डॉट की दवाओं के पैसे लेकर दवा दी जा रही है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूँ और आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी शिकायत होगी, खराब आदमी को बक्शा नहीं जायेगा। श्रीमन्, जो यह कहा गया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित राहत कोष का क्या हुआ, यह भी बात आई थी, पहले आपदा प्रबंधन कोष प्रधानमंत्री के नाम से था इसको 2002 में मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष परिवर्तित करके कर दिया गया था और समय समय पर थोड़ा बहुत धनराशि जाती रही है उसमें, लेकिन हमने इस वित्तीय वर्ष 2009–10 में एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिसे हम समय–समय पर इस राशि को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे,

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक छोटी सी बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि आपदा में पहले जो नुकसान होता था जिलों में उसमें पैसा विधायकों को दे दिया जाता था लेकिन पिछले 2–3 वर्षों से आपदा का पैसा विधायकों की संस्तुति पर जिलाधिकारियों के द्वारा कुछ नियमों का हवाला देकर नहीं दिया जा रहा है जिससे जो भारत सरकार से पैसा आता है राज्य को, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

ठीक है मैं इसको दिखवा लूँगा, लेकिन हर जिले को लगभग 25–25 लाख रू0 दिया गया है 3 करोड़ 25 लाख रू0 जिलाधिकारियों के निवर्तन में रखा गया है, लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि सड़क नहीं है और आपात स्थिति की बात आती है तो इसको प्राथमिकता दी जाती है, श्रीमन्, यह कहा गया कि इस बजट में स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की उपेक्षा की गयी है, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की उपेक्षा की तो हम कल्पना भी नहीं करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि इस बजट में 10 करोड़ रू0 की बजट की व्यवस्था हमने उनके लिए की है, महिलाओं के लिए श्रीमन्, कई सदस्यों ने कहा कि महिला कल्याण कोष में केवल 50 लाख से क्या हो जायेगा, मुझे लगता है शायद उन लोगों ने पूरा बजट नहीं पढ़ा लेकिन जिन्होंने कल्याण निधि का 50 लाख पढ़ करके अपना मन बनाया होगा कि महिलाओं के लिए केवल 50 लाख रू0 रखा गया है ऐसा नहीं है, यह जो महिला कल्याण निधि है यह पहली बार एक निधि बनाई है हमने, उसकी टोकन मनी 50 लाख रू0, पहली बार बनाई है आज से पहले यह कल्याण निधि बनी ही नहीं थी, और जहाँ तक बजट का प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जेण्डर बजट में महिलाओं के लिए पूरा का पूरा यदि देखा जाए तो हम लोगों ने इस वर्ष पहले 20 विभागों में होता था, इस समय 24 विभागों को किया, और जहाँ वर्ष 2008–09 में 656.45 करोड़ की धनराशि प्राविधानित थी वहाँ महिलाओं को और सुदृढीकरण करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनको योजनाओं में सहभागी बनाने के लिए, वर्ष 2009–10 में 1205.04 करोड़ रू0 रखा गया, जो गत वर्ष से अधिक 83 प्रतिशत बढ़ोत्तरी है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, तो इसलिए यह कहना कि महिलाओं की उपेक्षा की गयी यह ठीक नहीं है, और कर्मचारियों के बारे में हम कहना चाहते है वैसे तो मैंने पहले भी कह दिया कि हम कर्मचारियों के हितैषी है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि कहीं बिहार न बन जाए। मान्यवर, कर्मचारियों के हितों में कोई कदम उठाकर बेहद बनाने जैसी बात तो नहीं है, हम तो चाहते हैं कि कर्मचारियों को सुदृढ किया जाए, उनकी जो दिक्कत हैं, उनकी जो परेशानी है, उनकी परेशानी को दूर किया जाए, हम विकास में उनकी सीधी–सीधी सहभागिता चाहते हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो आपने स्वाभाविक छठे वेतन आयोग की स्वीकृति प्रदान की है। मान्यवर, स्थानीय निकाय और निगमों की स्थिति पर कहीं पर भी न तो कोई चर्चा हुई और न बजट में भी कहीं पर भी कोई प्रोविजन करने की बात है। मान्यवर, 50 हजार कर्मचारी आज की तारीख में इस प्रदेश के अन्दर विभिन्न निगमों के अन्दर कार्यरत् हैं और वहाँ पर ऐसा लगने लगा है कि निगम के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो छठे वेतन आयोग की राहत में आपसे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि छठे वेतन में उन सबको सम्मिलित कर लिया जाए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय विधायक श्री जोत सिंह गुनसोला जी को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो निगम हैं, परिषद हैं और स्वायत्तशासी संस्थायें हैं इनमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दृष्टि से सरकार ने एक मंत्री परिषद की समिति बनाई है, जिसमें यह विचाराधीन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम कर्मचारियों की क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, हम हर वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना चाहते हैं और हमारी सरकार सभी वर्गों के विकास पर ध्यान देती है और उसमें कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, इसलिए यह कहना कि यदि छठा वेतनमान लागू किया तो इसकी 2–3 वर्ष में यह स्थिति होगी कि आज से भी बदतर हो जायेगा यह कहना भी उचित नहीं है। मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने टाटा को प्रतिवर्ष कुछ लीज रेन्ट पर छूट देने की भी बात उठाई है और प्रतिवर्ष राजस्व को घाटा होने की बात कही है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के हित में कोई भी कदम उठाया जायेगा वह इस राज्य के हित में होगा, जहाँ तक टाटा के उस जमीन के प्राविधान का विषय है यदि वह यहाँ आयेगा तो प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत, 200 करोड़ रुपये का उससे इस राज्य को टैक्स मिलेगा, इसलिए बड़े पक्ष में यह निर्णय सरकार ने लिया है। श्रीमन्, रेल की बात आई है हमने तो नहीं कहा है रेल के लिए, अब यदि हमसे यह कहा जाए कि केन्द्र सरकार से अनुरोध करें तो हम तो अनुरोध केन्द्र सरकार से कर रहे हैं, हमसे यह कहा जाए कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूँगा और उन्होंने भी कहा कि एक चिट्ठी हमको भी दे दें और यह अच्छा है कि हम लोग मिल करके इस दिशा में काम करेंगे, परसों ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर आये थे उनसे मैंने इस बात की आपत्ति जताई थी कि रेल मंत्रालय ने उत्तराखण्ड की उपेक्षा की है तो उन्होंने कहा था कि हम एक बैठक भी करना चाहते हैं, हमें इस बात की खुशी है कि बैठक हुई, तो उस दिशा में एक बैठक भी हो गई है, लेकिन जो आपने अपेक्षा की है तो जब हम पत्र बनायेंगे तो वह पत्र आप को कॉपी भी कर दिया जायेगा, हमें उम्मीद है कि आपका भी सहयोग मिलेगा। हमने कहा कि केन्द्रांश से राज्यांश जो 50 प्रतिशत है, आखिर हमें विशेष राज्य का दर्जा है हमको छूट मिलनी चाहिए उस दिशा

में जो 90 प्रतिशत का है, इसलिए हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को भी कहा है। श्रीमन्, बहुत जल्द ही रेलवे मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कुछ बिन्दुओं पर हम लोगों की सहमति हुई है, जिससे मुझे लगता है कि रेल के क्षेत्र में मुजफ्फरनगर–रूड़की जो रेल लाईन है, उसके विस्तारीकरण के लिए 20 करोड़ रूपये का राज्यांश भारत सरकार को इस बजट में प्राविधान कर दिया है और भी जो कर्णप्रयाग की रेल लाईन है, चाहे वह हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी की है जिसकी बात हुई है और टनकपुर, बागेश्वर का है, इधर विकास नगर तक का है और बहुत सारी रेलवे लाईनों के बारे में हमने उनसे अनुरोध किया है और उस पर हम लगातार चर्चा भी करेंगे।

श्रीमन्, चर्चा भी करेंगे और उसको बढ़ायेंगे भी। श्रीमन्, पीछे के समय में दो–तीन बातें और आयी हैं जो मैं चर्चा करना उचित समझता हूँ। एक तो श्रीमन्, ये जो माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 2013 तक औद्योगिक पैकेज हमें दिया था, दुर्भाग्यवश पिछली सरकारों ने पहले तो उसे 2007 तक किया और फिर उसे बढ़ाकर 2010 तक किया। श्रीमन्, जिस दिन 2007 तक किया गया था, उस दिन बहुत सारे उद्योग यहाँ से चले गये थे। क्योंकि दो–ढाई वर्ष तो उन्हें स्थापित होने में लगता है और उस तिथि तक यदि उनको छूट मिलने का कोई समय ही नहीं रहेगा तो कोई भी यूनिट खड़ी नहीं होगी। श्रीमन्, 2010 से 2013 तक भी नहीं बढ़ाया गया, इसलिए हमने अभी यह माँग की है कि कम से कम हमको 2020 तक यह औद्योगिक पैकेज मिलना चाहिए और जो पूर्वोत्तर राज्यों को मिला है, वही पैकेज हमें भी मिलना चाहिए। आखिर पूर्वोत्तर राज्यों का जो पैकेज है, उससे तो विषम परिस्थितियां उत्तराखण्ड की हैं और उत्तराखण्ड तो देश के लिए अद्भुत है, वैसे भी अगर सामरिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें। श्रीमन्, जिस भी दृष्टि से देखें, यह देश के लिए निश्चित रूप से हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसे 2020 तक किया जाना चाहिए। श्रीमन्, खाद्यान्न कोटे में हमारी लगातार कटौती हो रही है और हम लगातार पत्र भी भेज रहे हैं, उसके हमारे पास आंकड़े भी हैं कि पहले चाहे रसोईगैस के रूप में कटौती कर दी गयी हो, खाद्यान्न, मिट्टी के तेल और तमाम खाद्यान्न में कटौती की गयी हो। इसमें भी हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि वह हमारी कटौती न करें। श्रीमन्, एक बात जो पीछे के दिनों में उठी है और बीच में भी मैं सुन रहा था कि बजट भाषण में भी एक–दो सदस्यों ने उस बात का उल्लेख किया क्योंकि सदन में उस बात का उल्लेख हुआ है श्रीमन्, इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है हालांकि श्रीमन्, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो ये प्रतिवेदन होता है, ये सदन की सम्पत्ति है और इसके बाद लोक लेखा समिति बनती है, जो इन सारे बिन्दुओं पर जो महालेखा परीक्षक नियंत्रक करते हैं, उन सभी पर वह लोक लेखा समिति साक्ष्य मांगती है, चर्चा करती है और तब उसके बाद। समिति तब यह तय करती है और वह भी सदन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और तब जाकर के यदि कोई घोटाला हुआ है या कोई गड़बड़ हुआ है तो तब जाकर के उस

पर निश्चित किया जाता है कि कोई घोटाला हुआ है। मुझे दुःख है कि श्रीमन्, जो महालेखाकार का जो प्रतिवेदन था इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और कहा गया यह 400 करोड़ रू0 का घोटाला है। श्रीमन्, एक बार मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस बात को कहा है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सदन है। इस सदन का एक-एक शब्द एक-एक मिनट इतिहास बनता है। मैं बहुत विनम्रता से साथ अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्रीमन्, सदन में वह चीज न कही जाय, जो तथ्यों से दूर हो। इसलिए मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि इस रिपोर्ट को देखा जाय तो वह भारतीय जनता पार्टी के शासन काल का कोई भी घोटाला नहीं है और न ही अनियमितता है। यदि इस किताब में है 2006 और 2007 के पहले सारे के सारे बिन्दु हैं और इसलिए चूंकि कहा गया। इसलिए मुझे विवश होकर के कहना पड़ा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि सदन के समक्ष आया है और मैंने इसे पढ़ा है। मैं इसके बिन्दुवार एक-एक शब्द, एक-एक पृष्ठ का, एक-एक योजना का, बता सकता हूँ। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं विवश होकर इस बात को खण्डित करता हूँ कि जिन लोगों ने इस सदन में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का घोटाला है, मैं उसे खण्डित करता हूँ। यह गलत और तथ्यहीन बात है। मैं श्रीमन्, आपके प्रति बहुत आभारी हूँ बहुत सारे सदस्यों का। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट का फैसला तो लोक लेखा समिति करेगी। मैं समझता हूँ कि लोक लेखा समिति के परीक्षण से पहले कोई भी टिप्पणी करना चाहे कोई भी पक्ष करे चाहे सत्तापक्ष करे या विपक्ष करे, समुचित नहीं है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, माननीय निजामुद्दीन जी जिस बात को कह रहे हैं, इसको तो मैं कह चुका हूँ, इसलिए मैंने उस पर चर्चा नहीं की। सदन में बात आयी, इसलिए उसको खण्डित किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी उसके तथ्यों पर नहीं बोले।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मैंने इसको खण्डित किया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यदि किसी माननीय सदस्य ने सदन में कोई बात कही है, मैं समझता हूँ कि नेता सदन भी वही बात सदन में कहेंगे तो वह उचित नहीं है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही विनम्रतापूर्वक कह दिया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माना किसी सम्मानित सदस्य ने अगर कोई बात सदन में कह दी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यदि उसको निकाल दिया जाय तो मेरी भी बात को निकाल दिया जाय। (व्यवधान) मेरी जिम्मेदारी इस सरकार के प्रति भी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यदि किसी माननीय सदस्य ने सदन में कोई बात कही है। रिपोर्ट चूँकि पहले लोक लेखा समिति में जानी थी, उसके बाद सदन में आनी थी, मैं इस बात से सहमत हूँ। उसके बाद भी नेता सदन का सदन के अन्दर यह कहना कि कैग की रिपोर्ट में जो भी कहा गया है, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, वह कांग्रेस के शासनकाल के हैं, मैं समझता हूँ यह उचित नहीं है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जो बात गलत थी, वह मैंने कह दी।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने तब क्यों नहीं चर्चा की थी, इस बात की। यह देखा जाय यदि प्रीतम सिंह जी ने उस दिन यह कहा है कि कैग की रिपोर्ट की इधर चर्चा नहीं होगी, तो श्रीमन्, मैं अपनी सारी बातों को वापस लेना चाहता हूँ लेकिन यदि उस दिन इस बात का खण्डन नहीं हुआ है कि यह घोटाला हुआ है और इस सरकार ने किया है, तो मैं उसका खण्डन करना चाहता हूँ कि कैग की रिपोर्ट इस सरकार के घोटाले का प्रमाण नहीं देती है। मैं फिर कहना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) मैं उसी बात को खण्डित करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन के इस कथन से मैं सहमत हूँ। मैंने पहले भी कहा कि यदि किसी सम्मानित सदस्य ने इस बात को सदन के अन्दर कहा, यह भी हो सकता

है कि जिस माननीय सदस्य ने यह बात कही हो, उसको इस बात की जानकारी न हो, यह भी हो सकता है। क्योंकि कैग की रिपोर्ट जब पटल पर रखी गयी और सभी साथियों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा। लेकिन उसी बात की पुनरावृत्ति नेता सदन करें, जो कि बहुत ही जानकार हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, आपकी बात आ गयी। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने यह बात कह कर कांग्रेस को आरोपित किया है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि वह रिपोर्ट आयी है और सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो गयी है। वैसे तो क्योंकि वह रिपोर्ट सदन की सम्पत्ति हो गयी है, इसके हर पृष्ठ को पढ़ने की इजाजत सबको है। इसलिए सामने आयी है लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि बिना लिखे–पढ़े यदि कोई तथ्य रखे गये हैं, तो मैं उसको खण्डित कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं करना चाहता, मैंने यह कहा कि यह उचित नहीं था। अगर यह कहा गया तो मैं उसको खण्डित कर रहा हूँ। श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत सारे विषय आए हैं। श्रीमन्, वैसे तो सभी माननीय सदस्यों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं,

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जाते–जाते दो घोषणाएं तो कर दीजिए, विधायक निधि बढ़ाने की और विधायकों के भत्ते बढ़ाने की। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, विधायक निधि तो बढ़नी ही चाहिए। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, इसके लिए विधायकों की एक समिति बनी है, उसकी जो संस्तुतियाँ होंगी, उन पर पूरा–पूरा विचार किया जाएगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, विधायक निधि के बारे में समिति नहीं बनी है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, विधायक निधि के बारे में भी हम लोग बैठ लेंगे और विचार कर लेंगे। श्रीमन्, मैं आपका और सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि....। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह पहला बजट है, आज कम से कम विधायक निधि की घोषणा उन्हें कर देनी चाहिये।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ बैठकर विचार कर लूंगा और जो भी उचित होगा, वह किया जायेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले। (व्यवधान) मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय शैलेन्द्र जी के कुछ सुझाव मेरे पास हैं, मैं इस सम्बन्ध में आपसे अलग से वार्ता कर लूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, विधायक निधि को कम से कम बढ़ाया जाना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आज पूरा सदन यहाँ पर बैठा है, आप इसकी घोषणा कर दीजिये।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न वैट के सम्बंध में था।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी की जो आशंका है कि इससे महंगा होगा तो इस घोषणा से फ्लोर मिलों में प्रति बोरा 10 रुपये की कमी आयेगी। आप मेरे साथ बैठ लीजियेगा, इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसका निष्कर्ष यह है कि 10 रुपये प्रति बोरी की कमी इसमें आयेगी।......(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, विधायक निधि की घोषणायें कर दीजिये। यह रह गया है।

(माननीय सदस्य श्री राजकुमार के अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री अब तो घोषणा कर ही दें, क्योंकि राजकुमार ने भी कह दिया है कि वे उनका समर्थन कर रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा एक साथ बैठ लेंगे।......(व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, आज तो घोषणा का दिन है, आज यह घोषणा मुख्यमंत्री जी को कर देनी चाहिये।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं सदन को यह तो आश्वस्त करूँगा कि विधायक निधि में बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन वह कितनी होगी, वह हम लोग बाद में सुनिश्चित करेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक अनुरोध है कि वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद चर्चा समाप्त हो जाती है। फिर भी कोई स्पष्टीकरण आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य यदि जोर से हसेंगे, तो ही मैं कम बोलूंगा। (हँसी)

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय निशंक जी को मैंने सुना है और जो भी माननीय सदस्य इस चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है और बहुत ही गम्भीर सुझाव सत्ता पक्ष, विपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों के द्वारा बजट के सन्दर्भ मे इस सदन के सम्मुख रखे गये हैं और जैसे मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि हम सब की मंशा इस नये राज्य को ऊँचाईयों पर ले जाने की है। मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक विचारधारा में हममें मतभेद हो सकते हैं, डिबेट हो सकता है, लेकिन इस मंशा में, कि राज्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से, परम्पराओं के दृष्टिकोण से यह राज्य ऊँचाईयों पर आगे बढ़े, इसमें हममें कोई मतभेद नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना के बारे में कुछ बिन्दु और कुछ चीजों का उल्लेख यहाँ किया कि हमने फरवरी माह में योजना भारत सरकार को भेज दी है और अब तक स्वीकृत नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं भिज्ञ है कि इस देश में आम चुनाव था और उसके कारण ही भारत सरकार का बजट जो कि फरवरी–मार्च में प्रस्तुत होता था, वह इस समय जुलाई में प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि हमने अपनी वार्षिक योजना को फरवरी में भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार योजना आयोग से हमको स्वीकृति नहीं मिल पायी, निश्चित रूप से यह उचित नहीं लगता है, लेकिन मैं यह जरूर

कहना चाहता हूं कि अक्सर भारत सरकार के जब मंत्रालयों से हमारी बातचीत होती है मंत्रियों से, सचिव से, और हम वहाँ बातचीत करते हैं तो भारत सरकार के चाहे मंत्री हो, अधिकारी हों, उनका सीधा सा आरोप हमारे प्रदेश पर यह होता है कि आपके समय से योजना नहीं बनती और जो हमारी वार्षिक योजना में वृद्धि नहीं हो पा रही है। उसके दो मुख्य कारण हैं। क्योंकि किसी प्रदेश की वार्षिक योजना को निर्धारित करते हुए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक जो हमारे रिसोर्स हैं, आमदनी है, आय हमारी, हम उसकी वृद्धि करने में बहुत ज्यादा हद तक सफल नहीं हुए हैं। अब हम आंकड़े दे सकते हैं कि हमारी वृद्धि का प्रतिशत इतना रहा है। लेकिन जितना भारत सरकार को हम से अपेक्षा होती है कि हम अपने रिसोर्स को इतना बढ़ाए, उस लक्ष्य के अनुरूप हम अपनी आय को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ हम आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं और दूसरी तरफ व्यय नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही चीजें, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं कि हम अपने स्वयं के रिसोर्स को डेवलप नहीं कर पाये जिस रूप में हमको करना चाहिए था, दूसरा हम भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी तो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि (व्यवधान) जो परम्परा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार पर यह आरोप लगायेंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सही तथ्य सदन के सम्मुख रखेंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आप कहते हैं नहीं कहना चाहिए तो मैं नहीं कहता हूं। मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप कहिये। मैं मात्र इतना अनुरोध करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर भारत सरकार पर आरोप लगेगा तो हमें जवाब देना ही देना है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं विनम्रता से फिर अनुरोध करना चाहता हूं भारत सरकार पर आरोप लगाने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो सच है मैंने उस सच को सदन के सम्मुख रखने की कोशिश की। मैंने यह कहा कि हमने अपने वार्षिक योजना का आकार फरवरी में भेज दिया है। उसके बाद यदि नेता सदन को यह लगे, श्रीमन्, आपने इस

बात को उठाया कि आपने अभी तक भी कहा, आपका पूरा भाषण है, जिसमें आपने कहा कि जो सरकार अपनी वार्षिक योजना अभी तक मंजूर नहीं करा सके। (व्यवधान) हमने लगातार प्रयास किया। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो सच्चाई है उसको स्वीकार क्यों नहीं करते। आप इसलिए नहीं कर पाये कि आप राजनैतिक उथल-पुथल में लगे थे। भारत सरकार के योजना आयोग से बातचीत करने का आपके पास समय नहीं था। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, हमेशा परम्परा यह होती है कि राज्य सरकार अपनी वार्षिक योजना को भेजता है, उसके बाद जब भी योजना आयोग का आदेश होता है वह हमको बुलाता है और हम उनसे चर्चा करते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति रही होगी कि योजना आयोग हमको नहीं बुला पाया होगा। मुझे लगता है कि और राज्यों का भी रहा होगा। लेकिन हमारी ओर से नहीं है। मैंने यह कहा कि हम फरवरी में ही योजना को भारत सरकार को भेज चुके थे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपने आय के स्रोत और बढ़ाने चाहिए। हमें अपनी पीठ थपथपाने के बजाय, यह ठीक है राजनीतिक दृष्टि से हम अपनी पीठ थपथपायें। लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की जितनी अधिक कोशिश हो सकती है करनी चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आपने बात की, इसी तरह मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार, जो मैंने अपने बजट चर्चा में भाग लेते हुए आँकड़े दिये।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ पाती है कि चर्चा की समाप्ति तो नेता सदन के भाषण से हो गई है। यह किस तरह की चर्चा यहाँ पर प्रारम्भ हो रही है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चर्चा नहीं हो रही है। मैं स्पष्टीकरण पूछ रहा हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिन्दु सदन के सम्मुख रखे हैं, उसमें अपनी जिज्ञासा और अपनी बात को रख रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, स्पष्टीकरण तो बिन्दुवार पूछे जाते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बिन्दुवार ही पूछ रहा हूं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसका मतलब यह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके जो बिन्दु रखे गये हैं, उसका जवाब फिर देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सदन का बहुत सारा कार्य परम्पराओं से चलता है।

श्री अध्यक्ष–

परम्परा यह है कि माननीय नेता सदन के भाषण के बाद चर्चा समाप्त हो जाती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तो समाप्त कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं तो बिन्दुवार पूछिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बिन्दुवार ही पूछ रहा हूं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा में जितने भी बिन्दु उठाये जाते हैं। माननीय नेता सदन पहले बजट भाषण करते हैं। उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत माननीय सदस्य जो बिन्दु उठाते हैं, उनका उत्तर माननीय नेता सदन उत्तर भाषण में देते हैं। उसके बाद तो चर्चा समाप्त हो गई।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कर दो समाप्त।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसके बाद विभागवार अनुदान माँगों पर चर्चा करेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी कुछ कहने के लिए कहेंगे तो मैं अवश्य प्रश्न करूँगा। कर दो समाप्त चर्चा।

डा0 रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, मैंने तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया है कि जो कटौती का प्रस्ताव है उसे वापस लें। इतना अच्छा बजट आ रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैं कटौती का प्रस्ताव वापस क्यों नहीं ले रहा हूँ। जब संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि परम्परा नहीं है तो ठीक है। चर्चा समाप्त कर दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। मान्यवर, नयी परम्परा डालना उचित नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

अगर स्पष्टीकरण के रूप में कुछ पूछना चाहते हों तो अवश्य पूछें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमों की बात कह दी। तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सदन का चौथी बार सदस्य रहने का अवसर मिला है। मैं मायावती, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और नारायण दत्त तिवारी जी के साथ भी सदन में रहा हूँ। मैंने स्वयं देखा भी है। आप नई परम्परा डालना चाहते हैं। यह सबके समय में होगी। यह नजीर बनेगा इतिहास में।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरे पास 1952 से लेकर के अभी तक की कार्यवाहियाँ हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या पहले नहीं हुआ। क्या पहले नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को नहीं रख सकते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, स्पष्टीकरण किसी बिन्दु में रह गया हो तो माँग सकते हैं। जिन विषयों पर माननीय नेता सदन अपनी बात नहीं रख पाये हैं या कोई विषय छूट गया है तो उस विषय को स्पष्टीकरण के रूप में पूछा जाता है। यह नहीं कि पुनः भाषण प्रारम्भ कर दिया जाए।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, वह भी स्पष्टीकरण ही माँग रहे हैं। तरीका हो सकता है अलग हो।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन–जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया है जिन बिन्दुओं पर हमारी शंका है उन्ही को उठा रहा हूँ। अगर आपको भाषण लगता हो तो यह अलग बात है। मैं तर्क रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को मेरे बोलने से क्यों तकलीफ हो जाती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप परम्पराओं और नियमों से अपनी बात को रखें। नई परम्परा मत डालें।

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि मैं भाषण भी नहीं कर रहा हूँ। स्पष्टीकरण भी नहीं माँग रहा हूँ। तो वे क्या चाह रहे हैं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है।

(कई माननीय सदस्यो के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

आप लोगों को यही समझ में नहीं आया कि निशंक जी कैसे मुख्यमंत्री बन गये। हम आपको क्या समझायें। (हँसी)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई विशेष बिन्दु जानना चाहते हैं तो सरकार जवाब अवश्य देगी। जहाँ तक आपने कहा कि सरकार को तकलीफ है तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। मान्यवर, यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष को कोई विशेष बिन्दु जानना हो, सरकार हर विषय का हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बोलेंगे तो हमको मार्ग दर्शन मिलेगा। उनके कहने पर तकलीफ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कहें भी मैं शुरू भी नहीं करूँगा अब। अभी तो ऐसी गाड़ी भी नहीं बनी है जो बिना पिकप पकड़े, बहुत तेज चलने लग जाय। ऐसी तकनीकी का विकास भी नहीं हुआ है। (हंसी) (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आजकल वो बिना गियर की भी गाड़ी आ गयी है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष यदि आप स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सम्मानित सदन में जो अभी कार्यवाही हुई है, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए उनको रोकने के लिए इस सदन में टोका–टोकी हुई है। इस मसले को आप और माननीय नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष या संसदीय कार्य मंत्री जी किसी चैम्बर में बैठकर, जो नेता प्रतिपक्ष के बारे में टोका–टोकी हुई है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ऐसी जरूरत भी नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आप समझा दीजिए या सरकार समझा दे कि मुझे पूछना क्या है या मुझे प्रदेश की जनता के हित की मांग करनी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तोता तो नहीं हूं कि जो आप कहेंगे, मैं वो कहूं। (व्यवधान के मध्य)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आप अपनी और माननीय अध्यक्ष जी की दूरी नाप लीजिए आपकी सेहत के बारे में पूरा सदन चिन्तित है। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस प्रकार से पूरा सदन मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित है, मैं उसी प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के बारे में भी चिन्तित हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने स्पष्टीकरण के रूप में जो कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम इस प्रदेश की जनता के वकील हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप इससे पहले अपने बजट भाषण में 2 घन्टा 45 मिनट बोल चुके हैं। (व्यवधान) आपको मना तो नहीं किया गया। फिर भी आपको कुछ स्पष्टीकरण करना है तो आप पूछ लीजिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो–जो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे हैं उन शब्दों को मैंने नोट किया है। मैं पहले से कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ, जिन बिन्दुओं में मुझे शंका है उन बिन्दु को मैं पूछ रहा हूँ यदि इसमें किसी को तकलीफ हो तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुम्भ मेले के बारे में यहाँ उल्लेख किया है कि भारत सरकार से कुम्भ मेले के लिए कोई सहायता नहीं मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि मेरी जानकारी में है कि भारत सरकार ने अतिरिक्त सहायता की बात कही है।

2010 में जो कुम्भ मेला होना है उसके लिए आप स्थायी निर्माण, जो मैंने उल्लेख किया पुल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, पार्किंग बननी हैं, इस अतिरिक्त सहायता से जो 300 करोड़ रू0 का बजट स्वीकृत हुआ प्रदेश सरकार इसको खर्च नहीं कर पाई समय से, भारत सरकार बार–बार प्रदेश सरकार से पूछती रही कि जो हमने 300 करोड़ के विरूद्ध 115 करोड़ जो आपको दिया, उसके विरूद्ध जो आपने खर्च किया है वह किस मद में खर्च किया है, जब प्रदेश सरकार यह जवाब भारत सरकार को नहीं दे पाई, इसी का नतीजा है कि भारत सरकार आपको अधिक सहायता नहीं दे पा रही है, दूसरा छठवाँ वेतन आयोग का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय जैसे अभी माननीय धुनसोला जी ने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को चाहे वे महाविद्यालय के हों या अर्द्धसरकारी विद्यालय के हों और निगम का उल्लेख अभी आपने किया, अभी पंतनगर विश्वविद्यालय और कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हड़ताल हुई, गढ़वाल विश्वविद्यालय में चूँकि वह सेन्ट्रल का विश्वविद्यालय हो गया 1 जनवरी, 2009 से तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट 1 जनवरी, 2009 से शिक्षकों को देगी लेकिन 2006 से लेकर जब तक वह सेन्ट्रल विश्वविद्यालय मिला उस समय तक का वेतन जो छठवां वेतनमान मिला वह प्रदेश सरकार को देना होगा और इस समय तक प्रदेश सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर पाई इसलिए गढ़वाल विश्वविद्यालय सेन्ट्रल विश्वविद्यालय बनने के बाद भी वहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों को छठे वेतनमान की सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है और केवल विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर 40 प्रतिशत की वृद्धि वेतन में की है, और इसलिए यह कहना कि हमने छठा वेतनमान पूरे प्रदेश में लागू कर दिया

है और मंत्रिमण्डल की उप समिति बनाई है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, सस्ती लोकप्रियता को अर्जित करने के लिए कि हमने छठा वेतनमान प्रदेश में लागू कर दिया, आपने निगमों को नहीं दिया, विश्वविद्यालय को नहीं दिया, सरकार और अर्द्धसरकारी टीचरों को तब दिया जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, संघर्ष किया चूँकि यहीं शिक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था जब हमने उठाया था तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की सेवा शर्तें और प्रदेश की सेवा शर्तें अलग अलग होती है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के चाहे निगम के कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, उन सबको भी छठा वेतनमान मिलना चाहिए, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऋण के मामले में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे शासन काल में जिसमें पं0 नारायण दत्त तिवारी जी जिस सरकार का नेतृत्व करते थे, उस सरकार के शासनकाल में ऋण लिया, मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी, कि पं0 नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने विभिन्न फंडिग एजेन्सियों से ऋण लिया, और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपकी अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं गुजरात चुनाव में गया, जो ड्राईवर मेरे पास था उसको नहीं मालूम था कि मैं किस पार्टी का हूँ क्या हूँ उसको नहीं मालूम था, एक चौराहे पर मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने कहा कि यहाँ पर जो है चुनाव हो रहा है, मैंने कहा किसके बीच में हो रहा है, उसने कहा कि नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के बीच में, मैंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में क्यों नहीं, उसने कहा नहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के बीच में चुनाव है, मैंने उससे पूछा कि कौन जीत रहा, वह कहने लगा कि नरेन्द्र मोदी जीत रहे हैं, मैंने कहा, क्यों जीत रहे हैं, मैं एक ड्राईवर की बात इसलिए कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय खण्डूड़ी जी से भी कहा था कि उस ड्राईवर की यह सोच थी कि साहब नरेन्द्र मोदी जी विदेशों से कर्ज लाए और गुजरात का विकास किया, यह निवेदन हमने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से किया, कि हमारा प्रदेश इस बड़े हिन्दुस्तान में महासागर में एक छोटा सा प्रदेश है, जैसे माननीय निशंक जी ने अभी कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा है 90 प्रतिशत हमको माफ हो जाता है 10 प्रतिशत हमको वापस करना है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम यह रोना रोते रहे।

मान्यवर, मैंने पहले भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग को भारत सरकार और विभिन्न फंडिंग एसोसिएशन का इतना कर्ज देना है कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा विभाग को अगर आप 10 बार बेच देंगे तो भी उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग उन फंडिग एसोसिएशन के कर्ज को चुकता नहीं कर सकता है। हमेशा भारत सरकार उत्तर प्रदेश से कहता है कि हम नेशनल ग्रिड से बिजली कटौती कर रहे है तो माननीय मुख्यमंत्री फिर माननीय प्रधानमंत्री से बात करते हैं, अभी तक नेशनल ग्रिड से भारत सरकार एक

घण्टे की बिजली भी नहीं रोक पाई है, यह उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, हमारा नया राज्य बना है, नये राज्य के सड़कों के विकास के लिए, नये राज्य के गांव के विद्युतीकरण के लिए, यहाँ के पेयजल के लिय यदि आप ऋण लेते हैं तो यह कोई किसी सरकार की कमी नहीं है। मान्यवर, अमेरिका जैसे सम्पन्नशाली देश ने इतना ऋण लिया फण्ड एजेन्सियों से, तो अमेरिका जैसा देश ऋण ले सकता है तो उत्तराखण्ड को अपने ढाँचे के सुधार में मैं सोचता हूँ कि ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, हमने कभी विश्वविद्यालय का विरोध नहीं किया है, दो बिन्दुओं का विरोध किया है हमने कि जो विश्वविद्यालय बना है पहले हम उस विश्वविद्यालय को बहुत मजबूत करें, फिर नये विश्वविद्यालय की शुरूआत करें, हमने यह नहीं कहा कि आप आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय क्यों खोल रहे हैं, हमने कहा कि पहले संस्कृत विश्वविद्यालय को मजबूत कर लें फिर नये विश्वविद्यालय की बात करें, भवन बनायें फिर नया विश्वविद्यालय खोलें, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलते, दूसरी आपत्ति मेरी इस पर थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कोई घोषणा नहीं की और अपने वक्तव्य में नहीं लिखा कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो आप बना रहे हैं, जब उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय का एक्ट इस सदन के सम्मुख आया था तो प्रवर समिति के सम्मुख सौंपा गया और जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का गठन कर रहे हैं, इसमें सारी पॉवर प्रदेश सरकार के पास निहित कर रहे हैं, एक्ट में जो प्राविधान आपने किया, आप क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय में गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय जो उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय का एक्ट है, आप उसी तरह का प्राविधान इसमें करते और जब प्रवर समिति की संस्तुतियाँ इस सदन के सम्मुख आती उसके बाद जो भी निर्णय होता तदनुसार निर्णय करते, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। मान्यवर, विधवा पेंशन के मामले में हमने निश्चित रूप से कहा कि ढाई हजार चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं किया कि हम कितना बढ़ा रहे हैं। हमारे शासन काल में 125 रुपये था उसको 400 रुपये किया। 133 परसेन्ट हमने विधवा, विकलांग, वृद्ध पेंशन में बढ़ोत्तरी की। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 133 परसेन्ट की वृद्धि हमने की और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, कि ढाई हजार पेंशन विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन की है तो आप भी मेजें थपथपायें और हम भी थपथपायेंगे, आप अपनी तरफ से करें, जो केन्द्रांश आपको मिल रहा है वह मिल रहा है। मान्यवर, दूसरी बात सैनिक कल्याण में आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हमने यह नहीं कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े दिये कि 8 हजार भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया, इस आंकड़े से हमको आपत्ति नहीं, हमको आपत्ति यह है कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के नाम पर जो संगठन बना था,

ये भूतपूर्व सैनिक परिवार के लोग नहीं हैं, उनको भी रोजगार देने की कोशिश कर रहा है, वह भी ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से, उनसे उन नौजवानों का शोषण हो रहा है और उन भूतपूर्व सैनिकों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं, अगर आपको किसी कॉर्पोरेशन के माध्यम से नौकरी देनी है तो उसके लिए गढ़वाल विकास निगम के माध्यम से करा दें, जिला रोजगार के माध्यम से आप नाम भिजवायें, इस सैनिक कल्याण के माध्यम से क्यों नाम भेजे जा रहे हैं, इससे भूतपूर्व सैनिक परिवारों में बड़ा आक्रोश है, जो भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है उनको भी रोजगार देने का काम यह संगठन कर रहा है, उसके लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम से, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम से या तमाम कॉर्पोरेशन हैं, इम्प्लायमेण्ट के आफिस हैं उनके माध्यम से किया जा सकता था ये काम और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी क्या स्थिति है ?

मान्यवर, रोजगार दिया भी है तो बन्धुवा मजदूरी की तरह ये संगठन कार्य कर रहे हैं। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, 108 की बहुत चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। किसी को आपत्ति नहीं है, 108 सेवा पर। लेकिन कोई अच्छी सेवा हम शुरू करें, उस अच्छी सेवा के शुरू करने के अर्थ यह नहीं है कि हम उस सेवा को शुरू करने के लिए विधिवत् कोई सिस्टम को न अपनायें। मान्यवर, हमने सिर्फ यह कहा था कि इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि यह 108 कितनी की खरीदी गयी, इसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं, इसके लोकार्पण पर माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक आम अखबार में चर्चा और समाचार छपा कि 75 लाख से अधिक रुपया इस 108 सेवा के लोकार्पण पर खर्च किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, अब यह तो आपत्ति है, किसी अच्छी चीज में यदि कोई खटास आ गयी तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे आम को फेंक दें। मान्यवर, यदि कोई अच्छा आम है और उसका कुछ हिस्सा खट्टा हो गया, या सड़ गया है। हम यह कहें कि बहुत अच्छा आम है उस खट्टे का जिक्र ही न करो या उसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए तो, क्यों नहीं होनी चाहिए, हमें उस खट्टे हिस्से को फेंकना चाहिए। मान्यवर, इसलिए 108 का मतलब यह नहीं है कि अगर हमें 108 सेवा से लाभ हो रहा हो तो उसका जिक्र ही न करें। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आँकड़े दिये कि 25181 प्रसूति 108 सेवा में हुई हैं अगर इतनी बड़ी प्रसूति हमारे प्रदेश में हो रही है तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। यदि 108 सेवा न होती तो इसका मतलब है यह है कि 108 सेवा से पहले उत्तराखण्ड में प्रसूति की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसका तो सीधा अर्थ यही हुआ और इसलिए निश्चित रूप से ये जो 108 प्रदेश की चिंता है स्वास्थ्य की चिंता और जो माननीय मुख्यमंत्री जी, के आंकड़े से मैं और चिंतित हो गया हूँ। अगर 108 नहीं होती तो क्या हमारे प्रदेश में हॉस्पिटल नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की स्थिति प्रदेश में बहुत बुरी है। हमारे प्रदेश में पी०जी०आई० नहीं है और इसका भी उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने न ही अपने भाषण

में किया और न ही अपने स्पष्टीकरण में किया। हमारे तमाम सदस्यों ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में पी0जी0 की जो हमारे उत्तराखण्ड की सीट थी उसको बंद कर दिया और जॉलीग्रॉट ने भी शायद वर्ष 2006 से इसे बन्द कर दिया। मान्यवर, अब जब हमारे पास पी0जी0 डाक्टर नहीं होंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आ जायेगी। मान्यवर, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हम निश्चित रूप से स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के आभारी हैं, चूंकि जब वे देश की प्रधानमंत्री थी तो 1984 में उन्होंने बेस चिकित्सालय श्रीनगर का शिलान्यास किया था और उसी शिलान्यास के अवसर पर स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरे खून का एक-एक कतरा देश के काम आयेगा। हम बहुत आभारी हैं और नमन करेंगे माननीय स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का अगर उन्हें उस समय श्रीनगर में बेस चिकित्सालय की स्थापना न की होती तो गढ़वाल को मेडिकल कॉलेज न मिला होता। माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास के बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास के बजट में 447.17 करोड़ का उल्लेख किया, जबकि मेन बजट में उल्लेख है जो प्लान और नॉन प्लान में केवल 362 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, निश्चित रूप से इसमें इसका सही उल्लेख नहीं किया गया। मान्यवर, औद्योगिक पैकेज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मान्यवर, हम आभारी हैं, पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी के, कि उनके प्रयास से उत्तराखण्ड का जो औद्योगिक पैकेज 2007 तक ही सीमित हो गया था, मान्यवर, उनके प्रयास से इसको 2010 तक किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है, हमारे सभी सांसद, चाहे माननीय विजय बहुगुणा जी हों, चाहे माननीय सतपाल महाराज जी हों, चाहे माननीय हरीश रावत जी हों, चाहे प्रदीप टम्टा जी हों, चाहे के0सी0 सिंह बाबा जी हों, मैं अभी सबसे मिला था और उन्होंने विश्वास दिलाया कि माननीय सोनिया गाँधी जी से हमने बातचीत की है। हमारा पूरा प्रयास है, केन्द्र सरकार का पूरा प्रयास है कि 2013 तक इस आर्थिक पैकेज को बढ़ाया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल-

मान्यवर, औद्योगिक पैकेज सीमा 2020 तक बढ़ाया जाय। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार की बात आयी। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ, कोई भी चर्चा यदि महालेखाकार की रिपोर्ट पर हुई है तो इसलिए हुई क्योंकि वह सदन के सम्मुख रखी गयी लेकिन इसके अलावा महालेखाकार विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब किसी चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस

हो गयी, अखबारों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को मालूम हो गया, तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी ही। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के किसी माननीय सदस्य से त्रुटि नहीं हुई, क्योंकि जो चीज सार्वजनिक हो गयी। गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले में चर्चा जिस विषय पर होने लगी और कोई पत्रकार मित्र या मीडिया का कोई व्यक्ति हमसे पूछता है तो निश्चित रूप से हर कोई अपने विचार व्यक्त करेगा। मीडिया के माध्यम से पहले ही यह रिपोर्ट पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने आ गयी। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, बार-बार मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस शासनकाल के घोटालों की बात की है, महालेखाकार की रिपोर्ट को देखें, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि हमारे शासनकाल के ये घोटाले नहीं हैं, ये घोटाले कांग्रेस शासनकाल के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आपने 2007 के चुनावों में कांग्रेस के घोटालों की बात की थी, आपने अभी 2009 के चुनावों में भी कांग्रेस शासनकाल के घोटालों की बात की। इसी सदन के सम्मुख, इसी कुर्सी पर खड़े होकर मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय आपकी टीम के कप्तान पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी थे, मैंने कहा था, अगर हमारे शासनकाल में घोटाले हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जाँच होनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता से उनकी जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा, चाहे हमारी सरकार का कोई मंत्री दोषी है, तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उसका समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ढाई साल हो गया। इन ढाई साल में कौन सी जांच हुई ? किसके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हुई ? आप ढाई साल में एक भी जाच नहीं कर पाए। आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ पर यह कहना कि कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले हुए हैं, कांग्रेस के शासनकाल में यदि घोटाले हुए हैं तो ढाई साल से आप क्या कर रहे हैं ? क्यों नहीं आपने ढाई साल में कोई कार्यवाही की है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वयं पत्रकार हैं। लेकिन पत्रकारों के भविष्य के लिए पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी ने, वे एक साहित्यकार थे, बड़ा दिल उनका था, उन्होंने निर्णय लिया था कि हर जिले में पत्रकार कॉलोनी की स्थापना होगी और पत्रकारों के भविष्य के लिए निश्चित रूप से निधि निर्धारित की जाएगी, लेकिन न तो आपके बजट भाषण में और न ही आपके आज के स्पष्टीकरण में, जिसके द्वारा आपने माननीय सदस्यों की जिज्ञासाओं को शान्त करने का प्रयास किया है, उसमें भी कोई विशेष उल्लेख इसके सम्बन्ध में नहीं किया है। माननीय सिंघल जी ने एक विषय निश्चित रूप से चर्चा के दौरान अपने भाषण में उठाया था, वैट का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में तो नहीं कहा। लेकिन माननीय सदस्य ने उल्लेख किया इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सस्ती लोकप्रियता को अर्जित करने के लिए जो वैट था, जो कम नहीं होना चाहिए था, जिसको जीरो परसेंट करने से प्रदेश की जनता को नुकसान होना था, मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा,

सस्ती लोकप्रियता के हेर-फेर में न पड़ें। प्रदेश की आटा मिल बर्बाद न हों, बन्द न हों इस बात का ध्यान रखें। प्रदेश की जनता को आटा भी सस्ता मिले, चावल भी सस्ता मिले, तेल भी सस्ता मिले, इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राईबल सब प्लान में भी कोई स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया। हमारे माननीय सदस्य यशपाल आर्य जी ने चर्चा में भाग लेते हुये बहुत सारे बिन्दुओं का उल्लेख किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस संबंध में हमारे माननीय सदस्य की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाये कि इस पर क्या होना चाहिऐ। अभी सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिज्ञासायें की थी, उनमें दो प्रमुख बिन्दु थे, एक तो विधायकों के वेतन भत्तों के लिए जो कमेटी बनी है और उस कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों को इसी बजट सत्र में सदन के सम्मुख रखा जाय, जिससे कि बजट में प्रावधान हो जाय और हमारे माननीय सदस्यों को भी इस महंगाई के जमाने में कुछ राहत मिल सके। जैसा कि माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि छठे वेतन आयोग का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिये, हम अधिकारियों और कर्मचारियों से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं और न ही हमें उनसे तुलना करनी चाहिए। लेकिन इस महंगाई के दौर में हमारी भी कुछ रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, क्योंकि हम इन्सान हैं, कोई साधु-सन्यासी तो हैं नहीं और साधु-संन्यासी को भी पेट भरने के लिये कुछ चाहिये। इसलिये इस समिति की सिफारिशों को इसी सत्र के दौरान सदन के सम्मुख रखा जाय। दूसरी बात विधायक निधि बढ़ाने को लेकर भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निश्चित रूप से इसे बढ़ायेंगे। तो कम से कम कप्तान बदल गया है तो कुछ तो परिवर्तन होना चाहिये। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खंडूड़ी जी की हर नीति का अनुसरण करेंगे तो आप उनकी हर नीति का अनुसरण करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी हर नीति का पालन करोगे तो आपको भी खंडूड़ी जी की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिये धनौल्टी के जंगलों में जाना पड़ेगा।

समाज कल्याण राज्यमंत्री (श्री खजान दास)-

मान्यवर, धनोल्टी जंगल नहीं है, वह एक पर्यटक स्थल है।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैं वहाँ गया हूं और जंगल में ही तो मंगल होता है। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को उनकी जो अच्छाईयां हैं, उनका आपको अनुसरण करना चाहिये। लेकिन उनकी आदत थी कि मैं घोषणा नहीं करता हूं और इसी सदन के सम्मुख उन्होंने कहा था, जब मैंने विधायक निधि को बढ़ाने की बात की थी तो उन्होंने कहा कि रावत जी, मैं विधायक निधि तो बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं घोषणा नहीं करूंगा। मान्यवर, आपके भी संज्ञान में है कि मैंने उनसे कहा था कि अगर आप सदन में घोषणा नही करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, हर मुख्यमंत्री जो सदन के सम्मुख, जनता

के बीच घोषणा नहीं कर पाते, वह उसे सदन के सम्मुख करते हैं। मैंने फिर देखा कि सदन के सम्मुख उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन लोक सभा आने के दो महीने पहले उन्होंने इतनी घोषणायें की कि मुझे उनसे कहना पड़ा कि विधायक निधि बढ़ाने के लिये तो आपने कहा कि मैं घोषणा नहीं करूँगा और आप यह घोषणायें कहाँ से कर रहे हो। मैंने और माननीय सदस्यों ने बार–बार बल दिया था कि यहीं पर घोषणा होनी चाहिये। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय निशंक जी से कहना चाहूँगा कि विधायक निधि की घोषणा यहीं पर होनी चाहिये। जैसा कि आपने कहा कि आप, मैं और शहजाद जी बैठ जायेंगे। हम अकेले बैठकर क्या करेंगे, यहाँ पर तो सभी लोग बैठे हुये हैं, आपकी व्यक्तिगत चाय हम कभी और पी लेंगे, आज सभी माननीय सदस्य आपकी चाय पीना चाहते हैं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि के लिये कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिये। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इतनी महंगाई हो गई है चाहे सरिया हो, सीमेन्ट हो, पत्थर हो, रेत हो, ईंट हो, सीमेन्ट हो या मजदूर हो, यह सब महंगा हो गया है। विधायक निधि के बढ़ने से हमें कोई चार चांद नहीं लगने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष, कृपया समाप्त करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। पंक्तियां बहुत असंसदीय थीं, मैंने उसमें कुछ संशोधन किया है जिससे कि ज्यादा असंसदीय न हो जाय। अगर यही कहें। तो सब आप लोग जो हैं निशंक जी की मीठी चाय में भी खटास आ जाती जो आज पिलाने वाले हैं निशंक जी, अभी घोषणा जो करेंगे। चाय का मतलब ये थोड़े है कि हम सचमुच चाय पीने वाले हैं आपकी। चाय का मतलब आप तीन करोड़ की घोषणा करने वाले हैं। वही हम चाय समझ लेंगे आपकी। अब ये निशंक सरकार के ऊपर दो पंक्तियाँ कवि ने लिखी हैं। आप कि जैसा कोई कवि रहा होगा। उसने लिखी हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ संशोधन किया है जिससे कि आपको ज्यादा बुरा न लगे।

"पास आने में जिनको जमाने लगे, क्यूँ वही आज हमसे आँख चुराने लगे।

जिनसे उम्मीद थी रोशनी की हमें, दहशतों के दिये वही जलाने लगे।।"

पूरे प्रदेश में दहशत ही दहशत है। एन्काउन्टर हो रहे हैं। अरे, अब ज्यादा न बुलवाओ, चुपचाप सुन लो। (हंसी) एक शर्त पर माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, दो लाईनें और भी सुन लीजिएगा माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे अब ऐसे शब्द को मैंने संशोधन किया है, वरना इसमें बहुत कठोर शब्द था। बड़े भाई मैंने राम मान लिया, राम का असर तो होगा ही लक्ष्मण में। अब मैं बहुत लम्बा नहीं बोल रहा हूँ। कल माननीय कण्डारी जी घर में आ गये मेरे। इसलिए मैं आज शान्त हूँ आज कण्डारी जी से समझौता

हो गया है। (हंसी) मैं जैसे ही घर पहुँचा तो कण्डारी जी निशंक जी से मिलने आये थे, घर आ गये। मेरी मिसेज ने आज आते हुए कहा कि जीजाजी के खिलाफ एक शब्द भी आज नहीं कहोगे। (हंसी)

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मानननीय अध्यक्ष जी, मेरे बोल है:

"सैर करने हम निकले दिल में कुछ अरमान थे। इधर झाड़ियाँ, उधर श्मशान थे।

पैर से हड्डी टकरायी उसके यह बयां थे ऐ चलने वाले जरा सम्भल के चल कभी हम भी इसान थे।।" (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हमें तो बहुत खुशी है माननीय अध्यक्ष जी, कि 2 ही लोग हमारे प्रदेश में बहुत जवान हैं। एक माननीय पं0 नारायण दत्त तिवारी जी कहते थे कि मैं तो 82 साल की उम्र में भी जवान हूँ और एक माननीय कण्डारी जी, हमारे बड़े भाई, 77 साल की उम्र में भी जवान हैं। (हंसी) मान्यवर, मैं दो पंक्तियां और कहना चाहता हूँ

"ऐसे लोगों को थमा दी कुर्सियाँ यहाँ।" अब शब्द बहुत गलत था इसलिए मैंने ऐसे शब्द कर दिया। जो शब्द था उसको हटा दिया।

"ऐसे लोगों को थमा दी कुर्सियाँ यहाँ।

अंधेरे हुकूमत चलाने लगे यहाँ।"

तो माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ तो अंधेरे की हुकूमत चल रही है। जो मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से चाहता हूँ कि ये सब लोग, कुछ इनको उजाला दे भगवान, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, खुदा इनको कुछ तो करे जिससे ये प्रदेश के विकास में केवल आंकड़ों के हेर–फेर में न पड़कर निश्चित रूप से हमारे द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं, उनको गम्भीरता से लें, प्रदेश के हित में उनका क्रियान्वयन करें तो निश्चित रूप से हमें खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम विपक्ष के द्वारा जो भी तथ्य और जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन के सम्मुख बजट के सन्दर्भ में दिये गये हैं, मैं उन सब पर बल देकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे तो मेरे ख्याल से काफी कुछ आ गया है, फिर भी जो एक–दो बिन्दु हों, उन्हें रखें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी ने जो कविता लास्ट में कही है, यह उनके लिए नहीं है वह अपने पर न लें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ

कि "कथनी करनी एक होते काश पूर्ण यदि तुम होते, सभी प्रेरणा लेते तुमसे, हृदय हजारों न रोते।" श्रीमन्, मैंने भी दो तीन चीजों का उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक कई विधान सभाओं को आपके आशीर्वाद से देखा है, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका भी मिला। लेकिन जो परम्परा रही है वह केवल स्पष्टीकरण लेने की रही है। चार-पॉच मिनट के स्पष्टीकरण होते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हमारे मित्र भी हैं, विद्वान भी हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने फिर कहा कि 300 करोड़ की केन्द्र से स्वीकृति हुई है। मुझे स्वीकृति बता दें तो मैं अनुग्रहीत होऊँगा। क्योंकि मैंने अपने भाषण में पहले कहा, फिर दोबारा कहा फिर तीसरी बार कहा। क्योंकि फिर उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में बात को कहा है कि 300 करोड़ की स्वीकृति मिली है कुम्भ के लिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

उसमें केन्द्र सरकार ने कहा था कि आप सभी धनराशि से निर्माण करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हमारे सड़कों के लिए होती है। जो हमने स्कूल बनाने हैं, सड़क बनाने हैं इसमें आपने लगातार कहा कि ये जो कुम्भ है, आखिर हमारे परिवेश से इसको क्यों किया जाय। श्रीमन्, यही तो अनुरोध है। इसमें हम अपने परिवेश से उस दृष्टि से देखें तो केन्द्र सरकार की इस इजाजत की बजट में प्राविधान तो रख ही रहे हैं, सहायता तो आप दे रहे हैं। हम इसको कहा लगायें कहाँ न लगायें यह तो हमारा विषय है। यह तो राज्य सरकार का विषय है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राज्य सरकार का विषय नहीं है। अगर आपको जिस मद में पैसा दिया जा रहा है, स्थाई निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, सड़कों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो उसको सड़कों के मद में खर्च करेंगे। आपको टैम्परेरी मद में पैसा दिया जा रहा तो टैम्परेरी मद में खर्च करेंगे। आपको अगर सड़क के लिए दिया है तो आप उसका टेन्ट लगा दें तो इसके लिए पैसा नहीं दिया गया है। हमें इसी में आपत्ति है। केन्द्र में हमारी सरकार है, अगर ये अपनी-अपनी सरकार की बात करेंगे और हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से, मैंने अपने भाषण में भी कहा आप केन्द्र से ले भी रहे हो और धमका के लेना चाहते हो तो क्यों देगी केन्द्र सरकार।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमने भारत सरकार के योजना आयोग से यह अनुरोध किया है कि हमारे जो परिव्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता देता है, उससे इसको हटना चाहिए, क्योंकि हमारी वैसी स्थिति है हमारी सड़क हैं, पुल हैं, पुलिया हैं। आप हमको कुम्भ के लिए अलग पैसा दीजिए। अभी उस रूप में भारत सरकार ने हमें एक

पैसा भी नहीं दिया। इसलिए हमने अनुरोध किया है। दूसरा श्रीमन्, छठे वेतन आयोग की बात हुई है मैं पहले ही अपनी बात में कह चुका हूँ कि इसके लिए समिति बनी है वह उस पर चर्चा करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि छठा वेतन आयोग मुझे लगता है कि एक लाख पच्चहत्तर हजार एक सौ तीन राजकीय कर्मचारी हैं। यदि यह कह दिया जाय कि इनको जो लाभ मिला है जब तक और लोगों को नहीं मिलेगा तो इसका कोई मतलब नहीं। दोनों में अन्तर है। राजकीय कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग हमने दिया है। दूसरी सीढ़ी में स्वायत्तशाली हैं, निगम हैं, परिषद हैं उनके लिए बकायदा एक समिति गठित है। जहाँ तक सैनिक कल्याण का विषय है जो 6807 लगे हैं ये गैर सैनिक नहीं हैं, ये सैनिक हैं। इसलिए जो इनकी गतिविधियाँ हैं वह सैनिकों के कल्याण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो मेडिकल कालेज श्रीनगर हैड में भेजे हैं उनका भूतपूर्व सैनिकों से कोई मतलब नहीं है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैंने कहा था कि 650 के करीब आपात स्थिति में एम्बुलैंस में पैदा हुए हैं। लेकिन ये 25 हजार संस्थागत प्रसव कराये हैं, अस्पतालों में लाकर के प्रसव हुए हैं। ये अस्पतालों में 25 हजार संस्थागत प्रसव हुए हैं एक साल में तो यह भी इस बात को साबित करते हैं कि हमने अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाया है और हमने मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने का काम किया है। श्रीमन्, जो हमने 30 एम्बुलैंस खरीदी थी, 24–08–2008 को उस दिन बाजार में जो मूल्य था और जिस रूप में क्रय की गई है हर जगह अंतर लाखों रूपये का अंतर है। इसमें पहले यह सुनिश्चित किया गया कि बाजारी दर कितना है और जो यहाँ लेगे वह क्या है। बकायदा उसमें आंकड़ों के साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो वैसे मेरे पास आंकड़े हैं वह इस समय भी उपलब्ध हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बाजार में उस दिन जो कीमत थी उससे कई गुना बहुत कम कीमत पर इसको हमने क्रय करवाया है। श्रीमन्, यह जो घोटालों की बात आपने कही है और यह कहा कि ढाई साल तक हम क्या कर रहे थे। सबके संज्ञान में है कि क्यों कि अगर सरकार कुछ करती तो यह कहा जाता कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अधिकारियों की कमेटी बना रही है, तो यह भी उचित नहीं होता। इसलिए सरकार ने उस समय यह निर्णय लिया कि अच्छा होगा कि एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाए वह आयोग उस दिशा में काम कर रहा है। इसलिए उस पर कोई टीकाटिप्पणी करना न तो सरकार के लिए उचित है और न प्रतिपक्ष के किसी सदस्य के लिए उचित है। मान्यवर, जहाँ तक कॉलोनी का सवाल है, यह सही है कि मैं भी पत्रकार रहा हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष शायद देख नहीं पाये होंगे। मैं अभी देख रहा था 2006–07 और 2007–08 जो 40 लाख के करीब था उसको बढ़ाकर के 70 लाख कर

दिया उसमें और भी प्राविधान कर दिये हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो पत्रकारों के लिए और भी करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दो–तीन बार माननीय खण्डूड़ी जी के बारे में कहा दिया है वे इस सदन के नेता रहे हैं, उनका इतिहास गौरवशाली रहा है उन्होंने एक मिनट इस सदन का जो भी काम किया हैं वह बहुत ही गौरवपूर्ण काम किया है। इसलिए हम उनके बारे में यह कहें कि उनको वनवास है या वे जंगल चले गये हैं। पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा बहुत सारे लोगों से करवानी है। वे हमारे नेता हैं। उनके सान्निध्य में बहुत सारी योजनाओं को चलना है। वे इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। यह अलग बात है कि वे आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। वे सदन में आये हैं और आयेंगे भी। जहाँ तक विधायकों की वेतन भत्तों की वृद्धि का विषय है। इसके लिए एक कमेटी बनी थी उसकी ओर से प्रतिवेदन आया है। निश्चित रूप से वेतन भत्तों में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक बार पुनः मैं सभी विधायकों को पहले भी कह चुका हूँ, विधायक निधि के बारे में और वेतन भत्तों के बारे में पहले भी कह चुका हूँ। इसलिए एक बार पुनः मैं इस सम्मानित सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और नेता सदन नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध कर रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने खण्डूड़ी जी का उल्लेख इसलिए किया था कि उन्होंने कहा था कि मैं आप सभी की बातों का अनुसरण करूँगा, उन्होंने अनुसरण नहीं किया कप्तानी चली गई। आप हमारी बातों का अनुसरण करें जिससे आप कप्तान बने रहें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आप चिन्ता मत करें। अभी चुनाव तो 2012 में है। कप्तानी यथावत रहेगी। मान्यवर, एक बार मैं पुनः सभी माननीय विधायकगणों का, मान्यवर, विधायक निधि के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ और वेतन भत्ते के बारे में भी कह चुका हूँ। एक बार पुनः मैं सम्मानित सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। नेता सदन से पुनः नेता प्रतिपक्ष अनुरोध कर रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने माननीय खण्डूड़ी जी का उल्लेख इसलिए किया था, उन्होंने घोषणा नहीं की थी आप सब अनुसरण करो लेकिन बहुत सारे अनुसरण मत करो जिससे कप्तानी खींच नहीं जाये। इसलिए आप घोषणा कर दो। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आप चिन्ता मत करियें, अभी चुनाव 2012 में है कप्तानी यथावत् रख ली जायेगी। (हंसी) (व्यवधान के मध्य) श्रीमन्, इन सभी माननीय सदस्यगणों का जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। अन्त में फिर अनुरोध करता हूँ कि इतने सुन्दर बजट के लिए अच्छा होता कि आप नेता प्रतिपक्ष उस कटौती के लिए वे भी श्रीमन्, एक रूपये के लिए, इन

दो रूपया करते। मान्यवर, उस एक रूपये की कटौती को वापस ले लें और सर्वसम्मति से यह बजट पास कर दें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा समाप्त होती है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, चर्चा समाप्त होने से पहले कुल दो मिनट मैं अपनी बात कहता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष बार–बार कह रहे है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। तीन सौ करोड़ रूपये कुम्भ मेले को दे दिये हैं आपने अपने बजट भाषण में कहा, हमारी सरकार थी तो तिवारी जी ने पैसे की कोई कमी नहीं की है। रिखणीखाल कल्जीखाल, जयहरीखाल और पता नहीं कहाँ–कहाँ कालेजों के भवनों के लिए पैसा दिया, इस सन्दर्भ में मान्यवर, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मान्यवर, एक मन्दिर में एक पुजारी रहता था, उस मन्दिर में एक शंख था जिस किसी को कोई चीज की मन्नत मांगनी हो तो पुजारी जी कहते थे शंख भगवान ये आपके भक्त हैं, इनकी कामनाएं पूरी कर दो और कामना पूरी हो जाती थी। पड़ोस में एक आदमी था उसको पैसे की जरूरत थी। उसने सोचा जब पुजारी चले जायेंगे, तो मैं स्वयं शंख के पास जाऊंगा और मैं शंख जी से एक दो लाख मांगूगा। एक दिन पुजारी जी उस शंख को लेकर घर चले गये और वहां पर दूसरा शंख रख गये और ठीक उसी दिन वह पड़ोस का आदमी मन्नत माँगने वहां चले गया। कहने लगा शंख भगवान मुझे एक लाख रूपये दे दो, वह शंख भगवान भी बोल बैठा, कहा एक लाख क्यों आप दो लाख माँगों। आदमी बोला हाँ महाराज दो लाख दे दो। अरे, दो लाख क्यों चार लाख माँगों, हाँ शंख देवता चार लाख दे दो, चार लाख क्यों हाँ आठ लाख रूपये माँगो, फिर उसने कहा शंख महाराज, आप बार–बार धनराशि बढ़ाते जा रहे हो और दे कुछ नहीं रहे हो। उस शंख ने कहा अरे भक्त असली देने वाला शंख पुजारी घर ले गया। मैं तो गपोड़ शंख हूँ (हंसी) मान्यवर, देने वाला असली शंख तो मुख्यमंत्री माननीय निशंक है। सामने नेता प्रतिपक्ष तो गपोड़ शंख हैं (हंसी) (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जब माननीय तिवारी जी को कुछ देना होता था तो वह बगल में इन्दिरा जी को जता देते थे। (हंसी) अगर नहीं देना होता था तो इशारा कर देते थे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना है कि विधायक निधि की बढ़ोतरी की घोषणा अगर सदन में नहीं करना चाहते हैं तो पास में बैठे प्रकाश पन्त को बता दें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आपने जो भी शंख कहा है, हम तो भी शंख स्वीकार करने को तैयार हैं देना वाला शंख तो दें। इसका मतलब देने वाला शंख भी खपोड़ शंख हो गया है। (हंसी) (व्यवधान)

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण-पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में श्री प्रेमानन्द महाजन आदि द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री प्रेमानन्द महाजन-

मान्यवर, आपने मुझे उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण-पत्र लेने में आ रही परेशानियों के संबंध में नियम-54 के अन्तर्गत चर्चा करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, नृप सिंह नपलच्याल, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल ने अपने शासकीय पत्रांक संख्या 738 XXX 2/2004, 27 मई, 2004 में उन्होंने सभी प्रमुख सचिव, सचिव उत्तरांचल शासन..............

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद, श्री केदार सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री नारायण पाल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना जो जनपद उत्तरकाशी के उपला टकनौर क्षेत्र में काश्तकारों की नकदी फसलों को ओले, सूखे आदि से हो रही भारी क्षति के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में उच्च क्षमता युक्त विद्युत खम्भों व तारों से आसन्न गंभीर दुर्घटना से बचाव हेतु इन विद्युत तारों व खम्भों को पर्याप्त दूरी पर स्थानान्तरित करने की मांग के सम्बन्ध में है, को नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा अध्ययन में हो रही दिक्कतों के सम्बन्ध में श्रीमती आशा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री(श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)-

[प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के मानक निम्नवत् है:-

जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के मानक :-

1. क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से अधिक होनी चाहिए।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया.

2. प्रस्तावित जूनियर हाईस्कूल की कक्षा 6 से 8 की छात्र संख्या कम से कम 85 होनी चाहिये।

3. कक्षा 9 की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिये।

4. 10 किमी की परिधि में किसी अन्य हाईस्कूल/इण्टर का न होना।

5. निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि का होना।

हाईस्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के मानक :–

1. क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से अधिक होनी चाहिए।

2. प्रस्तावित रा0उ0मा0वि0 में कक्षा 6 से 10 की छात्र संख्या कम से कम 150 होनी चाहिये।

3. कक्षा 11 की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिये।

4. प्रस्तावित विद्यालय का प्रथम बैच हाईस्कूल की परीक्षा में कम से कम पाँच वर्ष पूर्व बैठा होना चाहिए।

5. प्रस्तावित विद्यालय का गत तीन वर्षों का हाईस्कूल का परीक्षा फल 60 प्रतिशत होना चाहिये।

6. 10 किमी की परिधि में किसी अन्य इण्टर कालेज का न होना।

7. निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि का होना।

जनपद रूद्रप्रयाग केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 भणज, बावई, बस्टी, कालीमठ तथा त्रियुगीनारायण एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय भींसाल, जलई, जालमल्ला, जग्गी बगवान, कुरझण तथा कन्या जूनियर हाईस्कूल सतेराखाल विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव उपरोक्त विभागीय मानकों के परिप्रेक्ष्य में शासन को प्राप्त होने पर उक्त विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानकमत्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शक्ति फार्म में लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों द्वारा कार्य पर ठीक से ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सितारगंज में विगत 12 वर्ष से फार्मासिस्ट तैनात हैं, जिनके द्वारा स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है, जबकि उक्त केन्द्र

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया.

में विगत 05 वर्ष से अधिक समय से 02 कक्ष सेवक कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता में विगत 15 वर्ष से कार्यरत फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण विचाराधीन है तथा उक्त केन्द्र में विगत 12 वर्ष से तैनात स्वच्छक का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्तिफार्म में विगत 10 वर्षों से कक्ष सेवक/स्वच्छक कार्यरत हैं। मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना से पूर्व उक्त चिकित्सा केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों के विरूद्ध चिकित्सालय में अव्यवस्था फैलाने का कोई तथ्य किसी भी माध्यम से संज्ञान में नहीं आया है। विभाग में फार्मासिस्टों/अन्य स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिस कारण स्थानान्तरण नीति के अनुरूप स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

मा० सदस्य के संज्ञान में यह भी लाना है कि उक्त चिकित्सा केन्द्रों में माह जनवरी 2009 से माह जून, 2009 तक पंजीकृत रोगियों का विवरण निम्नवत है–

क्र० सं०	चिकित्सा इकाई का नाम	वाह्य रोगियों की संख्या	आकस्मिक रोगियों की संख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज	27683	825
2	प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता	5097	412
3	प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र शक्तिफार्म	12035	19

मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के माध्यम से अब उपरोक्त चिकित्सा केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ठीक से कार्य न किये जाने एवं उनके द्वारा व्यवस्था को कुप्रभावित करने का प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। अतः इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 07 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :
दिनांक 20 जुलाई, 2009

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर पृष्ठ संख्या–51 पर)

संलग्नक मद संख्या–18

18		पात्र क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत या पुनर्स्थापना ➢ (1) सड़क एवं पुल (2) पेयजल आपूर्ति (3) सिंचाई (4) विद्युत आपूर्ति (प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने तक सीमित) (5) प्राथमिक शिक्षा (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (7) पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ ➢ अपना स्वयं का राजस्व अर्जित करने वाले तथा अपने स्वयं के संसाधनों से तत्कालिक मरम्मत व पुनर्स्थापना के लिये उत्तरदायी क्षेत्रों के लिये, जैसे दूरसंचार एवं ऊर्जा	तत्कालिक प्रकृति के कार्य ➢ तत्कालिक प्रकृति के समस्त कार्यों की विस्तृत सूची संलग्नक के रूप में दी गयी है। समयावधि ➢ तत्कालिक प्रकृति के कार्यों को सम्पादित किये जाने के लिए निम्नवत् समय सीमा निर्धारित की गयी है: मैदानी क्षेत्रों के लिए (अ) सामान्य आपदाओं के लिये 30 दिन (ब) तीव्र परिमाण की आपदाओं के लिये 45 दिन पहाड़ी क्षेत्रों व उत्तर पूर्वी राज्यों के लिये (अ) सामान्य आपदाओं के लिये 45 दिन (ब) तीव्र परिमाण की आपदाओं के लिये 60 दिन आवश्यकताओं का निर्धारण ➢ आपदा राहत कोष से देय सहायता के लिये राज्य स्तरीय समिति के आंकलन के आधार पर व राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष से देय सहायता हेतु केन्द्रीय दल के आंकलन के आधार पर।

चिन्हित तत्कालिक प्रकृति के कार्यों की विस्तृत सूची :

1. पेयजल आपूर्ति–

(i) हैण्ड पम्प/कुऐं/जल संचयन टैंकों/सार्वजनिक नलों की क्षतिग्रस्त मुंडेरों (प्लेटफार्म) की मरम्मत।

(ii) क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपों का नये पाइपों से प्रतिस्थापन एवं जल संग्रहण टैंकों की सफाई (रिसाव रोकने के दृष्टिगत) सहित सार्वजनिक नलों की पुनर्स्थापना।

(iii) जलापूर्ति हेतु स्थापित पम्प उपकरणों की क्षति, जल संग्रहण टैंकों से रिसाव, क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पम्प से सम्बन्धित अवसंरचना की मरम्मत।

2. सड़क–

(i) गड्ढों को भरना व टूट गयी सड़क की मरम्मत, जल निकासी हेतु पाइपों की व्यवस्था, पुश्तों की मजबूतीकरण व मरम्मत।

(ii) टूट गये कलवर्टों की मरम्मत।

(iii) तत्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु पूर्णतः क्षतिग्रस्त/बह गयी सड़क के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था।

(iv) पुलों/पुश्तों तक पहुँच के लिये अस्थाई मरम्मत कार्य, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तात्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु रपटों की मरम्मत, यातायात बहाली हेतु सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में अस्थाई मरम्मत व अन्य व्यवस्था।

3. सिंचाई–

(i) क्षतिग्रस्त नहर एवं सीमेन्ट, रेत के बोरों व पत्थरों के उपयोग से जल संग्रहण अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत।

(ii) कमजोर भागों की मरम्मत जैसे बांधों के पुश्तों व दीवारों के छिद्रों व निकासी नालियों की मरम्मत।

(iii) नहर तथा नदी–नालों से वनस्पतिक सामग्रियों/निर्माण सामग्रियों/मलबे को हटाना।

4. स्वास्थ्य–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुँच मार्गों, भवन व विद्युत आपूर्ति लाइनों की मरम्मत।

5. पंचायतों की सामुदायिक अवसंरचनायें–

(अ) गाँव की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत।

(ब) नालों/नालियों से मलबे की सफाई।

(स) गाँव की आन्तरिक जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत।

(द) सार्वजनिक प्रकाश उपकरणों की मरम्मत।

(इ) प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि की अस्थाई मरम्मत।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–23 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–56 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित श्री मयूख महर माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का संलग्नक

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2007–08 में स्वीकृत कार्यों का विवरण:–

क्र0 सं0	वर्ष	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लम्बाई (कि0मी0)	लागत (लाख रू0)
1	2	3	4	5	6
प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़					
1	2007–08	गढ़का–लेनू [illegible] लिंक मोटर का द्वितीय चरण का कार्य	मुनाकोट	0.500	14.25
2	2007–08	बडारे से [illegible] में [illegible] होते हुए जगदम्बा मंदिर तक मोटर मार्ग	मुनाकोट	3.00	118.25
3	2007–08	[illegible] से बर्तियाकोट मो0मा0	मुनाकोट	0.500	19.25
4	2007–08	[illegible] मुनाकोट मोटर मार्ग	मुनाकोट	9.28	419.69
5	2007–08	[illegible]–[illegible] मोटर मार्ग	मुनाकोट	12.00	494.43
6	2007–08	[illegible] से कटियानी मोटर मार्ग	मुनाकोट	9.00	423.86
7	2007–08	[illegible] मोटर मार्ग से ग्राम [illegible] तक मो0मार्ग का नवनिर्माण।	विण	5.00	183.75
8	2007–08	[illegible] से [illegible] मो0मा0 का नव निर्माण	विण	3.00	110.25
9	2007–08	[illegible] मो0मा0 से [illegible] तक पी0एम0 मार्ग निर्माण	विण	3.00	81.35
10	2007–08	[illegible] से [illegible] मोटर मार्ग	विण	4.00	151.16
11	2007–08	[illegible] से [illegible] मोटर मार्ग	विण	4.00	166.85
12	2007–08	[illegible]–[illegible] मोटर मार्ग	विण	13.00	566.22
13	2007–08	[illegible] पिथौरागढ़ रोड से [illegible] मोटर मार्ग	विण	22.500	1025.12
14	2008–09	ऐंचोली से [illegible] मोटर मार्ग	विण	6.00	220.50
15	2008–09	[illegible]–[illegible]–[illegible] मो0मा0 कि0मी0 [illegible] से [illegible] तक	विण	3.00	118.25
16	2007–08	कनालीछीना से [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	कनालीछीना	3.00+1सेतु	84.09
17	2007–08	[illegible]–[illegible] मो0मा0 से [illegible] तक मो0मा0 का निर्माण	कनालीछीना	2.00+1सेतु	136.40
18	2007–08	[illegible] से [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण	कनालीछीना	12.00+1सेतु	288.60

1	2	3	4	5	6
19	2007-08	दुबौड़ा से बारसी मोटर मार्ग	कनालीछीना	9.00	389.36
20	2007-08	दोबांस से बर्थोली मोटर मार्ग	कनालीछीना	6.250	273.41
21	2008-09	सिमल्टा बैण्ड से गोबर्सा ख्वाकोट मोटर मार्ग का विस्तार (1.36-6.00)	कनालीछीना	4.00	140.68
22	2008-09	सिमल्टा बैण्ड से गोबर्सा बौकी वणागांव पातलीगांव मोटर मार्ग का निर्माण (अवशेषभाग)	कनालीछीना	2.00	50.12
			योग	136.03	5437.95

प्रान्तीय खण्ड–डीडीहाट

23	2007-08	धुरौली से काठा मोटर मार्ग	डीडीहाट	2.00	73.50
24	2007-08	डोल से महपट्टीगांव तक मोटर मार्ग	डीडीहाट	2.00	73.50
25	2007-08	बांकू से बांकू हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर पुनर्निर्माण [illegible] सुधार	डीडीहाट	2.00	52.00
26	2007-08	सानदेव बिमाली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	डीडीहाट	2.00	35.40
27	2007-08	डीडीहाट के आन्तरिक मार्गों पर पी0सी0 द्वारा सुधार एवं नाली निर्माण	डीडीहाट	7.00	61.45
28	2007-08	सानदेव–दूरगोली मोटर मार्ग	डीडीहाट	16.00	657.18
29	2007-08	सानदेव–दूरगोली मोटर मार्ग	डीडीहाट	12.38	730.98
30	2007-08	सानदेव से गलपायों मोटर मार्ग	डीडीहाट	7.65	327.00
31	2007-08	डीडीहाट जी0आई0सी0 से धनखा मोटर मार्ग	डीडीहाट	9.00	377.54
32	2007-08	चौबाटी से बोराकूना मोटर मार्ग	डीडीहाट	13.78	571.88
33	2008-09	दूनाकोट–बौराणाथ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार	डीडीहाट	2.00	54.06
34	2008-09	थांतड कूकरौली ह0वा0मा0 का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार मिसिंग लिंक सहित	डीडीहाट	7.25	207.63
35	2008-09	मनू बैण्ड–धुरौली मोटर मार्ग के शेष भाग में मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	0.40	10.02
36	2007-08	कोलबाजी से दाखिम मोटर मार्ग	मुनस्यारी	4.00	147.00
37	2007-08	डोरबैण्ड से सैणराथी मोटर मार्ग का विस्तार	मुनस्यारी	1.00	36.75
38	2007-08	द्वालीगाड से बलादाका मोटर मार्ग	मुनस्यारी	6.00	220.50
39	2007-08	सैणराथी ढोकश नाचिक मोटर मार्ग	मुनस्यारी	15.00	551.25
40	2007-08	बांसबगड़ से गोठी मोटर मार्ग	मुनस्यारी	9.00	513.01
			योग:	117.46	4700.68

निर्माण खण्ड अस्कोट

1	2	3	4	5	6
41	2007–08	तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग किमी 34 सोसा से तितिलधार सिर्दांग सिर्खा रूंग मोटर मार्ग का निर्माण	धारचूला	13.00	477.75
42	2007–08	तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग किमी 24 पांगू से जी0आई0सी0 होकर रिमझिम बैंड़ धारपांगू तवाघाट रौतो मोटर मार्ग	धारचूला	7.00	257.25
43	2007–08	कालिका–खुमती मोटर मार्ग से गांव गैचकोला अमगढ़ा एवं सिरखा मो0मा0 का निर्माण	धारचूला	4.00	147.00
44	2007–08	बलुवाकोट तोक गागरा से गैरागांव तक मोटर मार्ग निर्माण	धारचूला	5.00	183.75
45	2007–08	कालिका बजानी खुमती मोटर मार्ग के किमी 3 से बजानी तक मोटर मार्ग का निर्माण	धारचूला	4.00+सेतु	224.00
			योग	33.00	1289.75

अ0खं0बेरीनाग

46	2007–08	बेरीनाग से चनकाना मोटर मार्ग का विस्तार	बेरीनाग	1.00	36.75
47	2007–08	सांगौड़ धरौली मोटर मार्ग का विस्तार	बेरीनाग	1.00	36.75
48	2007–08	राईआगर से रीठीपाखा मोटर मार्ग	बेरीनाग	7.00	124.60
49	2007–08	जवाहर चौक से त्रिपुरादेवी सम्पर्क मार्ग	बेरीनाग	1.00	21.40
50	2007–08	बड़गल–रीठीपाखा मोटर मार्ग	बेरीनाग	7.60	314.03
51	2007–08	किरौली–देवकोट मोटर मार्ग	बेरीनाग	9.00	367.58
52	2007–08	भटीगांव से कौशली मोटर मार्ग	बेरीनाग	3.45	152.70
53	2007–08	इलियाजाब से पराऊ मोटर मार्ग	बेरीनाग	6.450	427.76
54	2008–09	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बेरीनाग विनायक पुराना मुवानी मोटर मार्ग के किमी0 13 से मुड़ौली दबौली तक मोटर मार्ग	बेरीनाग	5.00	183.75
55	2008–09	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अल्मोड़ा अस्कोट मोटर मार्ग के किमी0 98 से कानीखेत–फडौली मोटर मार्ग	बेरीनाग	9.00	330.75
56	2008–09	रघुलिंगाड रामन्दिर से बार्ता से धामा मोटर मार्ग का निर्माण	बेरीनाग	3.00	110.25
57	2008–09	निमलता धोबाखिल मिनमढ़ी मोटर मार्ग का निर्माण	बेरीनाग	5.00	183.75
58	2008–09	गंगोलीहाट के अन्तर्गत बांसपतान धपोला सेरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण	बेरीनाग	3.00	63.00

1	2	3	4	5	6
59	2008–09	बेरीनाग–गंगोलीहाट–रामेश्वर मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	बेरीनाग	44.30	1613.95
60	2007–08	दूनी बड़ा मोटर मार्ग के किमी 6 से तिन्नलेख सुरखाल तक मो०मा०	गंगोलीहाट	15.00	551.25
61	2007–08	रणकोट महाकाली मन्दिर होते हुए गंगोलीहाट बायपास मोटर मार्ग	गंगोलीहाट	5.00	183.75
62	2007–08	पव्वाधार–नैनी–जागेश्वर तथा सेराघाट मोटर मार्ग	गंगोलीहाट	7.50	275.63
63	2007–08	खिरमाण्डे–गणाई मोटर मार्ग का नव निर्माण सेतु सहित	गंगोलीहाट	12.00	370.00
64	2007–08	मदनपुर नैनी मोटर मार्ग एवं मोटर सेतु का अवशेष कार्य	गंगोलीहाट	एक जॉब	75.70
65	2007–08	गंगोलीहाट–पव्वाधार चौरपाल मो०मा० किमी 13 से बजरवागाड़ तक मोटर मार्ग का डामरीकरण	गंगोलीहाट	1.00	17.70
66	2007–08	दूनी बड़ा मोटर मार्ग के किमी० 6 डामरीकरण	गंगोलीहाट	0.500	8.85
67	2007–08	टिम्टा बुंगली मोटर मार्ग किमी० 2–3 में पुन निर्माण	गंगोलीहाट	1.00	17.70
68	2007–08	कलकटिया–दामानौली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण	गंगोलीहाट	2.00	35.40
69	2007–08	चिटगल पाली किरगोली खुलेत बोयल ह०मा० मार्ग का 5.95मी० चौड़ा का डामरीकरण	गंगोलीहाट	1.50	30.00
70	2007–08	दशाईथल से कुटकिल मोटर मार्ग	गंगोलीहाट	3.63	151.51
71	2007–08	गंगोलीहाट–पव्वाधार चौरपाल से गानूरा मोटर मार्ग	गंगोलीहाट	14.00	550.59
			योग:	168.26	6243.60
			महायोग:	464.75	17671.98

कार्यालय परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता पी0एम0यू0/ए0डी0बी0 लोक निर्माण विभाग देहरादून के अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष 2007–08 व 2008–09 में पिथौरागढ़ जनपद के लिए ए0डी0बी0 परियोजना फेज–I व फेज–II के अन्तर्गत पुनः निर्माण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु निम्न पांच मार्ग स्वीकृत हुए हैं, इन सभी कार्यों की प्राप्त निविदायें 40 प्रतिशत् से कम नहीं है।

क्र.सं	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत धनराशि	विकास खण्ड का नाम
72	उडियारी बैण्ड–थल मोटर मार्ग फेज–I	22.00 किमी0	1359.90	बेरीनाग
73	उडियारी बैण्ड–काण्डा मोटर मार्ग फेज–I	25.70 किमी0	1246.90 लाख	बेरीनाग/बागेश्वर
74	थल–ओंगला मोटर फेज–I	33.18 किमी0	2386.00 लाख	डीडीहाट
75	पिथौरागढ़–झूलाघाट मोटर मार्ग फेज–II	25.95 किमी0	1667.00 लाख	पिथौरागढ़
76	सेराघाट–उडियारी बैण्ड मोटर मार्ग फेज–II	43.09 किमी0	3021.38 लाख	बेरीनाग
	योग	149.92	9681.38	

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधान सभा/201–28–08–2012–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)